<u>भारत के राजपत्र असाधारण के भाग-I, खंड-I में प्रकाशनार्थ</u>

फा. सं. 7/28/2023-डीजीटीआर

भारत सरकार

वाणिज्य विभाग

वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय

व्यापार उपचार महानिदेशालय

चौथा तल, जीवन तारा बिल्डिंग, 5, संसद मार्ग, नई दिल्ली- 110001

दिनांक 25.05.2024

<u>अंतिम जांच परिणाम</u>

<u>मामला सं. एसएसआर-11/2023</u>

विषय: चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से क्लोरीनेटेड पोलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहे यौगिक में आगे प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं, के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क की निर्णायक समीक्षा जांच ।

फा. सं. 7/28/2023-डीजीटीआर - समय-समयपरयथासंशोधितसीमा शुल्कटैरिफअधिनियम,1975 (जिसे आगे अधिनियम भी कहा गया है) और उसकी समय-समय पर यथासंशोधित सीमा शुल्कटैरिफ(पाटितवस्तुओंकीपहचानउनपरपाटनरोधीशुल्ककाआकलनऔरसंग्रहणतथाक्षति निर्धारण)नियमावली,1995 (जिसे आगे नियमावली भी कहा गया है) को ध्यान में रखते हुए :

निर्दिष्ट प्राधिकारी (जिन्हें आगे प्राधिकारी भी कहा गया है) को डीसीडब्ल्यू लिमिटेड (जिसे आगे आवेदक या घरेलू उद्योग भी कहा गया है) से एक आवेदन प्राप्त हुआ है जिसमें चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य (जिन्हें आगे ''संबद्ध देश'' भी कहा गया है)के मूल के अथवा वहां से निर्यातितक्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (जिसे आगे ''सीपीवीसी'' या ''संबद्ध वस्तु'' या ''विचराधीन उत्पाद'' या ''पीयूसी'' भी कहा गया है) के आयातों पर लागू पाटनरोधी शुल्क का समय बढ़ाने और उसमें संशोधन करने के लिए एक निर्णायक समीक्षा की मांग की गई है।

क. <u>मामले की पृष्ठभूमि</u>

1. संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों से संबंधित मूल पाटनरोधी जांच की शुरूआत प्राधिकारी द्वारा अधिसूचना संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 28 मार्च 2019 के माध्यम से शुरू की गई थी। प्राधिकारी ने अधिसूचना फा. संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 12 जुलाई 2019 के माध्यम से प्रारंभिक जांच परिणाम जारी किए थे जिनमें संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की गई थी। वित्त मंत्रालय ने अधिसूचना संख्या 33/2019-सीमा शुल्क दिनांक 26 अगस्त 2019 के माध्यम से संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर 6 महीने की अवधि के लिए अनंतिम पाटनरोधी शुल्क लगाया था।

2. तत्पश्चात अधिसूचना फा. संख्या 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 19 फरवरी 2020 के द्वारा अंतिम जांच परिणाम जारी किए गए थे जिनमें प्राधिकारी ने पांच वर्षों की अवधि के लिए निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क लगाने की सिफारिश की थी। यह पाटनरोधी शुल्क अधिसूचना संख्या 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) के माध्यम से 7 मार्च 2020 को लगाया गया था। उक्त शुल्क पांच वर्षों की अवधि के लिए लगाया गया और यह इसे 25 अगस्त, 2024 को समाप्त होना है।

3. अधिनियमकी धारा 9क (5) के अनुसार किसी पाटनरोधी शुल्क को यदि पहले न हटाया जाए तो उन्हें लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की समाप्ति पर ये निष्प्रभावी हो जाता है। इसके अलावा, नियमावली के नियम 23 (1ख) में निम्नानुसार व्यवस्था है:

''इस अधिनियम के अंतर्गत लगाया गया कोई निश्चयात्मक पाटनरोधी शुल्क उसे लागू करने की तारीख से पांच वर्ष की अवधि के लिए प्रभावी रहेगा । यदि निर्दिष्ट प्राधिकारी अपनी स्वयं की पहल पर या घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्षांकित अनुरोध के आधार पर उस अवधि से पहले, उस अवधि की समाप्ति से तर्कसंगत अवधि के भीतर एक समीक्षा द्वारा इस निष्कर्ष तक पहुंचे कि उक्त पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है। ''

4. उक्त के अनुसार, प्राधिकारी के लिए घरेलू उद्योग द्वारा या उसकी ओर से किए गए विधिवत रूप से साक्ष्यांकित अनुरोध के आधार पर यह समीक्षा करना अपेक्षित है कि क्या मौजूदा पाटनरोधी शुल्क के समाप्त होने से पाटन और क्षति के जारी होने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है।

5. घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत प्रथमदृष्ट्या साक्ष्य के आधार पर प्राधिकारी ने भारत के राजपत्र असाधारण में प्रकाशित अधिसूचना संख्या 7/28/2023- डीजीटीआर दिनांक 29 दिसंबर 2023 के माध्यम से संबद्ध जांच की शुरूआत करते हुए एक सार्वजनिक सूचना जारी की। इस जांच को नियमावली के नियम 23 के साथ पठित अधिनियम की धारा 9क (5) के अनुसार शुरू किया गया था ताकि यह जांच की जा सके कि क्या इस शुल्क की समाप्ति से पाटन और घरेलू उद्योग को क्षति के जारी रहने या उनकी पुनरावृत्ति होने की संभावना है और क्या पाटनरोधी शुल्क को लागू रखने की आवश्यकता है।

6. वर्तमान समीक्षा के दायरे में अंतिम जांच परिणाम सं. 06/03/2019-डीजीटीआर दिनांक 19 फरवरी, 2020 और अधिसूचना सं. 05/2020-सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक 07 मार्च, 2020 के सभी पहलू शामिल हैं।

ख. <u>प्रक्रिया</u>

7. इस जांच के संबंध में नीचे वर्णित प्रक्रिया का पालन किया गया है:

i. प्राधिकारी ने नियम 5 के उप नियम (5) के अनुसार जांच की शुरूआत की कार्रवाई से पहले वर्तमान पाटनरोधी आवेदन की प्राप्ति के बारे में भारत में संबद्ध देशों केदूतावास को सूचित किया।

ii. प्राधिकारी ने संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पाद आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा पाटनरोधी जांच की शुरूआत करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित दिनांक 29 दिसंबर 2023 की एक अधिसूचना जारी की।

iii. प्राधिकारी ने दिनांक 29 दिसंबर, 2023 की जांच शुरूआत अधिसूचना की एक प्रति भारत में संबद्ध दूतावास और संबद्ध देशों से ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों, भारत में ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं तथा घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए ई-मेल पतों के अनुसार अन्य हितबद्ध पक्षकारों को भेजी थी।

iv. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(3) के अनुसार ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों और भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को आवेदन की अगोपनीय अंश की एक प्रति भेजी थी।

v. भारत में संबद्ध देशों के दूतावास को विहित समय-सीमा के भीतर प्रश्नावली का उत्तर देने के लिए अपने देश से निर्यातकों / उत्पादकों को सलाह देने का भी अनुरोध किया गया था। पत्र और प्रश्नावली की एक प्रति भी संबद्ध देशों के ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों के नाम और पतों के साथ भेजी गई थी।

vi. प्राधिकारी ने नियमावली के 6(4) के अनुसार संबद्ध देश में निम्नलिखित ज्ञात उत्पादकों और निर्यातकों को निर्यातक प्रश्नावली भेजी थी:

क्र.सं.	संबद्ध देशों में उत्पादक / निर्यातकों का नाम
1	एवरुन केमिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.
2	हाईटियन मिडिल ईस्ट फ़ेज़, चीन जन. गण.
3	हेनान बकटन इंडस्ट्री एंड कॉमर्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
4	जिआंगसु ली एंड मैन केमिकल लिमिटेड, चीन जन. गण.
5	कैप्सन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन (एचके) लिमिटेड, चीन जन. गण.
6	मैक्सविन ओवरसीज लिमिटेड, चीन जन. गण.
7	मित्सुई एंड कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
8	शेडोंग गाओक्सिन केमिकल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
9	शेडोंग नोविस्टा केमिकल्स कंपनी, चीन जन. गण.
10	शेडोंग पुजी रबड़ और प्लास्टिक, चीन जन. गण.
11	शेडोंग जियांगशेंग न्यू मैटेरियल्स, चीन जन. गण.
12	शेडोंग याडा न्यू मटेरियल कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
13	टेक्सपो इंटरनेशनल लिमिटेड, चीन जन. गण.

14	वेफ़ांग होता न्यू मैटेरियल्स टेक्नोलॉजी, चीन जन. गण.
15	वेफ़ांग सुंडो केमिकल्स कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
16	विनवेल इंडस्ट्री कंपनी लिमिटेड, चीन जन. गण.
17	हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन, कोरिया गणराज्य

vii. इसके उत्तर में कोरिया गणराज्य से केवल हानवा सल्यूशंस कारपोरेशंस (जिसे आगे हानवा कहा गया है) ने निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है। इसके अलावा, एक असंबंधित उसके निर्यातक एसएआर ओवरसीजी ने भी विहित प्रपत्र में निर्यातक प्रश्नावली का उत्तर दिया है।

viii. प्राधिकारी ने नियमावली के नियम 6(4) के अनुसार आवश्यक सूचना मंगाने के लिए भारत में विचाराधीन उत्पाद की निम्नलिखित ज्ञात आयातकों और प्रयोक्ताओं को आयातक प्रश्नावली भेजी थी:

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
1	ए.जी. इंपोर्ट हब
2	अजय इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन लिमिटेड
3	अपोलो पाइप्स लिमिटेड
4	एस्ट्रल लिमिटेड
5	एवन प्लास्टिक इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
6	बेसिल प्रॉम्प्ट विनाइल प्राइवेट लिमिटेड
7	बोथारा एग्रो इक्विपमेंट्स प्राइवेट लिमिटेड
8	फिनोलेक्स इंडस्ट्रीज लिमिटेड
9	एचआईएल लिमिटेड
10	हाइड्रागार्ड इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
11	कैप्सन रिसोर्सेज कॉर्पोरेशन
12	किसान इरिगेशन्स एंड इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड
13	कुंतल ऑर्गेनिक्स एलएलपी
14	ललिता केम इंडस्ट्रीज प्राइवेट लिमिटेड
15	मैकवेल प्लास्टिसाइज़र प्राइवेट लिमिटेड
16	मैट्रिक्स इम्पेक्स
17	मयूर डाइज़ एंड केमिकल्स कॉर्पोरेशन लिमिटेड
18	मीट मार्केटिंग (इंडिया) प्राइवेट लिमिटेड
19	नवयुग केमिकल्स प्राइवेट लिमिटेड
20	ओम्या इंडिया प्राइवेट लिमिटेड
21	पर्ल प्रिसिजन प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
22	प्रयाग पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
23	प्रिसिजन सेनेटरी प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड
24	पुष्प ग्लोबल कंपनी प्राइवेट लिमिटेड
25	रेवा पॉलीटेक प्राइवेट लिमिटेड
26	ऋषभ ट्राईएक्सिम एलएलपी
27	श्रीजी इम्पेक्स
28	सिग्नेट इंडस्ट्रीज लिमिटेड
29	सुधाकर इरिगेशन सिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड
30	सुप्रीम इंडस्ट्रीज लिमिटेड

क्र.सं.	भारत में विचाराधीन उत्पाद के प्रयोक्ताओं/आयातकों के नाम
31	टाइक पॉलिमर प्राइवेट लिमिटेड
32	वाहिनी इरीगेशन प्राइवेट लिमिटेड
33	वेक्टस इंडस्ट्रीज लिमिटेड
34	वाटर फ्लो पाइपिंग सिस्टम

ix. निम्नलिखित प्रयोक्ताओं और आयातकों ने प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है:

क्र.सं.	संबद्ध देशों में उत्पादक / निर्यातक का नाम
1	आशीर्वाद पाइप्स प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "आशीर्वाद" कहा गया है)
2	लुब्रिज़ोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड (जिसे आगे "लुब्रिज़ोल" कहा गया है)

x. प्राधिकारी ने निम्नलिखित एसोसिएशन को जांच शुरूआत अधिसूचना की प्रतियां भेजी थीं और उनकी टिप्पणियां मांगी थीं।

	संबद्ध देशों में उत्पादक / निर्यातक का नाम
1	ऑल इंडिया फेडरेशन ऑफ प्लास्टिक इंडस्ट्रीज
2	ऑल इंडिया प्लास्टिक मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन (एआईपीएमए)

xi. उक्त ऐसोसिएशनों में से किसी ने भी जांच शुरूआत अधिसूचना का उत्तर नहीं दिया है।

xii. प्राधिकारी को उत्तर नहीं देने वाले विदेशी उत्पादकों, निर्यातकों और अन्य हितबद्ध पक्षकारों या जिन्होंने इस जांच में संगत सूचना नहीं दी है, को असहयोगी हितबद्ध पक्षकार माना गया है।

xiii. प्राधिकारी ने सभी ज्ञात उत्पादकों / निर्यातकों, आयातकों और घरेलू उद्योग को आर्थिक हित प्रश्नावली जारी की है। आर्थिक हित प्रश्नावली को संबंधित प्रशासनिक मंत्रालय के साथ भी साझा किया गया था। आर्थिक हित प्रश्नावली को केवल घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत किया गया। किसी भी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर नहीं दिया है।

xiv. प्राधिकारी ने विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत अनुरोधों का अगोपनीय अंश उपलब्ध कराया था। सभी हितबद्ध पक्षकारों की एक सूची उनसे इस अनुरोध के साथ डीजीटीआर की वेबसाइट पर अपलोड की गई थी कि वे अपने अनुरोधों का अगोपनीय अंश सभी अन्य हितबद्ध पक्षकारों को ई-मेल कर दें।

xv. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ जांच की अवधि (पीओआई) 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023 (12 महीने की अवधि) है। क्षति विश्लेषण अवधि में 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020, 1 अप्रैल 2020 से 31 मार्च 2021, 1 अप्रैल 2021 से 30 जून 2022 और जांच की अवधि शामिल है।

xvi. क्षतिरहित कीमत (जिसे आगे एनआईपी कहा गया है) को सामान्यत: स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों (जीएएपी) और एडी नियमावली के अनुबंध-III के आधार पर घरेलू उद्योग द्वारा प्रस्तुत सूचना के अनुसार भारत में संबद्ध वस्तु की उत्पादन लागत और तर्कसंगत लाभ के आधार पर निर्धारित किया गया है ताकि यह पता लगाया जा सके कि क्या पाटिन मार्जिन से कम पाटनरोधी शुल्क घरेलू उद्योग को हुई क्षति को समाप्त करने के लिए पर्याप्त होगा।

xvii. प्राधिकारी ने जांच की प्रक्रिया के दौरान हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत सूचना, जो इस अंतिम जांच परिणाम का आधार है, की सत्यता से संभव सीमा तक स्वयं को संतुष्ट किया है और घरेलू उद्योग तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा प्रस्तुत आंकड़ों का संगत, व्यवहार्य और आवश्यक समझी गई सीमा तक सत्यापन किया है।

xviii. नियमावली के नियम 6(6) के अनुसार प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों को मौखिक रूप से अपने विचार प्रस्तुत करने का अवसर देने के लिए हाइब्रिड मोड में 6 मार्च, 2024 को एक सार्वजनिक सुनवाई की थी। मौखिक सुनवाई में अपने विचार प्रस्तुत करने वाले पक्षकारों से मौखिक रूप से व्यक्त विचारों के लिखित अनुरोध तथा उसके बाद खंडन अनुरोध यदि कोई हों, प्रस्तुत करने का अनुरोध किया गया था। पक्षकारों

ने अपने अगोपनीय अनुरोधों को अन्य हितबद्ध पक्षकारों के साथ साझा किया और उनसे खंडन लेने की सलाह दी गई।

xix. हितबद्ध पक्षकारों द्वारा गोपनीय आधार पर प्रस्तुत सूचना की गोपनीयता के दावों के पर्याप्तता के संबंध में जांच की गई थी। संतुष्ट होने पर प्राधिकारी ने जहां आवश्यक हो, गोपनीयता के दावों को स्वीकार किया है और ऐसी सूचना को गोपनीय माना है तथा अन्य हितबद्ध पक्षकारों को उसका प्रकटन नहीं किया है, जहां कहीं अपेक्षित हो, गोपनीय आधार पर सूचना देने वाले पक्षकारों को गोपनीय आधार पर उनके द्वारा प्रस्तुत सूचना का पर्याप्त अगोपनीय अंश प्रस्तुत करने का निदेश दिया गया था।

xx. इस जांच में आवश्यक तथ्यों से युक्त एक प्रकटीकरण विवरण, जो अंतिम निष्कर्षों का आधार बना, इच्छुक पार्टियों को 12.05.2024को जारी किया गया था और इच्छुक पार्टियों को उस पर टिप्पणी करने के लिए 18.05.2024 तक का समय दिया गया था। इस अंतिम खोज अधिसूचना में, इच्छुक पार्टियों से प्राप्त प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों पर, प्रासंगिक सीमा तक विचार किया गया है।

xxi. जहां कहीं भी किसी हितबद्ध पक्षकार ने वर्तमान जांच की प्रक्रिया के दौरान आवश्यक सूचना देने से मना किया या अन्यथा उसे प्रदान नहीं किया है अथवा जांच में अत्यधिक बाधा डाली है, वहां प्राधिकारी ने ऐसे पक्षकारों को असहयोगी माना है और उपलब्ध तथ्यों के आधार पर वर्तमान अंतिम जांच परिणाम दर्ज किए हैं।

xxii. प्राधिकरण ने सभी इच्छुक पक्षों द्वारा उठाए गए सभी तर्कों और प्रदान की गई जानकारी पर उस हद तक विचार किया है, जहां तक कि इसे साक्ष्य के साथ समर्थित किया गया है और वर्तमान जांच के लिए प्रासंगिक माना गया है।

xxiii. इस अंतिम जांच परिणाम में ''***'' किसी हितबद्ध पक्षकार द्वारा गोपनीय आधार पर दी गई और नियमावली के अंतर्गत प्राधिकारी द्वारा गोपनीय मानी गई सूचना को दर्शाता है।

xxiv. संबद्ध जांच के लिए प्राधिकारी द्वारा अपनाई गई विनिमय दर 1 अमेरिकी डॉलर =**82.39** रूपए है।

ग. <u>विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु</u>

ग.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

8. विचाराधीन उत्पाद और समान वस्तु के बारे में अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने कोई अनुरोध नहीं किया है।

ग.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

9. घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे और समान वस्तु के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. वर्तमान जांच में विचराधीन उत्पाद का दायरा वही है जैसा मूल जांच में परिभाषित था।

ख. विचाराधीन उत्पाद अध्याय 39 के अधीन उप शीर्ष 39049010 और 39049090 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। तथापि, समर्पित वर्गीकरण होने के बावजूद विचाराधीन उत्पाद को विभिन्न अन्य उपशीर्षों के अंतर्गत आयातित किया जा रहा है।

क्र.सं.	एचएस कोड	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22	*पीओआई
1	39049010	37,570	1,13,557	1,75,735	1,77,290
2	39049090	2,672	6,258	13,111	16,740
3	39042100	5,429	3,665	9,402	7,971
4	39041090	11,792	6,119	5,199	1,631
5	39042200	1,690	2,297	1,471	1,479
6	39041020	316	238	90	454
7	39041010	-	-	147	351
8	39011090	-	-	144	336
9	39044000	452	-	-	126
10	39172310	-	-	348	40
11	39049000	1,08,435	-	-	-

12	39046990	6	-	-	-
13	39043090	12	-	3	-
14	39045090	-	-	124	-
15	कुल	1,68,374	1,32,134	2,05,773	2,06,417

**पीओआई 1 जुलाई 2022-30 जून 2023*

ग. *अजंता प्रा. लिमिटेड बनाम भारत संघ* मामले में गुजरात उच्च न्यायालय के इस निर्णय का उल्लेख किया गया है कि पाटनरोधी शुल्क तब तक नहीं लगाया जा सकता जब तक सभी एचएसएन कोड शुल्क तालिका में शामिल हों।

घ. सीमा शुल्क प्राधिकारी अंतिम जांच परिणामों की तुलना में वित्त मंत्रालय की अधिसूचना को वरीयता देते हैं। इसलिए शुल्क तालिका के लिए सभी वर्गीकरण को शामिल करना अनिवार्य है। सीमा शुल्क अधिसूचना में संगत कोड को शामिल करने में विफलता से कर प्रवंचना हो सकती है।

ड. उत्पाद में कोई विकास नहीं हुआ है और घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद आयातित उत्पाद के समान वस्तु बना हुआ है।

ग.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

10. वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा मूल जांच में परिभाषित उत्पाद के समान ही रहेगा। मूल जांच में यथा परिभाषित विचाराधीन उत्पाद को नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:-

''10. वर्तमान जांच के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद ''क्लोरीनेटेड पोलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहे आगे यौगिक में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं'' है।

11. विचाराधीन उत्पाद को सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम के अध्याय 39 के अंतर्गत वर्गीकृत किया गया है। डीजीसीआई एंड एस और डीजी सिस्टम्स से प्राप्त आयात आंकड़े दर्शाते हैं कि इस उत्पाद को 39042110, 39042190, 39042210, 39042290, 39041090 और 39049000 के अंतर्गत आयातित किया गया है। सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और वर्तमान जांच के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है।

11. उत्पाद का नमूना चित्र नीचे दिया गया है:

12. किसी भी हितबद्धपक्षकार ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई अनुरोध नहीं किया है।

13. सीपीवीसी रेजिन और यौगिक दोनों को शामिल करने के मुद्दे पर प्राधिकारी ने मूल जांच के समय निम्नानुसार निर्णय लिया था:-

''16. प्राधिकारी ने हितबद्ध पक्षकारों द्वारा दिए गए इस तर्क की जांच की है कि सीपीवीसी रेजिन और यौगिक अलग-अलग उत्पाद हैं, क्योंकि वे दोनों प्रासेसिंग से अलग- अलग स्तर पर उत्पादित होते हैं। आवेदक और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध के आधार पर प्राधिकारी नोट करते हैं कि सीपीवीसी रेजिन एक मध्यवर्ती उत्पाद है जो अंतत: पाइप बनाने के लिए यौगिक में परिवर्तित किया जाता है और सीपीवीसी रेजिन से कोई अन्य स्वतंत्र प्रयोग नहीं हैं। सीपीवीसी रेजिन को यथा रूप में प्रयोग नहीं किया जा सकता है और उसे प्रयोग लायक बनाने के लिए यौगिक के रूप में अनिवार्यत: प्रसंस्कृत करना होता है। इस तथ्य पर विरोधी हितबद्ध पक्षकारों ने कोई प्रश्न नहीं उठाया है। यह नोट किया गया है कि उत्पादन लागत और बिक्री कीमत में अंतर किसी एक उत्पाद को दूसरे से अलग मानने का एक मात्र मापदंड नहीं होता है। यौगिक सीपीवीसी रेजिन को प्रयोग लायक बनाने के लिए उसके आगे प्रसंस्कृत रूप के अलावा कुछ भी नहीं है। यह भी नोट किया गया है कि यौगिक बनाने में किसी खास विनिर्माण कार्यकलाप के बिना रेजिन में अभिवर्धक मिलाना मूल रूप से शामिल है। अत: सीपीवीसी रेजिन को यौगिक बनाने की प्रक्रिया केवल एक वृद्धिकारी प्रक्रिया है और इस प्रक्रिया में उत्पाद की अनिवार्य विशेषता में बदलाव नहीं होता है, बल्कि केवल वह प्रयोग लायक बना जाता है। केवल यह तथ्य कि रेजिन के यौगिक में बदलने में

शामिल प्रक्रिया से टैरिफ कोड नहीं बदलता है। ऐसा संकेत करती हुई प्रतीत होती है कि यह प्रक्रिया वृद्धिकारी स्वरूप की है। यदि सीपीवीसी रेजिन और यौगिक के बीच उत्पादन चरण में मूल्यवर्धन की गणना पर विचार किया भी जाए तो भी सीपीवीसी रेजिन यौगिक के उत्पादन में प्रयुक्त सबसे मंहगा अवयव है। इसके अलावा, सीपीवीसी रेजिन और यौगिक का अंतिम उपयोग बाजार अनिवार्य रूप से एक ही है। सीपीवीसी रेजिन और यौगिक में समान रासायनिक संरचना होती है और सीपीवीसी रेजिन यौगिक को भी अनिवार्य विशेषताएं प्रदान करता है। सीपीवीसी रेजिन और यौगिक की समान रासायनिक संरचना होती है और सीपीवीसी रेजिन यौगिक को अनिवार्य विशेषताएं देता है। रिकार्ड में सर्वाधिक महत्वपूर्ण अनुरोध यह दर्शाता है कि भारत में अनेक यौगिक विनिर्माता सीपीवीसी रेजिन का आयात कर रहे हैं और उसे यौगिक में बदल रहे हैं। इसके मद्देनजर पाटनरोधी शुल्क की लेवी के दायरे से यौगिक को बाहर रखने से भारत में संबद्ध देशों से यौगिक का सीधे आयात होने की संभावना है और इस प्रकार, पाटनरोधी शुल्क लगाने की पूरी प्रक्रिया का मूल प्रयोजन भी विफल हो जाएगा। उक्त मद्देनजर, प्राधिकारी मानते हैं कि वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद के दायरे में क्लोरीनेटेड पोलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी), रेजिन और यौगिक दोनों रूप में, एक वस्तु के रूप में शामिल हैं।''

14. प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित अंतिम जांच परिणाम को ध्यान में रखते हुए और वर्तमान जांच में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों पर विचार करते हुए प्राधिकारी विचाराधीन उत्पाद के उसी दायरे की पुष्टि करते हैं जिसे पहले अधिसूचित किया गया था। वर्तमान अंतिम निष्कर्ष के प्रयोजनार्थ विचाराधीन उत्पाद इस प्रकार है:-

> '' *क्लोरीनेटेड पोलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहें आगे यौगिक में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं।''*

15. विचाराधीन उत्पाद सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम 1975 के अध्याय 39 के एचएस कोड 39049010 और 39049090 के अंतर्गत वर्गीकृत है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदावार आंकड़ों की जांच की है और यह पाया है कि विचाराधीन उत्पाद को 39041010, 39041020, 39041090, 39042100, 39042200, 39043090, 39044000, 39045090, 39046990 और 39049000 के भी अंतर्गत आयात किया है।

क्र.सं.	एचएस कोड	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22	पीओआई

1	39041010	एमटी	-	-	264	397
2	39041020	एमटी	282	289	893	446
3	39041090	एमटी	12,075	6,030	6,367	3,544
4	39042100	एमटी	4,779	3,442	10,137	7,825
5	39042200	एमटी	1,575	3,327	1,813	1,495
6	39043090	एमटी	12	-	3	-
7	39044000	एमटी	452	-	-	126
8	39045090	एमटी	-	-	124	-
9	39046990	एमटी	6	-	-	-
10	39049000	एमटी	83,293	-	-	-
11	39049010	एमटी	29,401	98,965	1,84,237	1,59,481
12	39049090	एमटी	2,236	7,126	21,980	24,813
	कुल	एमटी	**1,34,109**	**1,19,179**	**2,25,818**	**1,98,128**

16. यह भी नोट किया गया है कि सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और संबद्ध जांच के दायरे पर किसी भी तरह बाध्यकारी नहीं है।

17. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद रासायनिक विशेषताओं, उत्पाद विनिर्देशन, तकनीकी विनिर्देशन, विनिर्माण प्रक्रिया और प्रौद्योगिकी, कार्य और प्रयोग, कीमत निर्धारण वितरण और विपणन तथा वस्तुओं के टैरिफ वर्गीकरण की दृष्टि से संबद्ध देशों से आयातित वस्तु से तुलनीय है। ये दोनों तकनीकी और वाणिज्यिक रूप से प्रतिस्थापनीय हैं। तदनुसार, प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग द्वारा उत्पादित उत्पाद नियमावली के 2(घ) के अनुसार संबद्ध देशों से आयातित विचाराधीन उत्पाद से समान वस्तु है और विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही रहेगा जैसा मूल जांच में परिभाषित था।

घ. <u>घरेलू उद्योग का दायरा और स्थिति</u>

घ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

18. घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए हैं:

क. ग्रेसिम इंडस्ट्रीज लिमिटेड के साथ लुब्रिजोल पड़ोसी देशों में पाइपिंग के प्रयोग की बढ़ती हुई मांग को पूरा करने के लिए 1,00,000 एमटी क्षमता के साथ एक पीसीवीसी रेजिन विनिर्माण इकाई की स्थापना कर रहा है। इस संयंत्र के 2025 के आरंभ तक चालू होने की उम्मीद है।

घ.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

19. घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग के दायरे और स्थिति के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. यह आवेदन डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया था और इपीग्राल लिमिटेड द्वारा समर्थित है। जांच अवधि के दौरान बाजार में उत्पाद का उत्पादन करने वाले कोई अन्य उत्पादक नहीं हैं।

ख. घरेलू उद्योग से चीन की कीमतों का उल्लेख करके उपभोक्ताओं द्वारा अतर्कसंगत कम कीमत की मांग की जा रही है। घरेलू उद्योग ने आयात कीमतों की जांच करने के लिए बाजार से सीपीवीसी रेजिन की थोड़ी मात्रा खरीदने का निर्णय लिया है।

ग. उपायों के लागू होने से घरेलू उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने स्वयं को पूर्णत: स्थापित किया है और ईष्टतम स्तर पर उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा, उसने विचाराधीन उत्पाद के लिए अपने संयंत्र की स्थापना हेतु अब अन्य घरेलू उत्पादकों को प्रोत्साहित किया है। घरेलू उद्योग ने उत्पाद की अपनी क्षमताएं भी बढ़ाई हैं। निम्नांकित तालिका भारतीय उद्योग द्वारा पहले से किए गए और अब तक घोषित निवेश को दर्शाती है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	पीओआई	*एसएसआर पीओआई	वर्तमान	2025+

1	उत्पादकों की संख्या	संख्या	1	2	3	3+2 (ईसी)
2	क्षमता	एमटी	10,000	40,000	195,000	215,000
3	निवेश	रूपए (करोड़)	300	+200	+1400	> 2400
4	मांग	एमटी	130,000	235,000	240,000	252,000

**पीओआई 1 जुलाई 2022-30 जून 2023*

क्र.सं.	उत्पादक	क्षमता (एमटी)	निवेश रूपए (करोड़)	स्थिति
1	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	10,000	300	शुरू हुआ
2	इपीग्राल लिमिटेड	30,000	200	शुरू हुआ
3	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	10,000	150	2023-24 की चौथी तिमाही में प्रत्याशित उत्पादन
4	इपीग्राल लिमिटेड	45,000	300	2023-24 की चौथी तिमाही में प्रत्याशित उत्पादन
5	लुब्रिज़ोल	1,00,000	1200	संयंत्र का निर्माण शुरू हुआ
6	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	20,000	150	पर्यावरण स्वीकृत लंबित है
	कुल	2,15,000	> 2400	

घ.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

20. प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान आवेदन डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा दायर किया गया है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने प्रमाणित किया है कि उसने विचाराधीन उत्पाद का आयात नहीं किया है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम के सौदावार आंकड़ों की जांच की है और पाया है कि डीसीडब्ल्यू

लिमिटेड द्वारा विचाराधीन उत्पाद का कोई आयात नहीं हुआ है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने यह अतिरिक्त सूचना दी है कि उसने घरेलू बाजार से सीपीवीसी रेजिन की कतिपय मात्रा खरीदी है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड द्वारा की गई खरीद संबंधी सूचना समग्र रूप से और कुल आयातों के संबंध में नीचे दर्शाई गई है।

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2020-21**	**अप्रैल'21 से जून'22**	***पीओआई**
1	सीपीवीसी रेजिन की खरीद	एमटी	***	***	***
2	डीसीडब्ल्यू का सीपीवीसीरेज़िन का उत्पादन	एमटी	***	***	***
3	सीपीवीसी रेजिन के उत्पादन में खरीद का हिस्सा	%	***	***	***
4	सीपीवीसी रेजिन की भारत में मांग	एमटी	***	***	***
5	मांग में खरीद का हिस्सा	%	***	***	***
6	सीपीवीसी रेजिन का भारत में कुल आयात	एमटी	1,19,179	2,25,818	1,98,128
7	सीपीवीसी रेजिन के कुल आयात में खरीद का हिस्सा	%	***	***	***
8	सीपीवीसी रेजिन के कुल आयात में खरीद का हिस्सा	रेंज	***	***	***
9	सीपीवीसी रेजिन का चीन जन. गण. से आयात	एमटी	7,826	54,012	54,872
10	सीपीवीसी रेजिन के चीन के आयातों में खरीद का हिस्सा	%	***	***	***

11	सीपीवीसी रेजिन के चीन के आयातों में खरीद का हिस्सा	रेंज	***	***	***

**पीओआई 1 जुलाई 2022-30 जून 2023*

21. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग द्वारा सीपीवीसी की खरीद की मात्रा बहुत मामूली है। प्राधिकारी के लिए यह जांच करना अपेक्षित है कि क्या घरेलू उद्योग ने इतनी बड़ी मात्रा में या ऐसी स्थिति में विचाराधीन उत्पाद का आयात या आयातित खरीद की है जो ऐसे घरेलू उत्पादक को अयोग्य बना देती हो।

22. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग ने विचाराधीन उत्पाद के लिए अपने दूसरे संयंत्र की स्थापना हेतु 150 करोड़ रूपए का भारी निवेश किया है और यह संयंत्र चालू हो गया है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने यह भी बताया है कि इस उत्पाद के लिए तीसरा संयंत्र स्थापित करने की उसकी योजना है। डीसीडब्ल्यू लिमिटेड ने घरेलू बाजार से सीपीवीसी रेजिन की कम मात्रा में खरीद का कारण बताया है। उन्होंने बताया है कि यह खरीद उत्पाद की आयात कीमत केवल जांच करने के लिए की गई है, क्योंकि उपभोक्ताओं द्वारा सूचित की जा रही कीमत और सीमा शुल्क आंकड़ों में दर्ज कीमत के बीच भारी अंतर है। घरेलू उद्योग से चीन की कीमतों का उल्लेख करके उपभोक्ताओं द्वारा अतर्कसंगत रूप से कमतर कीमत की मांग की जा रही थी। अत: घरेलू उद्योग ने बाजार में मौजूद व्यापारिक स्थिति की जांच करने के लिए बाजार से कुछ सामग्री खरीदने का निर्णय लिया। नीचे जांच की गई आयात कीमत के आधार पर यह देखा गया है कि उत्पादक द्वारा बताया गया कारण न्यायोचित है। अत: प्राधिकरण का निष्कर्ष है कि डीसीडब्ल्यू लिमिटेड नियमावली के नियम 2(ख) की अपेक्षा को पूरा करता है।

23. इपीग्राल लिमिटेड (जिसे पहले मेघमणी फाइनकेम लिमिटेड के रूप में जाना था) भारत में उत्पाद का एक उत्पादक है। इपीग्राल लिमिटेड ने केवल जांच अवधि में उत्पादन की शुरूआत की है। कंपनी ने आवेदन का समर्थन किया है। इपीग्राल लिमिटेड के साथ जांच अवधि में 30,000 एमटी की क्षमता थी। इपीग्राल लिमिटेड ने यह बताते हुए एक पत्र प्रस्तुत किया है कि उन्होंने अपनी क्षमता बढ़ाई है और 45,000 एमटी से अपने नये संयंत्र में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

24. लुब्रिजोल ने विचाराधीन उत्पाद के एक उपभोक्ता के रूप में वर्तमान जांच में भाग लिया है। कंपनी ने बताया है कि वह 150 मिलियन डॉलर के लक्षित निवेश के साथ विला विलायत,

गुजरात ने 100,000 एमटी की कुल क्षमता के साथ सीपीवीसी रेजिन सुविधा की स्थापना की है जिसके 2025 तक वाणिज्यिक उत्पादन शुरू करने की संभावना है।

25. जांच अवधि में भारत में सीपीवीसी रेजिन का कोई अन्य उत्पादक नहीं है। यद्यपि ऐसे उत्पादक हैं जो सीपीवीसी रेजिन का आयात करते हैं और उसे सीपीवीसी यौगिक में बदलते हैं, परंतु उन्हें इस कानून के प्रयोजनार्थ और मूल जांच के अनुसार नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर ''घरेलू उद्योग'' नहीं माना गया है। मूल जांच में प्राधिकारी ने निम्नानुसार माना था:

> *''23.सीपीवीसी यौगिक के ऐसे कुछ उत्पादक हैं जो या तो डीसीडब्ल्यू से सीपीवीसी रेजिन खरीद रहे हैं या रेजिन का आयात कर रहे हैं और पाइप बनाने के लिए सीपीवीसी यौगिक के निर्माण हेतु उसका प्रसंस्करण कर रहे हैं। ऐसी कंपनियां जिनके पास सीपीवीसी रेजिन के विनिर्माण की सुविधा नहीं है, परंतु वे खरीदी हुई सीपीवीसी रेजिन (स्वदेशी रूप से और/ या आयातित) से केवल यौगिक बनाते हैं, जिनमें लुब्रिजोल इंडिया शामिल है, को इस कारण से नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर ''घरेलू उद्योग'' नहीं माना गया है कि (क) वर्तमान जांच में विचाराधीन उत्पाद '' क्लोरीनेटेड पोलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहे यौगिक रूप में प्रसंस्कृत हो अथवा नहीं'' है। इस प्रकार संबद्ध वस्तु सीपीवीसी रेजिन है या सीपीवीसी रेजिन यौगिक है। इसलिए घरेलू उत्पादक (कों) के लिए पात्र घरेलू उद्योग बनने के लिए सीपीवीसी रेजिन का विनिर्माता होना अनिवार्य है, चाहें वे रेजिन को यौगिक बनाने के व्यापार में शामिल हों अथवा नहीं और (ख) सीपीवीसी रेजिन की एक मात्र उत्पादक होने के कारण केवल डीसीडब्ल्यू लि० से घरेलू रूप से सीपीवीसी की खरीद करने वाले कंपाउंडर हैं और इसलिए उनकी उत्पादन मात्रा को शामिल करने से दोहरी गणना हो जाएगी, क्योंकि डीसीडब्ल्यू लि० के उत्पादन क्षमता को पहले ही शामिल किया गया है।*

26. यह नोट किया जाता है कि आवेदक नियम 2(ख) के अर्थ के भीतर घरेलू उद्योग है और आवेदक नियमावली के नियम 5(3) के अनुसार स्थिति संबंधी मापदंडों को पूरा करता है, यद्यपि नियम 23 के अंतर्गत शुरू की गई किसी निर्णायक समीक्षा में नियम 5(3) के अर्थ के भीतर स्थिति को सिद्ध करना आवश्यक नहीं है।

ङ. <u>विविध अनुरोध</u>

ङ.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

27. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित विविध अनुरोध किए गए हैं:

i. आशीर्वाद ने बताया है कि नियम 29 और नियम 30 में जांच शुरूआत और समावेशनरोधी निर्धारण के लिए अपनाई जाने वाली कार्यवाही और प्रक्रिया का उल्लेख है। निर्णायक समीक्षा अधिनियम की धारा 9क (5) और नियमावली के नियम 23 की विषय वस्तु हैं। इन्हें एक दूसरे के स्थान पर प्रयोग नहीं किया जा सकता है।

ii. आशीर्वाद ने बताया है कि समावेशनरोधी उपचार नियमावली के अंतर्गत एक अलग जांच होना चाहिए।

iii. आशीर्वाद ने अनुरोध किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हो रही है। इसलिए शुल्क का रूप बदलकर शुल्क जारी रखने को कोई औचित्य नहीं है और न ही यह न्यायोचित है।

iv. आशीर्वाद ने बताया है कि शुल्क के रूप में आरंभिक कीमत या परिवर्तनशील कीमत यह सुनिश्चित करेगी कि घरेलू उद्योग को शुल्क का अनुचित लाभ न हो ।

v. ड. आशीर्वाद ने अनुरोध किया है कि उसे जानकारी नहीं है, न ही वह आयात शुल्क में गड़बड़ी या उससे बचने के किसी कृत्य में शामिल अथवा किसी तरह से जुड़ा हुआ है।

vi. हानवा ने अनुरोध किया है कि चूंकि घरेलू उद्योग ने स्वयं माना है कि पूर्व में ऐसी कोई घटना नहीं हुई है जिसमें कोरियाई उत्पादकों ने अनुचित प्रक्रियाओं को अपनाया हो। हानवा के लिए भारत, तीसरे देशों और कोरिया के घरेलू बाजार में कीमतें बाजार में प्रचलित कीमत पर आधारित होती हैं। कीमतों में लगभग कोई अंतर नहीं होता है।

vii. हानवा ने बताया है कि यद्यपि घरेलू उद्योग ने इस बात पर ध्यान दिलाया कि आयातों ने व्यापारियों का हिस्सा बढ़ा है। तथापि, भारत को कोरिया गणराज्य से आयातों का अधिकांश हिस्सा प्रयोक्ता उद्योग द्वारा निर्मित है और न कि व्यापारी द्वारा ।

viii. हानवा ने अनुरोध किया है कि जांच शुरूआत अधिसूचना या प्रश्नावली में यह विनिर्दिष्ट है कि निर्यातक के लिए तीन पूर्ववर्ती वर्षों के भीतर पीओआई संबंधी सूचना देना आवश्यक है। हानवा कारपोरेशन के लिए लेखांकन वर्ष कलेंडर वर्ष है और तदनुसार, सूचना दी गई है।

ix. लुब्रिजोल ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से निर्यातक बेंचमार्क स्तर के बराबर आयात कीमत रखकर, उद्गम के देश की गलत घोषणा के द्वारा शुल्क की प्रवंचना कर रहे हैं। शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों की कीमतों के बीच भारी अंतर है।

x. लुब्रिजोल ने बताया है कि चीन जन. गण. से निर्यातक व्यापारियों की संख्या में 2020 में 14 व्यापारी कंपनियों से 2023 से 41 व्यापारी कंपनियों तक की वृद्धि हुई है। कुल निर्यातों का लगभग एक तिहाई केवल नए व्यापारियों द्वारा किया गया है।

xi. लुब्रिजोल ने बताया है कि व्यापारियों की भागीदारी में वृद्धि ऐसी किसी व्यवस्था को दर्शाती है जिसमें विचाराधीन उत्पाद की उच्चतर कीमत सूचित की जाती है जिसे बाद में अन्य उत्पादों की आयात कीमत से समायोजित किया जाता है।

xii. लुब्रिजोल ने बताया है कि कोरिया गणराज्य के मूल की सीपीवीसी की कीमत 2020 से एक समान रही है और इसमें विनिर्माण लागत, ऊर्जा और मालभाड़ा लागतों में वृद्धि के अनुसार बाजार में विभिन्न बदलाव प्रदर्शित नहीं होते हैं।

ड.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

28. घरेलू उद्योग ने निम्नलिखित विविध अनुरोध किए हैं:

i. ऐसे देशों से भारी मात्रा में आयात हो रहे हैं, जहां सीपीवीसी रेजिन का कोई उत्पादन नहीं होता है। चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से गैर उत्पादक देशों को सीपीवीसी रेजिन का निर्यात हो रहा है और गैर उत्पादन देशों से शुल्क की प्रवंचना हेतु भारत को निर्यात किया जा रहा है। घरेलू उद्योग ने प्रवंचनारोधी आवेदन दायर किया है जिसे इस आधार पर शुरू नहीं किया है कि आयात मात्रा में कोई अचानक वृद्धि नहीं हुई है।

ii. घरेलू उद्योग ने शुल्क का रूप बदलने के लिए समामेलनरोधी और प्रवंचनारोधी आवेदन दायर किए थे। तथापि, जांच अब तक शुरू नहीं हुई है। प्राधिकारी ने विभिन्न पूर्ववर्ती जांचों में शुल्क के रूप को बेंचमार्क / संदर्भ कीमत से बदल कर शुल्क के मूल्यवर्धन रूप में परिवर्तित किया है।

iii. चीन के उत्पादकों में भागीदारी में कमी उस वास्तविक कीमत की सूचना देने की उनकी अनिच्छा को दर्शाता है जिस पर वे विचाराधीन उत्पाद का निर्यात कर रहे हैं। चीन के उत्पादकों ने मूल जांच में भाग लिया था जिसने आयात की मात्रा केवल 34,000 एमटी

थी, परंतु मात्रा से 60,000 एमटी तक बढ़ जाने के बावजूद वर्तमान जांच में उन्होंने भाग नहीं लिया है। उन्हें असहयोगी माना जाना चाहिए।

iv. उपायों के लागू होने से पहले सभी आयात प्रयोक्ताओं द्वारा सीधे किए गए थे। तथापि उपायों के लागू होने के बाद 30 प्रतिशत आयात व्यापारियों द्वारा हो रहे हैं। व्यापारियों द्वारा 90 प्रतिशत आयात संबद्ध देशों से हो रहे हैं।

v. व्यापारियों की संख्या में 2019-20 में 7 से जांच अवधि में 60 की वृद्धि हुई है।

vi. आरंभ में मांग - आपूर्ति में अंतर के कारण बेंचमार्क शुल्क या न्यायोचित हो सकता है, अब उसकी जरूरत नहीं है, क्योंकि घरेलू उद्योग लंबे समय से मौजूद है और मांग - आपूर्ति में अंतर के समाप्त होने की संभावना है। उपायों के बेंचमार्क रूप की आवश्यकता नहीं है और अब उसे बदला जाना चाहिए।

vii. उपायों के बेंचमार्क रूप को इस इरादे से नहीं लगाया गया था कि विदेशी उत्पादकों को अपनी कीमतें समायोजित करने का मौका मिल जाए। प्राधिकारी ने ऐतिहासिक रूप से घरेलू मांग को पूरा करने के लिए आयातों के आवश्यक होने पर इस नीति का प्रयोग किया है। इसका उद्देश्य बेंचमार्क और पहुंच कीमत के बीच अंतर के आधार पर शुल्क लगाकर पाटन के विभिन्न मात्राओं का समाधान करना था और न कि निर्यातकों द्वारा कीमत समायोजन में सुविधा पहुंचाना।

viii. वर्तमान जांच में क्षति अवधि 2019-20, 2020-21, अप्रैल 2021- जून 22 और जांच अवधिकी है। तथापि, हानवा द्वारा प्रस्तुत प्रश्नावली के उत्तर में उसने 2020, 2021, 2022 और जांच अवधि के लिए आंकड़े दिए हैं। आधार वर्ष अर्थात 2019 के लिए आंकड़े हानवा सल्यूशंस कारपोरेशन द्वारा छिपाए गए हैं।

ix. ऐसे देशों से विचाराधीन उत्पाद का भारी मात्रा में आयात हुआ है जिनमें सीपीवीसी रेजिन या सीपीवीसी यौगिक का कोई उत्पादन नहीं होता है। सीपीवीसी रेजिन का केवल चीन जन. गण., भारत, जापान, कोरिया गणराज्य, थाईलैंड और संयुक्त राज्य अमेरिका में उत्पादन हो रहा है। तथापि, सीपीवीसी रेजिन को कोलंबिया, मलेशिया, नेपाल, श्रीलंका, संयुक्त अरब अमीरात से आयात किया जा रहा है। इसके अलावा, सीपीवीसी यौगिक को किसी रेजिन उत्पादन के बिना कोलंबिया, मलेशिया, मैक्सिको, नेपाल, संयुक्त अरब अमीरात, श्रीलंका और सऊदी अरब से आयातित किया जा रहा है।

x. यह देखा जा सकता है कि ऐसे देशों से भारी मात्रा में आयात हुए हैं, जहां सीपीवीसी रेजिन का कोई उत्पादन नहीं होता है। रेजिन रूप में सीपीवीसी को चीन और कोरिया से इन देशों को निर्यात किया जा रहा है, जहां से इन्हें सीधे नौवहन किया जा रहा है या यौगिक रूप में बदला जा रहा है और भारत को निर्यातित किया जा रहा है।

xi. यदि चीन या कोरिया से आयातित रेजिन और यौगिक दोनों ही उपाय के अधीन है तो इसका अर्थ है कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से इतर किसी देश से आयातित रेजिन या यौगिक उपायों के अधीन होने चाहिए। यदि वह रेजिन चीन अथवा कोरिया के मूलता वाला हो।

ड.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

29. शुल्क के रूप में बदलाव के संबंध में पक्षकारों के अनुरोध के बारे में प्राधिकारी मानते हैं कि उपायों के रूप को मामलावार आधार पर देखा जाना अपेक्षित है। न तो अधिनियम की धारा 9क(5) और न ही नियमावली का नियम 23 समीक्षा के स्तर पर किसी विशेष रूप या रूप में बदलाव को विहित अथवा बहिष्कृत करता है। प्राधिकारी ने पूर्ववर्ती अनेक जांचों में निर्णायक समीक्षा जांच के दौरान उपायों में तब संशोधन किया है जब जांच के तथ्यों ने इसे न्यायोचित ठहराया हो।

30. मूल जांच में पाटनरोधी उपाय को बेंचमार्क के रूप में लगाया गया था। यह इस तथ्य के मद्देनजर था कि मांग और आपूर्ति में बहुत बड़ा वर्तमान और संभावित अंतर था और उस जांच में घरेलू उद्योग आरंभिक स्थिति में था। अब वह पर्याप्त अवधि से प्रचालनरत में है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग ने अपना विस्तार किया है और दूसरा विस्तार करने की भी उसकी योजना है। इपीग्राल लिमिटेड ने भी 75,000 एमटी की संयुक्त क्षमता के साथ भारत में दो संयंत्रों की स्थापना की है। इसके अलावा, तीसरा उत्पादकलुब्रिज़ोल एडवांस्ड मैटेरियल्स इंडिया प्राइवेट लिमिटेड भी 1,00,000 एमटी का एक संयंत्र स्थापित कर रहा है। निम्नांकित तालिका वर्तमान और संभावित क्षमताओं को दर्शाती है। इन्हें इस उत्पाद के घरेलू उद्योग द्वारा बताया गया है।

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**ओआई पीओआई**	**एसएसआर पीओआई**	**2025+**
1	खपत	एमटी	***	***	2,52,000

2	अन्य देशों द्वारा पूरी की गई मांग	एमटी	***	***	37,000
3	भारत और संबद्ध देशों के लिए निवल मांग	एमटी	***	***	-
4	भारत में क्षमता	एमटी	10,000	40,000	2,15,000
5	पाटित आयातों द्वारा पूरी गई मांग	एमटी	***	***	

*स्रोत - *मूल और समीक्षा अंतिम निष्कर्ष के अनुसार*

***घरेलू उद्योग के अनुरोध*

31. अत: मूल जांच के समय मौजूदा परिस्थितियां अब वास्तव में बदल चुकी हैं। इसके अलावा, निकटतम प्रत्याशित भविष्य में संभावित परिस्थितियां भी काफी अलग होंगी।

32. प्राधिकारी यह भी नोट करते हैं कि शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों की आयात कीमत में भारी अंतर, व्यापारियों की संख्या में वृद्धि के कारण व्यापार की प्रवृत्ति में बदलाव और उपायों के बेंचमार्क रूप से आयात कीमतों के समायोजन के संबंध में विभिन्न हितबद्ध पक्षकारों के अनुरोधों को नोट किया गया है।

33. प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा यह दलील दी गई है कि चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से अन्य देशों को सीपीवीसी रेजिन का निर्यात किया जा रहा है और उसके बाद उसे या तो भारत को सीधे नौवहन किया जाता है या यौगिक में बदला जाता है और फिर भारत को निर्यात किया जाता है। घरेलू उद्योग ने बताया है कि उन देशों में सीपीवीसी रेजिन का कोई उत्पादन नहीं होता है। प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम्स सौदावार आंकड़ों की जांच की है और ऐसे देशों जो सीपीवीसी रेजिन का उत्पादन नहीं कर रहे हैं, से भारत में सीपीवीसी रेजिन के आयातों की निम्नलिखित मात्रा पाई है:-

क्र.सं.	**देश**	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल'21-जून'22**	**पीओआई**
1	संयुक्त अरब अमीरात	एमटी	408	596	120	148
2	कोलंबिया	एमटी	-	-	80	-
3	मलेशिया	एमटी	-	45	18	-

स्रोत - डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार

**पीओआई 1 जुलाई 2022-30 जून 2023*

34. निम्नांकित तालिका भारत में सीपीवीसी यौगिक के आयातों की मात्रा दर्शाती है:

क्र.सं.	देश	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22	पीओआई
1	संयुक्त अरब अमीरात	एमटी	1,413	3,788	4,709	1,691
2	श्रीलंका	एमटी	469	1,044	1,264	1,296
3	चीन पी आरपी	एमटी	213	7	439	479
4	मलेशिया	एमटी	623	1,807	1,241	-
5	कोलंबिया	एमटी	-	100	208	-
6	मैक्सिको	एमटी	35	177	-	-
7	सऊदी अरब	एमटी	11	137	11	-

स्रोत - डीजी सिस्टम के आंकड़ों के अनुसार
**पीओआई 1 जुलाई 2022-30 जून 2023*

35. प्राधिकरण नोट करता है कि गैर-विषय देशों से सीपीवीसी रेजिन का आयात, लेकिन मूल देश को विषय देश के रूप में रखने पर पहले से ही विषय जांच के तहत कवर किया जाएगा और एंटी-डंपिंग शुल्क लगेगा। गैर-विषय देशों से भारत में सीपीवीसी कंपाउंड के आयात के संबंध में, सीपीवीसी रेजिन का मूल देश-चीन पीआर है, घरेलू उद्योग ने अपने दावे को साबित करने के लिए सबूत प्रदान नहीं किया है।

च. <u>सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन का निर्धारण</u>

च.1 अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

36. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. हानवा ने बताया है कि संदर्भ कीमत के रूप में पाटनरोधी उपाय लागू होने के बावजूद हानवा के निर्यात कीमत बाजार चालित है और वह संदर्भ कीमत शुल्क से प्रभावितनहीं होती है।

ii. हानवा ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग का अविश्वसनीय निर्यात कीमत का दावा चीन जन. गण. के लिए सही है किंतु कोरिया गणराज्य के लिए सही नहीं है। इसके अलावा, घरेलू उद्योग द्वारा सूचित कच्ची सामग्री का मासिक रूझान और भारत को निर्यात कीमत समान प्रवाह को दर्शाती हैं।

iii. हानवा ने बताया है कि उसने पाटन नहीं किया है, क्योंकि उसने भारत को विचाराधीन उत्पाद का ऐसी कीमत पर निर्यात किया है जो कोरिया ने घरेलू कीमत और अन्य देशों को निर्यात कीमत से अधिक है।

iv. एसएआर ने बताया है कि उसकी कीमतें बाजार चालित हैं और संबद्ध वस्तु की अंतर्राष्ट्रीय कीमतों के अनुसार हैं।

v. एसएआर ने बताया है कि उसकी निर्यात कीमत मूल जांच में प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित संदर्भ कीमत से 20 प्रतिशत से ज्यादा अधिक थी।

च.2 घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

37. घरेलू उद्योग ने सामान्य मूल्य, निर्यात कीमत और पाटन मार्जिन के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने वर्तमान जांच में भाग नहीं लिया है इसलिए प्राधिकारी के लिए अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार सामान्य मूल्य निर्धारित करना अपेक्षित है और उन्हें थाईलैंड से आयात कीमत के आधार पर सामान्य मूल्यपर विचार करना चाहिए।

ii. मूल जांच में चीन जन. गण. से 6 उत्पादकों ने भाग लिया था और उन्हें अलग-अलग शुल्क प्रदान किए गए थे। तथापि, वर्तमान जांच में किसी भी उत्पादक या निर्यातक ने भाग नहीं लिया है। ऐसा मूल जांच में आयातों की मात्रा में 34,000 एमटी से वर्तमान जांच में 60,000 एमटी तक की भारी वृद्धि के बावजूद हुआ है।

iii. घरेलू उद्योग ने थाईलैंड से आयात कीमत पर आधारित सामान्य मूल्य का दावा किया है । तथापि जांच शुरूआत अधिसूचना में प्राधिकारी ने भारत में देय कीमत के आधार पर सामान्य मूल्य पर विचार किया है। नियमावली में निर्धारित अनुक्रम का पालन किया जाना चाहिए।

iv. उत्पाद के लिए नियोजित प्रति इकाई पूंजी दो लाख प्रति एमटी से अधिक है। यदि सामान्य मूल्य के लिए तर्कसंगत आय के रूप में केवल पांच प्रतिशत की अनुमति दी जाती है, तो इसका अर्थ प्रति एमटी पर 6000 रूपए का लाभ होगा जिसका अर्थ है कि केवल 3 प्रतिशत का लाभ होगा। यदि बाजार में ऐसी कीमत पर विचार किया जाए तो कोई उत्पादक निवेश नहीं करेगा। अत: परिकलित सामान्य मूल्य के लिए लाभ पर घरेलू उद्योग के औसत लाभ मार्जिन के आधार पर विचार किया जाना चाहिए।

v. चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से औसत आयात कीमत पर आधारित पाटन मार्जिन अविश्वसनीय है, क्योंकि आयात कीमतें अपनी इनपुट कीमतों पर विचार नहीं करते हुए बेंचमार्क के स्तर के आसपास रही हैं।

vi. हानवा द्वारा प्रस्तुत उत्तर से यह देखा जा सकता है कि यद्यपि अन्य देशों को निर्यात कीमत में जांच अवधि के दौरान गिरावट आई है। तथापि, भारत को निर्यात कीमत उसी स्तर पर बनी रही है। उक्त बात साफ तौर पर दर्शाती है कि भारतीय बाजार में कीमतों को बेंचमार्क स्तर पर सुमेलित किया गया है।

vii. इस अनुरोध के संबंध में कि हानवा से आयात कीमत बाजार कीमत की, यह नहीं माना जा सकता कि बेंचमार्क बाजार कीमत था। यदि बेंचमार्क स्तर बाजार कीमत होता तो अन्य देशों से आयात कीमत भी उसी स्तर पर बनी रहती।

viii. शुल्क मुक्त आयात कीमतों और शुल्क प्रदत्त कीमतों के बीच अंतर पाटनरोधी उपाय लागू होने से पहले मामूली था। उपाय लागू होने के तुरंत बाद संबद्ध देशों से उत्पादकों ने अपनी शुल्क प्रदत्त कीमतों को बेंचमार्क स्तर पर सुमेलित कर दिया तथा शुल्क मुक्त बाजार में कीमत काफी कम बनी रही है। निम्नांकित तालिका शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों की आयात कीमत दर्शाती है।

क्र.सं.	अवधि	यूओएम	शुल्क मुक्त	शुल्क प्रदत्त	अंतर

1	दिसम्बर-18	रू./एमटी	88,755	89,600	845
2	अक्टूबर 19	रू./एमटी	86,789	1,02,680	15,891
3	नवंबर-19	रू./एमटी	85,680	1,18,078	32,398
4	जनवरी-20	रू./एमटी	85,424	1,32,740	47,316
5	मार्च-20	रू./एमटी	89,100	1,36,242	47,142
6	अप्रैल-20	रू./एमटी	93,147	1,42,143	48,996
7	अगस्त-20	रू./एमटी	92,459	1,46,625	54,166
8	सितम्बर-20	रू./एमटी	88,179	1,54,653	66,474
9	अक्टूबर-20	रू./एमटी	1,22,394	1,52,713	30,319
10	नवंबर-20	रू./एमटी	98,274	1,49,274	51,000
11	दिसम्बर-20	रू./एमटी	1,31,135	1,39,773	8,638
12	जनवरी-21	रू./एमटी	1,08,104	1,47,241	39,137
13	फरवरी-21	रू./एमटी	1,10,242	1,44,098	33,856
14	मार्च-21	रू./एमटी	1,05,023	1,41,014	35,992
15	अप्रैल-21	रू./एमटी	1,17,290	1,52,321	35,031
16	मई-21	रू./एमटी	1,30,370	1,46,420	16,050
17	जून-21	रू./एमटी	1,30,030	1,47,548	17,518
18	अगस्त-21	रू./एमटी	1,29,001	1,40,675	11,674
19	सितम्बर-21	रू./एमटी	1,30,390	1,38,950	8,560
20	सितम्बर 22	रू./एमटी	1,53,966	1,64,636	10,670
21	नवम्बर-22	रू./एमटी	1,28,030	1,69,365	41,335

22	जनवरी-23	रू./एमटी	1,08,463	1,52,581	44,118
23	फरवरी-23	रू./एमटी	1,11,105	1,50,900	39,795
24	अप्रैल-23	रू./एमटी	1,14,120	1,57,262	43,143
25	मई-23	रू./एमटी	1,02,277	1,62,887	60,609
26	जून-23	रू./एमटी	1,00,917	1,75,596	74,678

स्रोत - घरेलू उद्योग के अनुरोध

ix. उपायों के लागू होने से पहले शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों के बीच अंतर कम था। तथापि, पाटनरोधी उपायों के बाद शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों के बीच अंतर में क्षति अवधि में धीरे-धीरे वृद्धि हुई और यह वृद्धि जांच अवधि (पीओआई 1 जुलाई 2022-30 जून 2023) में काफी अधिक थी। वास्तव में यह अंतर बढ़कर 74,678 रूपए प्रति एमटी के उच्च स्तर पर पहुंच गया।

x. निम्नांकित तालिका जांच अवधि के लिए कच्ची सामग्री और सीपीवीसी रेजिन की मासिक आयात कीमत दर्शाती है। इससे पता चलता है कि सीपीवीसी की कीमतें पहले सुमेलित थीं और सीपीवीसी रेजिन की कीमत से सुमेलित करनी चाहिए थी, परंतु उपायों के लागू होने के बाद अब ऐसा नहीं है।

क्र.सं.	अवधि	माह	सीपीवीसी रेजिन की आयात कीमत		आयात कीमत पीवीसी (आरएम) डॉलर/एमटी	चीन के साथ अंतर डॉलर/एमटी	कोरिया के साथ अंतर डॉलर/एमटी
			चीन जन. गण. डॉलर/एमटी	कोरिया गणराज्य डॉलर/एमटी			
1	शुल्क पूर्व	अप्रैल-19	1,188	1,222	910	278	291
2		मई-19	1,186	1,181	886	299	283

3		जून 19	1,142	1,189	862	280	328
4		जुलाई-19	1,179	1,195	867	312	320
5		अगस्त-19	1,183	1,173	876	307	283
6	शुल्क पश्चात	सितम्बर-19	1,306	1,308	887	419	414
7		अक्टूबर 19	1,422	1,205	898	524	304
8		नवंबर-19	1,633	1,213	890	743	316
9		दिसम्बर-19	1,633	1,461	879	754	593
10		जनवरी-20	1,846	-	858	988	619
11		फरवरी-20	1,837	1,467	845	992	613
12		मार्च-20	1,827	-	853	974	553
13		अप्रैल-20	1,848	1,439	861	987	554
14		मई-20	1,917	-	874	1,043	589
15		जून 20	1,892	1,595	762	1,130	853
16		जुलाई-20	2,000	-	733	1,267	872
17		अगस्त-20	1,933	1,751	756	1,177	968
18		सितम्बर-20	2,076	1,752	826	1,250	929
19		अक्टूबर-20	2,053	-	895	1,158	872

20		नवंबर-20	1,990	1,754	963	1,027	812
21		दिसम्बर-20	1,873	1,451	1,074	799	430
22		जनवरी-21	1,988	1,799	1,184	804	645
23		फरवरी-21	1,953	1,800	1,283	670	490
24		मार्च-21	1,915	1,798	1,342	573	419
25		अप्रैल-21	2,028	1,809	1,316	712	411
26		मई-21	1,958	1,879	1,431	527	392
27		जून-21	1,988	1,842	1,540	448	242
28		जुलाई-21	1,926	1,844	1,542	384	369
29		अगस्त-21	1,871	1,890	1,467	404	533
30		सितम्बर-21	1,872	1,871	1,318	554	561
31		अक्टूबर-21	1,999	1,867	1,450	549	426
32		नवंबर-21	2,146	1,872	1,588	558	286
33		दिसम्बर-21	2,366	1,892	1,731	635	327
34		जनवरी-22	2,420	1,847	1,826	594	267
35		फरवरी-22	2,327	2,050	1,685	642	490
36		मार्च-22	2,383	2,303	1,570	813	764

37		अप्रैल-22	2,432	2,181	1,542	890	642
38		मई-22	2,320	2,095	1,550	770	492
39		जून-22	2,407	2,417	1,529	878	844
40		जुलाई-22	2,394	2,141	1,444	950	750
41		अगस्त-22	2,192	2,181	1,321	871	1,022
42		सितम्बर 22	2,047	2,165	1,137	910	1,110
43		अक्टूबर-22	1,989	2,195	993	996	1,214
44		नवम्बर-22	2,034	2,145	946	1,088	1,226
45		दिसम्बर-22	1,894	2,143	873	1,021	1,276
46		जनवरी-23	1,835	2,090	805	1,030	1,296
47		फरवरी-23	1,816	2,019	836	980	1,138
48		मार्च-23	2,157	1,958	882	1,275	1,010
49		अप्रैल-23	1,892	2,021	921	971	1,082
50		मई-23	1,963	1,905	890	1,073	1,053
51		जून-23	2,110	1,885	858	1,252	1,048

स्रोत - घरेलू उद्योग का दावा

xi. कच्ची सामग्री की कीमत में बदलाव और चीन जन. गण. से आयात कीमत के बीच कोई सह संबंध नहीं है। यह अंतर जो उपाय लागू होने से पहले लगभग 300 डॉलर/एमटी था शुल्क लागू होने के बाद बढ़कर 1000 डॉलर/एमटी हो गया। तथापि, मालभाड़ा मुद्दों के कारण वैश्विक व्यापार प्रभावित होने की वजह से सीपीवीसी रेजिन की कीमतों में वृद्धि हुई, परंतु विचाराधीन उत्पाद (सीपीवीसी रेजिन) की कीमत समान स्तर पर बनी रही और यह अंतर घटकर लगभग 500 डॉलर/एमटी हो गया। हाल की अवधि में मालभाड़ा समस्या का समाधान होने पर और सीपीवीसी की कीमतों के घटने के कारण विचाराधीन उत्पाद की कीमत समान स्तर पर रही है।

xii. साक्ष्य स्पष्ट रूप से दर्शाते हैं कि सीमा शुल्क प्राधिकारियों द्वारा सूचित आयात कीमत अविश्वसनीय है और निर्यातकों तथा आयातकों के बीच क्षतिपूर्ति व्यवस्थाएं मौजूद हैं।

xiii. पाटनरोधी शुल्क लागू होने से पहले व्यावहारिक रूप से समूचे आयात भारत में उपभोक्ताओं द्वारा किए जा रहे थे। तथापि, उपाय लागू होने के बाद अनेक व्यापारी उभरकर सामने आए और संबद्ध आयातों का 90 प्रतिशत से अधिक हिस्सा व्यापारियों द्वारा आयात हुआ। इसके अलावा, व्यापारी कीमतों की समान रेंज होने के बावजूद अन्य सीपीवीसी रेजिन उत्पादक देशों से उत्पाद को प्राप्त नहीं कर रहे हैं (संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वृद्धि हुई है जबकि गैर-संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा समान स्तर पर बनी रही है) व्यापारियों की संख्या में वृद्धि इस बात की ओर इशारा करती है कि आयात कीमतों पर भरोसा नहीं किया जा सकता है।

xiv. पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन के निर्धारण के प्रयोजनार्थ आयात कीमत पर शुल्क मुक्त बाजार में आयात कीमत के आधार पर विचार किया जाना चाहिए। चूंकि शुल्क मुक्त बाजार में आयात कीमत पाटन द्वारा अप्रभावित हैं इसलिए उसे आयात कीमत का आधार माना जा सकता है। इसी प्रकार की नीति प्राधिकारी द्वारा चीन जन. गण. से मेलामाइन के आयातों से संबंधित निर्णायक समीक्षा जांच में अपनाई गई थी।

च.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

च.3.1 चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

क. <u>चीन जन. गण. के लिए सामान्य मूल्य</u>

38. डब्ल्यू टी ओ में चीन के एक्सेशन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15 में निम्नानुसार व्यवस्था हैः "जी ए टी टी 1994 का अनुच्छेद-VI, टैरिफ और व्यापार पर सामान्य करार, 1994 ("पाटनरोधी करार") के अनुच्छेद-VI का कार्यान्वयन संबंधी करार और एससीएम करार किसी डब्ल्यू टी ओ सदस्य में चीन के मूल के आयातों में शामिल कार्यवाही में निम्नलिखित के संगत लागू होगा :

(क) जीएटीटी, 1994 के अनुच्छेद-VI और पाटनरोधी करार के अंतर्गत कीमत तुलनीयता के निर्धारण में आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य या तो जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेंगे या उस पद्धति को उपयोग करेंगे जो निम्नलिखित नियमों के आधार पर चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्ती से तुलना करने में आधारित नहीं हैः

(i) यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह दिखा सकते हैं कि समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग में उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां रहती है तो आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य मूल्य की तुलनीयता का निर्धारण करने में जांचाधीन उद्योग के लिए चीन की कीमतों अथवा लागतों का उपयोग करेगा।

(ii) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उस पद्धति का उपयोग कर सकता है जो चीन में घरेलू कीमतों अथवा लागतों के साथ सख्त तुलना पर आधारित नहीं है, यदि जांचाधीन उत्पादक साफ-साफ यह नहीं दिखा सकते हैं कि उस उत्पाद के विनिर्माण, उत्पादन और बिक्री के संबंध में बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां समान उत्पाद का उत्पादन करने वाले उद्योग के लिए लागू नहीं हैं।

(ख) एससीएम समझौते के भाग II, III और V के अंतर्गत कार्यवाहियों में अनुच्छेद 14(क), 14(ख), 14(ग) और 14(घ) में निर्धारित राज्य हायता को बताते समय एससीएम समझौते के प्रासंगिक प्रावधान लागू होंगे, तथापि, उसके प्रयोग करने में यदि विशेष कठिनाईयां हों, तो आयात करने वाले डब्ल्यूटीओ सदस्य राजसहायता लाभ की पहचान करने और उसको मापने के लिए ऐसी पद्धति का उपयोग कर सकते हैं जिसमें उस संभावना को ध्यान में रखा जाए कि चीन में प्रचलित निबंधन और शर्तें उपयुक्त बेंचमार्क के रूप में सदैव उपलब्ध नहीं हो सकती है। ऐसी पद्धतियों को लागू करने में, जहां व्यवहार्य हो,

आयात करने वाला डब्ल्यूटीओ सदस्य के द्वारा चीन से बाहर प्रचलित निबंधन और शर्तों के उपयोग के बारे में विचार करने से पूर्व ऐसी विद्यामान निबंधन और शर्तों को समायोजित करना चाहिए।

(ग) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य उप-पैराग्राफ (क) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को पाटनरोधी प्रक्रिया समिति के लिए अधिसूचित करेगा तथा उप पैराग्राफ (ख) के अनुसार प्रयुक्त पद्धतियों को सब्सिडी तथा प्रतिसंतुलनकारी उपायों संबंधी समिति को अधिसूचित करेगा।

(घ) आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के तहत चीन के एक बार बाजार अर्थव्यवस्था सिद्ध हो जाने पर, उप पैराग्राफ के प्रावधान (क) के प्रावधान समाप्त कर दिए जाएंगे, बशर्ते कि आयात करने वाले सदस्य के राष्ट्रीय कानून में एक्सेशन की तारीख के अनुरूप बाजार अर्थव्यवस्था संबंधी मानदंड हो। किसी भी स्थिति में उप पैराग्राफ (क)(ii) के प्रावधान एक्सेशन की तारीख के बाद 15 वर्षों में समाप्त हो जाएंगे । इसके अलावा, आयातक डब्ल्यूटीओ सदस्य के राष्ट्रीय कानून के अनुसरण में चीन के द्वारा यह सुनिश्चित करना चाहिए कि बाजार अर्थव्यवस्था की स्थितियां एक विशेष उद्योग अथवा क्षेत्र में प्रचलित हैं, उप पैराग्राफ (क) के गैर-बाजार अर्थव्यवस्था के प्रावधान उस उद्योग अथवा क्षेत्र के लिए आगे लागू नहीं होंगे।"

39. यह नोट किया जाता है कि यद्यपि अनुच्छेद 15(क)(iii) में निहित प्रावधान दिनांक 11.12.2016 को समाप्त हो गए हैं, लेकिन एक्सेसन प्रोटोकोल के अनुच्छेद 15(क) (i) के तहत बाध्यता के साथ पठित डब्ल्यूटीओ के अनुच्छेद 2.2.1.1. के तहत प्रावधानों में नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 8 में निर्दिष्ट मानदंडों को पूरा किए जाने की अपेक्षा की गई है, जिनका बाजार अर्थव्यवस्था के दर्जे का दावा करने के संबंध में अनुपूरक प्रश्नवाली में प्रदान की जाने वाली सूचना/ डेटा के माध्यम से अनुपालन किया जाना आवश्यक है।

40. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने कोई प्रश्नावली उत्तर दाखिल नहीं किया है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण नियमावली के अनुबंध-I के पैरा 7 के अनुसार किया गया है, जिसे इस प्रकार पठन किया जाता है :

"7. गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश से आयात के मामले में, सामान्य मूल्य का निर्धारण उचित लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए भारत में समान उत्पाद के लिए वास्तविक रूप से भुगतान की गई अथवा भुगतान योग्य कीमत सहित, आवश्यकतानुसार विधिवत समायोजन करके, तीसरे देश की बाजार अर्थव्यवस्था में कीमत अथवा परिकलित मूल्य के आधार पर

अथवा भारत सहित किसी तीसरे देश से अन्य देशों के लिए कीमत अथवा जहां यह संभव नहीं हैं, तो किसी अन्य उचित आधार पर किया जाएगा। संबंधित देश के विकास के स्तर तथा विचाराधीन उत्पाद को देखते हुए निर्दिष्ट प्राधिकारी द्वारा यथोचित पद्धति से एक समुचित बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा । चयन के समय पर उपलब्ध कराई गई किसी विश्वसनीय सूचना पर यथोचित रूप से विचार किया जाएगा। बाजार अर्थव्यवस्था वाले किसी अन्य तीसरे देश के संबंध में किसी समान मामले में की जाने वाली जांच के मामले में जहां उचित हों, समय-सीमा के भीतर कार्रवाई की जाएगी। जांच से संबंधित पक्षकारों को किसी अनुचित विलंब के बिना बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के चयन के विषय में सूचित किया जाएगा और उसे अपनी टिप्पणियां देने के लिए एक समुचित समयावधि प्रदान की जाएगी।"

8. (1) "गैर-बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश" वाक्यांश का अर्थ है कि ऐसा देश जिसे निर्दिष्ट प्राधिकारी लागत अथवा कीमत ढांचे के बाजार सिद्धान्तों को लागू नहीं करने वाले देश के रूप में मानते हैं, जिसके कारण ऐसे देश में पण्य वस्तुओं कि बिक्रियों उप पैराग्राफ (3) में निर्दिष्ट मानदंडों के अनुसार वस्तुओं के सही मूल्य को नहीं दर्शाती है।"

(2) यह कहना पूर्वनुमान लगाना होगा कि कोई देश जिसे जांच के पूर्ववर्ती तीन वर्षों के दौरान निर्दिष्ट प्राधिकारी अथवा डब्ल्यू.टी.ओ.के किसी सदस्य के समक्ष प्राधिकारी द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ एक गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश निर्धारित किया गया है अथवा माना गया है, एक गैर - बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश है। तथापि, गैर -बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश या ऐसे देश से संबंधित फर्म निर्दिष्ट-प्राधिकारी को सूचना तथा साक्ष्य उपलब्ध कराकर इस परिकल्पना को समाप्त कर सकते हैं जो यह साबित करता हो कि ऐसा देश उप पैरा (3) में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर एक गैर बाजार अर्थ-व्यवस्था वाला देश नहीं है।

(3) निर्दिष्ट प्राधिकारी प्रत्येक मामले में निम्नलिखित मानदंड पर विचार करेंगे कि क्या: (क) ऐसे देश में कच्ची सामग्रियों की प्रौद्योगिकी लागत और श्रम, उत्पादन, बिक्रियों तथा निवेश सहित कीमतों, लागतों तथा निवेशों के संबंध में संबंधित फर्म का निर्णय आपूर्ति तथा मांग को दर्शाने वाले बाजार संकेतों तथा इस संबंध में किसी विशिष्ट राज्य हस्तक्षेप के बिना होता है और यह कि क्या मुख्य निवेशों की लागतें वास्तविक रूप से बाजार मूल्यों को दर्शाती है ; (ख) ऐसी फर्मों की उत्पादन लागतों तथा वित्तीय स्थिति पूर्ववर्ती गैर- बाजार अर्थव्यवस्था प्रणाली से उठाये गये विशिष्ट विरूपणों के अधीन होती है, खासकर ऋणों की प्रतिपूर्ति द्वारा

परिसम्पत्तियों के मूल्यह्रास, अन्य बट्टे खाते वस्तु विनियम व्यापार तथा ऋणों की क्षतिपूर्ति के जरिए तथा भुगतान के संबंध में ; (ग) ऐसी फर्म दिवालियापन तथा सम्पति कानून के अधीन होती है जो कि फर्मों के प्रचालन की कानूनी निश्चितता तथा स्थायित्वता की गारंटी देता है ; (घ) विनियम दर के परिवर्तन बाजार दर पर किए जाते है; तथापि, जहां इस पैराग्राफ में निर्दिष्ट मानदंड के आधार पर लिखित रूप में पर्याप्त साक्ष्य दर्शाया जाता है कि पाटनरोधी जांच के अधीन एक अथवा ऐसी अधिक फर्मों के लिए बाजार स्थितियां लागू होती हैं, निर्दिष्ट प्राधिकारी पैरा 7 तथा इस पैरा में निर्दिष्ट सिद्धान्तों के पैरा 1 से 6 में निर्दिष्ट सिद्धान्तों को लागू कर सकते है।

(4) उप पैराग्राफ (2) में किसी बात के होते हुए भी, निर्दिष्ट प्राधिकारी जो संगत मापदंड के अद्यतन विस्तृत मूल्यांकन के आधार पर ऐसे देश को बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश मान सकते हैं, जिसमें उप पैराग्राफ (3) में विनिर्दिष्ट मापदंड में किसी सार्वजनिक दस्तावेज में ऐसे मूल्यांकन का प्रकाशन शामिल हो, जिसे विश्व व्यापार संगठन के किसी सदस्य देश द्वारा पाटनरोधी जांच के प्रयोजनार्थ बाजार अर्थव्यवस्था वाला देश माने जाने के लिए माना या निर्धारित किया हो"

41. पैरा 7 में सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए क्रम निर्दिष्ट किया गया है और यह प्रावधान है कि सामान्य मूल्य का निर्धारण किसी बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में कीमत अथवा निर्मित मूल्य अथवा किसी ऐसे तीसरे देश से किसी अन्य देश को कीमत को आधार पर, जिसमें भारत भी शामिल है, अथवा जहां यह संभव नहीं है, वहां एक तर्कसंगत लाभ मार्जिन को शामिल करने के लिए आवश्यकतानुसार विधिवत समायोजन करके समान वस्तु के लिए भारत में वास्तव में भुगतान की गई अथवा भुगतान की जाने वाली कीमत सहित किसी तर्कसंगत आधार पर किया जाएगा। इस प्रकार, प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सामान्य मूल्य का निर्धारण अनुबंध-I के अंतर्गत प्रदान किए गए विभिन्न क्रमबद्ध विकल्पों को ध्यान में रखकर किया जाना अपेक्षित है।

42. जांच शुरुआत की अवस्था में, प्राधिकारी ने तर्कसंगत लाभ को जोड़कर घरेलू उद्योग के उत्पादन की लागत के आधार पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया था।

43. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने घरेलू कीमत, निर्मित मूल्य अथवा एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश में उत्पाद की निर्यात कीमत के संबंध में कोई भी सूचना प्रदान नहीं की है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि उसे हितबद्ध

पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर लाई गई सूचना और साक्ष्य के आधार पर एक उपयुक्त देश का चयन करना अपेक्षित है। चूंकि न तो घरेलू उद्योग ने और न ही किसी अन्य हितबद्ध पक्षकार ने कोई भी सत्यापन करने योग्य सूचना प्रदान की है, अतः सामान्य मूल्य का निर्धारण उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश के आधार पर नहीं किया जा सकता।

44. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि मूल पाटनरोधी जांच में, सामान्य मूल्य का निर्धारण थाइलैंड से भारत में आयात कीमत के आधार पर किया गया था, जिसे कारखाना बाहय स्तर पर कीमत प्राप्त करने के लिए समायोजित किया गया था। अतः प्राधिकारी वर्तमान जांच में भी उसी पद्धति पर विचार करना उपयुक्त मानते हैं। तदनुसार, प्राधिकारी ने सामान्य मूल्य के आधार के रूप में भारत में थाइलैंड से प्राप्त आयात कीमत पर विचार किया है। चूंकि सीआईएफ स्तर पर डेटा सूचित किया गया है, अतः समुद्री मालभाड़ा, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्कों के लिए समायोजन किए गए हैं। इसके साथ ही, सीपीवीसी रेसिन और सीपीवीसी कंपाउंड के लिए एक पृथक सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है।

ख. **<u>चीन जन. गण. के लिए निर्यात कीमत</u>**

45. चूंकि चीन जन. गण. से किसी भी उत्पादक ने भाग नहीं लिया है, अतः चीन जन. गण. के लिए निवल निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। निवल निर्यात कीमत की गणना डीजी सिस्टम के सौदा-वार डेटा से की गई है। चूंकि सीआईएफ स्तर पर डेटा सूचित किया गया है, अतः समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, कमीशन, स्वदेशी मालभाड़ा, बंदरगाह व्यय और बैंक शुल्कों के लिए समायोजन किया गया है। इसके साथ ही, सीपीवीसी रेसिन और सीपीवीसी कंपाउंड के लिए एक पृथक निर्यात कीमत निर्धारित की गई है।

46. घरेलू उद्योग ने यह तर्क दिया है कि शुल्क प्रदत्त (ड्यूटी पेड) आयातों की कीमत अविश्वसनीय है और उपायों के बैंचमार्क रूप से प्रभावित हुई है, और इसीलिए पाटन मार्जिन का निर्धारण केवल शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत के आधार पर ही किया जाना चाहिए। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि शुल्क प्रदत्त (ड्यूटी पेड) की श्रेणी के अंतर्गत आयातों की कीमत अविश्वसनीय होने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावे पर चीन के उत्पादकों द्वारा विवाद नहीं है (भाग न लेने के संबंध में)। वास्तव में कोरियाई उत्पादक, लुबराइजोल और इपिग्राल ने भी इस संबंध में घरेलू उद्योग की राय का समर्थन किया है।

47. प्राधिकारी ने समग्र विचाराधीन उत्पाद के लिए पाटन मार्जिन का निर्धारण किया है और उसके बाद शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त (ड्यूटी पेड) आयातों के लिए उससे जुड़ी मात्रा पर विचार करते हुए, अलग-अलग विचार किया है।

च.3.2 कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

मैसर्स हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य (उत्पादक/ निर्यातक) और मैसर्स एसएआर ओवरसीज लिए (असंबद्ध व्यापारी) के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत

क. <u>मैसर्स हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए सामान्य मूल्य</u>

48. हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य से उत्पादक ने भाग लिया है और संगत सूचना प्रदान की है। उत्पादक के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दिए गए अनुसार निर्धारित की गई है।

49. उत्पादक ने जांच की अवधि में क्रमशः *** मी. टन और *** मी. टन सीपीवीसी रेसिन तथा सीपीवीसी कंपाउंड की घरेलू बिक्रियों की सूचना दी है। उत्पादक ने यह दावा किया है कि सभी घरेलू बिक्रियां असंगत पक्षकारों को की गई है और साथ ही यह प्रस्तुत किया है कि सीपीवीसी कंपाउंड का जांच की अवधि के दौरान भारतीय बाजार में निर्यात नहीं किया था। सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए, प्राधिकारी ने संबद्ध वस्तुओं के उत्पादन की लागत के संदर्भ में घरेलू बिक्रियों के लाभ अर्जित सौदों के निर्धारण के लिए सामान्य व्यापार जांच का आयोजन किया था। यदि लाभ अर्जन सौदे कुल बिक्रियों के 80% से अधिक हैं, तो घरेलू बिक्रियों में सभी सौदों पर सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार किया गया है और यदि कहीं कुल बिक्रियों का 80% या कम लाभ अर्जक सौदा है, तो लाभ अर्जक घरेलू बिक्रियां सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए विचार में ली गई हैं। वर्तमान मामले में, चूंकि 80% से अधिक घरेलू बिक्रियां लाभ अर्जक हैं, अतः सभी घरेलू बिक्रियों पर सामान्य मूल्य का निर्धारण करने के लिए विचार किया गया है।

50. हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य ने स्वदेशी परिवहन, पैकिंग व्यय तथा क्रेडिट लागत के संबंध में समायोजन का दावा किया है और प्राधिकारी द्वारा उसके लिए अनुमति दे दी गई है। तदनुसार, हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए सीपीवीसी

रेसिन के लिए कारखाना बाहय स्तर पर सामान्य मूल्य निर्धारित किया गया है और उसे नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिखाया गया है।

ख. **<u>मैसर्स हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन, कोरिया गणराज्य के लिए निर्यात कीमत</u>**

51. उत्पादक ने जांच की अवधि के दौरान भारत को विचाराधीन उत्पाद के निर्यातों के रूप में *** मी. टन की सूचना दी है। उत्पादक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा, क्रेडिट लागत, कमीशन और स्वदेशी माल ढुलाई के संबंध में समायोजन का दावा किया है। इसके अलावा, *** मी. टन निर्यात असंगत पक्षकार, अर्थात एसएआर ओवरसीज लि. के माध्यम से किए गए हैं, जिसने भी वर्तमान जांच में भाग लिया है। असंगत निर्यातक ने समुद्री मालभाड़ा, समुद्री बीमा क्रेडिट लागत, कमीशन और स्वदेशी माल ढुलाई के संबंध में समायोजन का दावा किया है।

52. प्राधिकारी ने डेस्क सत्यापन किया है और प्रतिवादी द्वारा किए गए दावों की जांच की है। किए गए दावों को स्वीकार किया गया है। चूंकि जांच की अवधि में कोरिया गणराज्य से भारत को सीपीवीसी कंपाउंड के कोई निर्यात नहीं किए गए हैं, अतः केवल सीपीवीसी रेसिन के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत निर्धारित की गई है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत नीचे दी गई पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

ग. <u>अन्य के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत</u>

53. कोरिया गणराज्य से असहयोगी उत्पादकों/ निर्यातकों के लिए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत का निर्धारण नियमावली के नियम 6(8) के अनुसार उपलब्ध तथ्यों के आधार पर किया गया है। इस प्रकार से निर्धारित सामान्य मूल्य और निवल निर्यात कीमत नीचे पाटन मार्जिन तालिका में दिया गया है।

च.3.3 प्राधिकारी द्वारा जांच

54. उपरोक्तनुसार निर्धारित किए गए सामान्य मूल्य और निर्यात कीमत के आधार पर पाटन मार्जिन नीचे निर्धारित किया गया है :

क्र. सं.	विवरण	सामान्य मूल्य	निर्यात कीमत	पाटन मार्जिन		
		(डॉलर/ मी. टन)	(डॉलर/ मी. टन)	(डॉलर/ मी. टन)	%	रेंज
1	**चीन जन. गण.**					
क	रेसिन	***	***	***	***	0-10
ख	कंपाउंड	***	***	***	***	0-10
2	**कोरिया गणराज्य**					
क	हान्वाह सोल्यूसंस कार्पोरेशन	***	***	***	***	नकारात्मक
	रेसिन	***	***	(***)	(***)	नकारात्मक
	कंपाउंड	-	-	-	-	-
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	0-10
	रेसिन	***	***	***	***	0-10
	कंपाउंड	-	-	-	-	-

55. यह देखा गया है कि चीन पीआर के मामले में डंपिंग मार्जिन सकारात्मक है लेकिन कोरिया आरपी के भाग लेने वाले उत्पादक के लिए नकारात्मक है।

छ. <u>क्षति का आकलन और कारणात्मक संबंध</u>

छ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

56. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए है :

क. लुब्रिजोल ने यह अनुरोध किया है कि पाटित आयातों से न केवल घरेलू कंपाउंड उत्पादक के प्रदर्शन पर प्रभाव पड़ा है बल्कि उनसे अन्य देशों से उचित कीमत के आयातों पर भी प्रभाव पड़ा है।

ख. लुब्रिजोल ने यह अनुरोध किया है कि संबद्ध देशों से आयात पाटित कीमतों पर हैं और उनसे भारत में आने वाले निवेशों पर गंभीर प्रभाव पड़ेगा।

ग. लुब्रिजोल ने यह अनुरोध किया है कि उपायों को लागू करने से घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार हुआ है और संबद्ध देशों के आयातों की मात्रा में कमी आई है।

घ. लुब्रिजोल ने व्यापारियों की भागीदारी में वृद्धि होने का शुल्कों की वर्तमान प्रवंचना होने के बारे में अवगत कराया है।

ड. लुब्रिजोल ने यह अवगत कराया है कि निर्यातक/ व्यापारी बढ़ाना केवल गलत घोषणा करने और बिना विनिर्माण सुविधाओं वाले निर्यातक देशों द्वारा शुल्क की प्रवंचना के प्रयोजन के लिए है।

च. लुब्रिजोल ने यह अनुरोध किया है कि पैटर्न यह दर्शाता है कि शुल्कों की मौजूदगी के बावजूद, निर्यातक/ व्यापारी ने ऐसे उपायों का सहारा लिया है, अतः यह संभावना है कि यदि शुल्कों को समाप्त किया जाता है, तो वही निर्यातक/ व्यापारी भारतीय बाजार में स्थायित्वता में बाधा डाल सकता है।

छ. हान्वाह ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग को कोई क्षति नहीं हुई है। इस प्रकार, आवेदन में क्षति की संभावना अथवा मौजूदगी अथवा क्षति के जारी रहने की संभावना अथवा मौजूदगी के आधार पर पाटनरोधी शुल्कों के जारी रहने का दावा करने के किसी गुण अथवा तत्व का अभाव है।

ज. हान्वाह ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी उपायों को लागू करने के बाद, घरेलू उद्योग ने भारी लाभ उठाया है और सभी प्रदर्शन मापदंडों में अत्यंत वृद्धि देखने में आई है। शुल्क जारी रखने से घरेलू उद्योग को अनुचित लाभ होगा और प्रयोक्ताओं तथा ग्राहकों को नुकसान होगा।

झ. आस्ट्राल ने यह अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग के पास प्रयोक्ताओं की मांग को पूरा करने की क्षमता नहीं है और प्रयोक्ताओं की मांग बढ़ रही है। यदि घरेलू उद्योग किसी क्षति का सामना कर रहा है, तो यह घरेलू उद्योग की क्षमता तक सीमित है।

छ.2. घरेलू उद्योग के अनुरोध

57. घरेलू उद्योग ने क्षति और कारणात्मक संबंध के बारे में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं :

i. उपायों को लागू किए जाने से घरेलू उद्योग के प्रदर्शन में सुधार आया है, जो कि पूरी तरह से स्थापित हो गया है, जो ईष्टतम स्तर तक उत्पादन कर रहा है। इसके अलावा,उपायों से निर्माण संयंत्रों की स्थापना के लिए अन्य उत्पादकों को प्रोत्साहन मिला है।

ii. पाटनरोधी शुल्क लगाने से घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतों पर अपने समग्र घरेलू उत्पादन की बिक्री करने में समर्थ रहा है, लाभप्रदता में सुधार आया है और नकदी प्रवाह में वृद्धि हुई है जिससे आगे निवेश विस्तार करने में सहायता मिली है।

iii. लघु बाजार अंश के बावजूद, घरेलू उद्योग ने मांग और आपूर्ति में अंतराल होने के बावजूद बेहतर कीमतें हासिल की हैं। भारत में भावी क्षमता विस्तार के साथ ही कीमत में प्रतिस्पर्धा में तेजी आएगी, जिससे भारतीय उत्पादकों के लिए वित्तीय हानियों और नकदी प्रवाह की समस्याएं उत्पन्न होगी।

iv. वर्ष 2019 में पाटनरोधी शुल्कों को लगाए जाने के कारण वर्ष 2020-21 में संबद्ध देशों से आयातों में गिरावट आई है और मांग में कमी हुई है। वर्ष 2021-22 में संबद्ध देशों से आयातों में तेजी से वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में और भी वृद्धि हुई है।

v. संबद्ध देशों से आयातों में मांग में वृद्धि से भी अधिक वृद्धि हुई है।

vi. घरेलू उद्योग को आयात डेटा में सूचित की गई कीमत की तुलना में निर्यातकों द्वारा उल्लिखित कमतर कीमत के अपने ग्राहकों से मौखिक संप्रेषण प्राप्त हुए हैं। यद्यपि कीमत कटौती नकारात्मक प्रतीत होती है, लेकिन वास्तव में आयात कीमत घरेलू उद्योग की कीमतों से कम हैं।

vii. औसत आधार पर, आयात कीमतों का विश्लेषण उपयुक्त नहीं है, क्योंकि आयात की कीमतें उपायों के बैंचमार्क रूप से प्रभावित हैं।

viii. घरेलू उद्योग पर्याप्त पारिश्रमिक कीमतें वसूल करने में समर्थ रहा है क्योंकि पाटनरोधी उपाय मौजूद रहे हैं।

ix. घरेलू उद्योग बाजार में अपने उत्पादन की बिक्री करने में समर्थ रहा है और घरेलू उद्योग के पास वस्तुसूचियां पर्याप्त नहीं हैं।

x. आयातों की मात्रा में वर्ष 2021-22 में और जांच की अवधि में काफी वृद्धि हुई है, पाटित आयातों के बाजार अंश में वृद्धि हुई है और क्षति अवधि के दौरान सबसे अधिक है।

xi. वही आपूर्तिकर्ता और वही क्रेता पीवीसी और सीपीवीसी के लिए कारोबार कर रहे हैं और सीपीवीसी का मूल्य अधिक बताया गया है तथा पीवीसी का मूल्य कम बताया गया है। इस प्रकार कीमतें समायोजित की गई हैं, जिसके परिणास्वरूप सीमा शुल्क के कारण क्रेताओं पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ा है।

xii. इसमें यहां तक कि कोई विदेशी विनिमय कानून का उल्लंघन शामिल नहीं है, क्योंकि सीपीवीसी और पीवीसी रेसिन की खरीद के कुल विदेशी विनिमय भुगतान वही रहे। तथापि, भारतीय उद्योग पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ा है।

xiii. सौदा-वार आयात का विवरण यह दर्शाता है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत पर पीवीसी की कीमत का प्रभाव नहीं पड़ा है, जो कि उत्पाद के उत्पादन के लिए एक कच्ची सामग्री है।

क्र. सं.	**अवधि**	**माह**	**यूओएम**	**सीपीवीसी रेजिन आयात कीमत**		**पीवीसी (आरएम) कीमत**	**चीन के साथ अंतर**	**कोरिया गणराज्य से अंतर**
				चीन	**कोरिया**			
1	शुल्क पूर्व	अप्रैल - 19	डॉलर/ मी. टन	1,188	1,222	910	278	291
2		मई - 19	डॉलर/ मी. टन	1,186	1,181	886	299	283
3		जून - 19	डॉलर/ मी. टन	1,142	1,189	862	280	328
4		जुलाई - 19	डॉलर/ मी. टन	1,179	1,195	867	312	320

5		अगस्त -19	डॉलर/ मी. टन	1,183	1,173	876	307	283
6	शुल्क उपरांत	सितंबर -19	डॉलर/ मी. टन	1,306	1,308	887	419	414
7		अक्तू. - 19	डॉलर/ मी. टन	1,422	1,205	898	524	304
8		नवंबर - 19	डॉलर/ मी. टन	1,633	1,213	890	743	316
9		दिसंबर -19	डॉलर/ मी. टन	1,633	1,461	879	754	593
10		जनवरी -20	डॉलर/ मी. टन	1,846	-	858	988	619
11		फरवरी - 20	डॉलर/ मी. टन	1,837	1,467	845	992	613
12		मार्च - 20	डॉलर/ मी. टन	1,827	-	853	974	553
13		अप्रैल - 20	डॉलर/ मी. टन	1,848	1,439	861	987	554
14		मई - 20	डॉलर/ मी. टन	1,917	-	874	1,043	589
15		जून - 20	डॉलर/ मी. टन	1,892	1,595	762	1,130	853

16		जुलाई - 20	डॉलर/ मी. टन	2,000	-	733	1,267	872
17		अगस्त -20	डॉलर/ मी. टन	1,933	1,751	756	1,177	968
18		सितंबर -20	डॉलर/ मी. टन	2,076	1,752	826	1,250	929
19		अक्तू. - 20	डॉलर/ मी. टन	2,053	-	895	1,158	872
20		नवंबर - 20	डॉलर/ मी. टन	1,990	1,754	963	1,027	812
21		दिसंबर -20	डॉलर/ मी. टन	1,873	1,451	1,074	799	430
22		जनवरी -21	डॉलर/ मी. टन	1,988	1,799	1,184	804	645
23		फरवरी - 21	डॉलर/ मी. टन	1,953	1,800	1,283	670	490
24		मार्च - 21	डॉलर/ मी. टन	1,915	1,798	1,342	573	419
25		अप्रैल - 21	डॉलर/ मी. टन	2,028	1,809	1,316	712	411
26		मई - 21	डॉलर/ मी. टन	1,958	1,879	1,431	527	392

27		जून - 21	डॉलर/ मी. टन	1,988	1,842	1,540	448	242
28		जुलाई - 21	डॉलर/ मी. टन	1,926	1,844	1,542	384	369
29		अगस्त -21	डॉलर/ मी. टन	1,871	1,890	1,467	404	533
30		सितंबर -21	डॉलर/ मी. टन	1,872	1,871	1,318	554	561
31		अक्तू. - 21	डॉलर/ मी. टन	1,999	1,867	1,450	549	426
32		नवंबर - 21	डॉलर/ मी. टन	2,146	1,872	1,588	558	286
33		दिसंबर -21	डॉलर/ मी. टन	2,366	1,892	1,731	635	327
34		जनवरी -22	डॉलर/ मी. टन	2,420	1,847	1,826	594	267
35		फरवरी - 22	डॉलर/ मी. टन	2,327	2,050	1,685	642	490
36		मार्च - 22	डॉलर/ मी. टन	2,383	2,303	1,570	813	764
37		अप्रैल - 22	डॉलर/ मी. टन	2,432	2,181	1,542	890	642

38		मई - 22	डॉलर/ मी. टन	2,320	2,095	1,550	770	492
39		जून - 22	डॉलर/ मी. टन	2,407	2,417	1,529	878	844
40		जुलाई - 22	डॉलर/ मी. टन	2,394	2,141	1,444	950	750
41		अगस्त -22	डॉलर/ मी. टन	2,192	2,181	1,321	871	1,022
42		सितंबर -22	डॉलर/ मी. टन	2,047	2,165	1,137	910	1,110
43		अक्तू. - 22	डॉलर/ मी. टन	1,989	2,195	993	996	1,214
44		नवंबर - 22	डॉलर/ मी. टन	2,034	2,145	946	1,088	1,226
45		दिसंबर -22	डॉलर/ मी. टन	1,894	2,143	873	1,021	1,276
46		जनवरी -23	डॉलर/ मी. टन	1,835	2,090	805	1,030	1,296
47		फरवरी - 23	डॉलर/ मी. टन	1,816	2,019	836	980	1,138
48		मार्च - 23	डॉलर/ मी. टन	2,157	1,958	882	1,275	1,010

49		अप्रैल - 23	डॉलर/ मी. टन	1,892	2,021	921	971	1,082
50		मई - 23	डॉलर/ मी. टन	1,963	1,905	890	1,073	1,053
51		जून - 23	डॉलर/ मी. टन	2,110	1,885	858	1,252	1,048

स्रोत : घरेलू उद्योग का अनुरोध

xiv. उपायों के बैंचमार्क रूप के कारण शुल्क प्रदत्त (ड्यूटी पेड) बाजार में कीमतें चीन के उत्पादकों की आक्रामक कीमत को नहीं दर्शाती हैं।

xv. बैंचमार्क शुल्क के रूप में पाटनरोधी शुल्क की सिफारिश का प्रयोजन विदेशी उत्पादकों को बैंचमार्क की कीमतों के अनुरूप कृत्रिम रूप से रखना और पाटनरोधी शुल्क के भुगतान से बचना है। पाटनरोधी शुल्क एकत्र करने का प्रयोजन आयात कीमत और बैंचमार्क के बीच अंतर तक ही सीमित था। तथापि, वर्तमान में और विशेष रूप से चीन के उत्पादकों ने अपनी कीमतों को एक ऐसे स्तर पर उत्पाद को कृत्रिम इनवॉयस से बैंचमार्क रूप के अनुरूप रखा, जहां पर पाटनरोधी शुल्क देय नहीं था।

xvi. यह शुल्क मुक्त आयात कीमत ही है, जो वर्तमान जांच की अवधि के दौरान वास्तविक आयात कीमत को दर्शाती है। और वह कीमत है, जो पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में बाजार में प्रचलित होने की संभावना है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल 21 - जून 22	जांच की अवधि
1	सीआईएफ कीमत शुल्क मुक्त	रु./ मी. टन	86,214	1,13,908	1,35,601	1,08,953
2	सीआईएफ कीमत शुल्क भुगतान	रु./ मी. टन	87,929	1,46,239	1,74,450	1,62,639
3	अंतर	रु. /मी. टन	1,715	32,331	38,849	53,686

स्रोत : घरेलू उद्योग का अनुरोध

xvii. यह तथ्य कि यहां तक कि बाजार में उत्पाद की कीमत को प्रतिकूल रूप से प्रभावित कर रहे वर्तमान आयात इस तथ्य से पूरी तरह से स्थापित होता है कि घरेलू उद्योग जांच की अवधि के बाद कीमतों में काफी कमी करने पर मजबूर हुआ है, जैसा कि नीचे दी गई तालिका से देखा जा सकेगा :

क्र. सं.	माह	यूओएम	घरेलू उद्योग कीमत	चीन की आयात कीमत	कच्ची सामग्री की कीमत
1	जुलाई - 22	डॉलर/ मी. टन	***	2,394	***
2	अगस्त - 22	डॉलर/ मी. टन	***	2,192	***
3	सितंबर - 22	डॉलर/ मी. टन	***	2,047	***
4	अक्तूबर - 22	डॉलर/ मी. टन	***	1,989	***
5	नवंबर - 22	डॉलर/ मी. टन	***	2,034	***
6	दिसंबर - 22	डॉलर/ मी. टन	***	1,894	***
7	जनवरी - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,835	***
8	फरवरी - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,816	***
9	मार्च - 23	डॉलर/ मी. टन	***	2,157	***
10	अप्रैल - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,892	***
11	मई - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,963	***
12	जून - 23	डॉलर/ मी. टन	***	2,110	***
13	जुलाई - 23	डॉलर/ मी. टन	***	2,053	***
14	अगस्त - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,968	***

15	सितंबर - 23	डॉलर/ मी. टन	***	2,090	***
16	अक्तूबर - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,879	***
17	नवंबर - 23	डॉलर/ मी. टन	***	2,056	***
18	दिसंबर - 23	डॉलर/ मी. टन	***	1,896	***

स्रोत : घरेलू उद्योग का अनुरोध

xviii. शुल्क मुक्त आयातों से पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में कीमत कटौती होने की संभावना दिखाई देती है। शुल्क मुक्त आयातों की कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से काफी कम है। आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में कटौती होनी, जिसके कारण घरेलू उद्योग कीमतो में कमी लाने पर मजबूर होगा।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	घरेलू उद्योग की कीमत	रु./ मी.टन	***	***	***	***
2	सीआईएफ कीमत शुल्क मुक्त आयात	रु./ मी.टन	86,214	1,13,908	1,35,601	1,08,953
3	कीमत कटौती	रु./ मी.टन	***	***	***	***
4	सीआईएफ कीमत शुल्क भुगतान आयात	रु./ मी.टन	95,184	1,58,303	1,88,842	1,76,057
5	कीमत कटौती	रु./ मी.टन	***	***	***	***

स्रोत: घरेलू उद्योग का अनुरोध

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

xix. शुल्क मुक्त आयातों से घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत में न केवल कटौती हो रही है बल्कि घरेलू उद्योग की लागत में भी कटौती कर रही है।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	बिक्रियों की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
2	सीआईएफ कीमत शुल्क मुक्त आयात	रु./ मी. टन	86,214	1,13,908	1,35,601	1,08,953
3	लागत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***	***
4	सीआईएफ कीमत शुल्क भुगतान आयात	रु./ मी. टन	95,184	1,58,303	1,88,842	1,76,057
5	लागत कटौती	रु./ मी. टन	***	***	***	***

स्रोत : घरेलू उद्योग का अनुरोध

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

xx. यदि घरेलू उद्योग शुल्क मुक्त आयात कीमत के अनुसार कीमत रखता है, तो उसे वित्तीय हानियां होगी।

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 -20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	सीआईएफ कीमत शुल्क मुक्त आयात	रु./ मी. टन	86,214	1,13,908	1,35,601	1,08,953
2	सीआईएफ कीमत शुल्क भुगतान आयात	रु./ मी. टन	87,929	1,46,239	1,74,450	1,62,639
3	बिक्रियों की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
4	बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
5	शुल्क मुक्त आयात कीमत पर लाभ/ हानि	रु./ मी. टन	***	***	***	***

स्रोत- घरेलू उद्योग का अनुरोध

**1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023*

xxi. संबद्ध देशों से आयातों में पाटनरोधी शुल्क मौजूद रहने के बावजूद सापेक्ष संदर्भ में और निरपेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है। आयातों में और भी वृद्धि होगी, यदि उपायों को कार्यान्वित किया जाता है।

xxii. संबद्ध देशों में उत्पादकों के पास अत्यधिक क्षमताएं हैं और निर्यातोन्मुखी हैं। भारतीय बाजार में मांग मे भी वृद्धि होगी। पाटनरोधी शुल्क समाप्त होने की स्थिति में, इन अतिरिक्त क्षमताओं का भारत को निर्यातों के लिए उपयोग किया जाएगा। संबद्ध देशों से आयातों में निरपेक्ष संदर्भ में और सापेक्ष संदर्भ में और भी वृद्धि होने की संभावना है, यदि उपायों को आगे नहीं बढ़ाया गया।

xxiii. शुल्क मुक्त आयातों की आयात कीमत स्पष्ट रूप से यह स्थापित करती है कि आयातों से घरेलू उद्योग की कीमतों में अत्यधिक कटौती होने की संभावना है।

xxiv. शुल्क मुक्त बाजार में वर्तमान कीमत ऐसी कीमत पर होगी, जिस पर उत्पाद का भारतीय बाजार में आयात किया जाएगा। यह कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से कम है और उद्योग इन कीमतों को पूरा करने के लिए मजबूर होगा। यदि घरेलू उद्योग आयात कीमत को पूरा करता, तो उसे वित्तीय हानि का सामना करना होगा, नकदी प्रवाह में गिरावट आएगी और निवेश पर प्रतिफल में कमी आएगी।

छ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

छ.3.1. मांग का आकलन

58. प्राधिकारी ने भारत में उत्पाद की मांग अथवा स्पष्ट खपत को घरेलू उद्योग के सीपीवीसी रेसिन और कंपाउंड की घरेलू बिक्रियों, समर्थन और सभी स्रोतों से रेसिन और कंपाउंड के आयातों के योग के रूप में निर्धारित किया है। चूंकि सीपीवीसी कंपाउंड के उत्पादक भारतीय उद्योग से अथवा आयातों से रेसिन की अपनी जरूरतें प्राप्त कर रहे हैं, अतः उनके उत्पादन और बिक्रियों पर विचार किया गया है। जिससे कि दोहरे लेखांकन से बचा जा सके।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**अप्रैल - 21 से जून - 22**	***जांच की अवधि**
1	घरेलू उद्योग की बिक्रियों	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	117	133	137
2	समर्थक की बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	100
3	संबद्ध देश के आयात	मी. टन	26,640	9,529	59,085	66,462
क	चीन जन. गण.	मी. टन	14,491	7,826	43,210	54,872
ख	कोरिया गणराज्य	मी. टन	12,148	1,703	15,875	11,590

4	अन्य देश के आयात	मी. टन	1,07,469	1,09,650	1,21,570	1,31,665
5	कुल मांग	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	135	157

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

59. यह देखा गया है कि वर्ष 2019-20 की तुलना में वर्ष 2020-21 में (कोविड के कारण) विचाराधीन उत्पाद के लिए मांग में गिरावट आई है लेकिन वर्ष 2021-22 में वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में और भी वृद्धि हुई है। क्षति अवधि के दौरान मांग में वृद्धि हुई है।

छ.3.2. पाटित आयातों का मात्रात्मक प्रभाव

क. निरपेक्ष और सापेक्ष संदर्भ में आयात

60. क्षति अवधि के दौरान और जांच की अवधि में निरपेक्ष संदर्भ में और सापेक्ष संदर्भ में आयातों की मात्रा क संबंध में सूचना नीचे दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	संबद्ध आयात	मी. टन	26,640	9,529	59,085	66,462
क	चीन जन. गण.	मी. टन	14,491	7,826	43,210	54,872
ख	कोरिया गणराज्य	मी. टन	12,148	1,703	15,875	11,590
2	अन्य आयात	मी. टन	1,07,469	1,09,650	1,21,570	1,31,665
3	कुल आयात	मी. टन	1,34,109	1,19,179	1,80,655	1,98,127
4	निम्नलिखित के संदर्भ में संबद्ध देशों के आयात					
क	भारतीय उत्पादन	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	31	168	75
ख	भारतीय मांग	%	***	***	***	***

	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	165	159
ग	कुल आयात	%	20%	8%	33%	34%

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

61. यह देखा गया है कि :

क. संबद्ध आयातों की मात्रा में मांग में गिरावट और कोविड 19 के प्रकार के कारण वर्ष 2020-21 में गिरावट आई है।

ख. संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा में वर्ष 2021-22 में तीव्र वृद्धि हुई है और जांच की अवधि में और भी अधिक वृद्धि हुई है।

ग. जांच की अवधि में संबद्ध आयातों में खपत और कुल आयातों के निरपेक्ष संदर्भ में और साथ ही सापेक्ष संदर्भ में वृद्धि हुई है।

घ. संबद्ध देशों से आयातों में इस तथ्य के कारण जांच की अवधि में भारतीय उत्पादन के संदर्भ में गिरावट आई है कि घरेलू उद्योग और अन्य उत्पादकों ने भारत में विचाराधीन उत्पाद के लिए वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया है।

62. नीचे दिए गए ग्राफ और तालिका में जांच की अवधि के दौरान संबद्ध देशों से मांग और आयातों की प्रवृत्ति दर्शाई गई है। भारतीय उद्योग के पास कम क्षमता और देश में भारी मांग पर विचार करते हुए, यह स्वभाविक था कि सभी स्रोतों से आयातों में वृद्धि हुई होगी।

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**अप्रैल - 21 से जून - 22**	***जांच की अवधि**
1	संबद्ध आयात	सूचीबद्ध	100	36	222	249
2	गैर-संबद्ध आयात	सूचीबद्ध	100	102	113	123
3	मांग	सूचीबद्ध	100	91	135	157

**1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023*

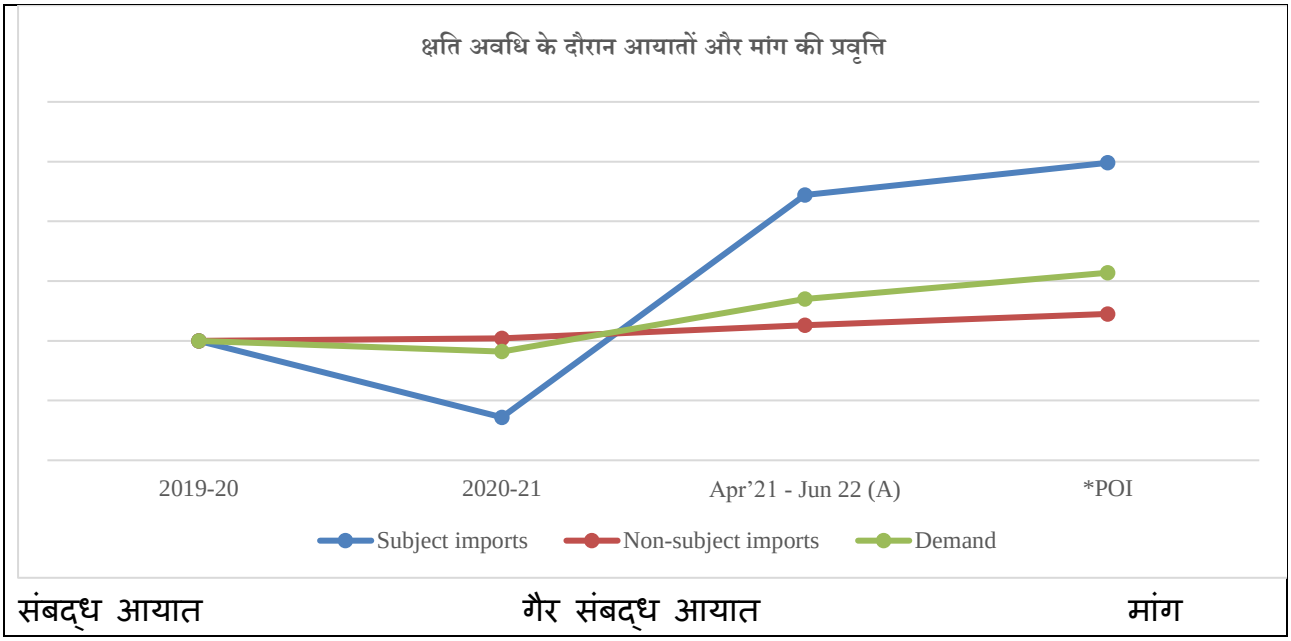

छ.3.3. पाटित आयातों का कीमत प्रभाव

63. कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव के संबंध में, प्राधिकारी को यह विचार करना अपेक्षित है कि क्या भारत में समान उत्पाद की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से महत्वपूर्ण कीमत कटौती हो रही है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव कीमतों पर अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में दवाब डालने अथवा कीमत वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में होती। इस संबंध में, संबद्ध देशों से उत्पाद के पहुंच मूल्य और घरेलू उद्योग की औसत बिक्री कीमत, बिक्रियों की लागत के समान व्यापार स्तर पर सभी निवल छूटों और करों के बीच तुलना की गई है।

क. शुल्क मुक्त बाजार और शुल्क भुगतान बाजार में आयातों की कीमत में महत्वपूर्ण अंतर

64. घरेलू उद्योग ने यह दावा किया है कि शुल्क भुगतान बाजार और शुल्क मुक्त बाजार में आयातों की कीमत में महत्वपूर्ण अंतर है। प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि यद्यपि आयातों की जांच शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान बाजार में कुल आयातों पर विचार करते हुए की गई हैं, तथापि, यह विचार करते हुए कि वर्तमान पाटनरोधी उपाय शुल्क के बैंचमार्क रूप में लागू किए गए थे और वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है, अतः सीमा शुल्क का भुगतान करके और भुगतान के बिना आयातों के संबंध में अलग से आयातों का विश्लेषण करना उचित है। यह इस कारण से संगत और उपयुक्त है कि चूंकि उपाय का रूप बैंचमार्क

है, अतः आयातों से पाटनरोधी उपाय लगाए जाने की संभावना है। यदि ये सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना किए गए हैं और आयातों की पहुंच कीमत लगाए गए उपाय के बैंचमार्क रूप से नीचे हैं।

65. यह भी नोट किया जाता है कि किसी भी हितबद्ध पक्षकार ने आयात कीमत को पुनः संरेखित करने के संबंध में घरेलू उद्योग के दावों का विरोध किया है। वास्तव में, कोरिया और लुब्रिजोल (जिसने गैर-संबद्ध स्रोतों से आयात किया है) से प्रतिवादी निर्यातक ने घरेलू उद्योग के दावे का आंखे मूदकर समर्थन किया है कि आयात कीमतें उन सौदों में बैंचमार्क के अनुसार थी, जहां बुनियादी सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद आयात किए गए थे। यदि आयात सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना किए गए थे, तो किसी भी स्थिति में, आयात की कीमतों के बावजूद उपाय भुगतान योग्य भी नहीं था।

66. यद्यपि घरेलू उद्योग ने शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान के आयातों के संबंध में कीमतों के बीच अंतर के प्रदर्शन का अपना दावा किया है, प्राधिकारी ने डीजी सिस्टम डेटा की मांग की है और उसकी जांच की है। नीचे दी गई तालिका में क्षति अवधि के दौरान चीन जन. गण. आधारित सीपीवीसी रेसिन के शुल्क मुक्त आयातों और शुल्क भुगतान आयातों में अंतर दर्शाया गया है।

क्र. सं.	**अवधि**	**यूओएम**	**शुल्क मुक्त आयातों की सीआईएफ कीमत**	**शुल्क भुगतान किए आयातों की सीआईएफ कीमत**	**अंतर**
1	अप्रैल-19	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,163	ना
2	मई-19	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,169	ना
3	जून 19	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,142	ना
4	जुलाई-19	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,174	ना
5	अगस्त-19	$/एमटी	1,164	1,155	9
6	सितम्बर-19	$/एमटी	1,198	1,324	-126
7	अक्टूबर 19	$/एमटी	1,150	1,416	-267
8	नवंबर-19	$/एमटी	1,185	1,699	-514

9	दिसम्बर-19	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,767	ना
10	जनवरी-20	$/एमटी	1,188	1,846	-658
11	फ़रवरी-20	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,901	ना
12	मार्च-20	$/एमटी	1,195	1,827	-632
१३	अप्रैल-20	$/एमटी	1,211	1,848	-637
14	मई-20	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,917	ना
15	जून 20	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,892	ना
16	जुलाई-20	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,001	ना
17	अगस्त-20	$/एमटी	1,219	1,933	-715
18	सितम्बर-20	$/एमटी	1,184	2,014	-830
19	अक्टूबर-20	$/एमटी	1,254	1,957	-703
20	नवंबर-20	$/एमटी	1,310	2,008	-698
21	दिसम्बर-20	$/एमटी	1,472	1,965	-492
22	जनवरी-21	$/एमटी	1,460	2,003	-543
23	फ़रवरी-21	$/एमटी	1,494	1,953	-459
24	मार्च-21	$/एमटी	1,426	1,921	-495
25	अप्रैल-21	$/एमटी	1,561	2,028	-466
26	मई-21	$/एमटी	1,743	1,941	-198
27	जून-21	$/एमटी	1,752	1,955	-203
28	जुलाई-21	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,926	ना
29	अगस्त-21	$/एमटी	1,716	1,871	-155
30	सितम्बर-21	$/एमटी	1,756	1,882	-126
३१	अक्टूबर-21	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,005	ना
32	नवम्बर-21	$/एमटी	1,933	2,155	-222
33	दिसम्बर-21	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,354	ना
34	जनवरी-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,417	ना

35	फ़रवरी-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,390	ना
36	मार्च-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,380	ना
37	अप्रैल-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,443	ना
38	मई-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,385	ना
39	जून-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,396	ना
40	जुलाई-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,383	ना
41	अगस्त-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	2,164	ना
42	सितम्बर 22	$/एमटी	1,914	2,048	-133
43	अक्टूबर-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,965	ना
44	नवंबर-22	$/एमटी	1,478	2,031	-552
45	दिसम्बर-22	$/एमटी	कोई आयात नहीं	1,895	ना
46	जनवरी-23	$/एमटी	1,304	1,801	-497
47	फ़रवरी-23	$/एमटी	1,337	1,812	-475
48	मार्च-23	$/एमटी	1,326	1,892	-566
49	अप्रैल-23	$/एमटी	1,364	1,888	-524
50	मई-23	$/एमटी	1,263	1,897	-634
51	जून-23	$/एमटी	1,213	1,925	-713

स्रोत : डीजी सिस्टम सौदा-वार डेटा

67. प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि सीमा शुल्क के भुगतान के बिना और सीमा शुल्क के भुगतान के बाद किए गए आयातों के संबंध में चीन से सीपीवीसी रेसिन की आयात कीमत में एक बड़ा अंतर है। उत्पाद के गुणों में कोई अंतर नहीं है। यह भी देखा गया है कि शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों में आयात कीमत में अंतर जांच की अवधि में तेजी से बढ़ा है। इसके अलावा, क्षति अवधि के दौरान यद्यपि शुल्क मुक्त आयातों की कीमत में वृद्धि हुई है, लेकिन शुल्क भुगतान के आयातों की कीमत लगभग उसी स्तर पर और बैंचमार्क के आस पास रही है।

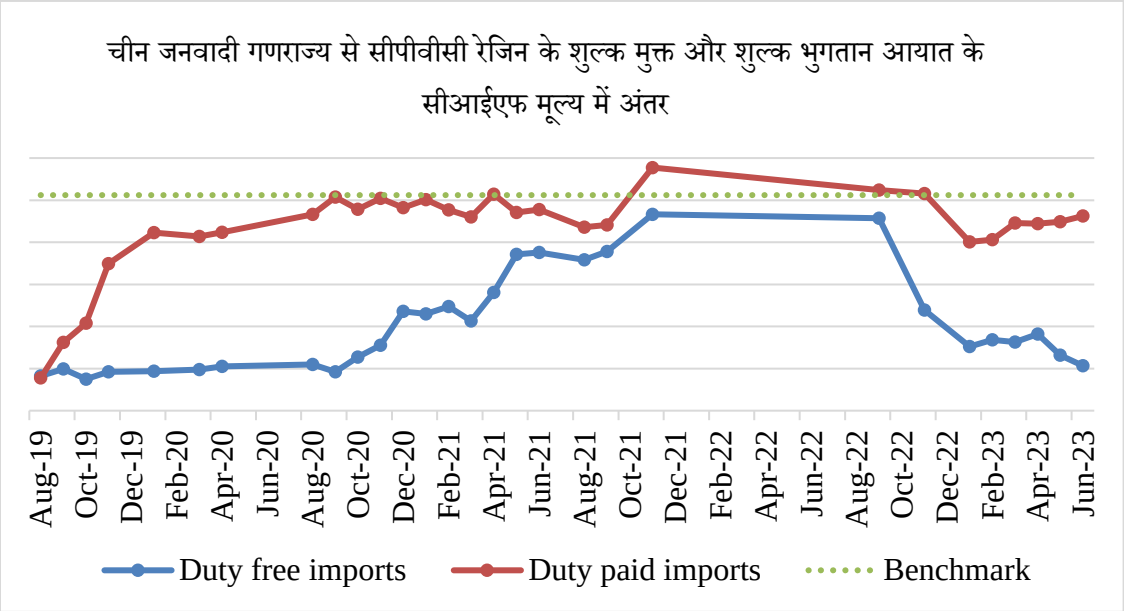

स्रोत : डीजी सिस्टम सौदा-वार डेटा कीमत- डॉलर/ मी. टन

68. प्राधिकारी ने प्रमुख कच्ची सामग्रियों अर्थात सीपीवीसी रेसिन की कीमत में प्रवृत्तियों की भी जांच की है। यह नोट किया जाता है कि सीपीवीसी रेसिन की कीमत पीवीसी रेसिन की कीमत से काफी नजदीक है। नीचे दी गई तालिका में पीवीसी रेसिन का कीमत परिवर्तन और चीन जन. गण. से सीपीवीसी रेसिन के शुल्क मुक्त और शुल्क प्रदत्त आयातों की कीमत दर्शाई गई है। यह देखा गया है कि सीपीवीसी रेसिन के शुल्क प्रदत्त आयातों की कीमत में पीवीसी रेसिन की कीमत के अनुसार परिवर्तन नहीं हुआ है।

69. इस प्रकार यह देखा गया है कि शुल्क प्रदत्त आयातों की आयात कीमत में इनपुट कीमत के अनुरूप परिवर्तन नहीं हुआ है और यह शुल्क के बेंचमार्क रूप से प्रभावित है। अतः प्राधिकारी यह मानने का प्रस्ताव करते हैं कि यह शुल्क मुक्त आयातों की कीमत ही है, जोकि वर्तमान निर्धारण के प्रयोजन के लिए संगत है, चाहे पाटनरोधी उपायों से घरेलू उद्योग को क्षति होने की संभावना हो। यह वही कीमत है, जिस पर उत्पाद को निर्यात किया जाएगा, यदि उपाय जारी नहीं रहते।

70. घरेलू उद्योग ने अतिरिक्त रूप से डीआरआई आदेश की प्रति प्रदान की है, जिसमें यह कहा गया है कि उसने सीमा शुल्क से पूर्व घोषित किए जा रहे वास्तविक मूल्य से अधिक के साक्ष्य मिले हैं और जिसमें न्यूनतम या कोई भी पाटनरोधी शुल्क भुगतान नहीं किया जा रहा था। जांच की प्रक्रिया चल रही है। अतः प्राधिकारी यह नोट करते हैं कि आयात कीमत पर भरोसा नहीं किया जा सकता।

71. यह नोट किया जाता है कि कोरिया गणराज्य से सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना सीपीवीसी रेसिन के कोई भी आयात नहीं हैं। इसके अलावा, किसी संबद्ध देशों से शुल्क मुक्त बाजार में सीपीवीसी कंपाउंड के कोई भी आयात नहीं हैं।

ख. कीमत कटौती

72. नीचे दी गई तालिका में क्षति अवधि के दौरान कीमत कटौती दर्शाई गई है :

<u>सीपीवीसी रेसिन</u>

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**अप्रैल - 21 से जून - 22**	***जांच की अवधि**
1	**कीमत कटौती**					
क	संबद्ध देश	रु./ मी. टन	***	***	***	***
ख	चीन जन. गण.	रु./ मी. टन	***	***	***	***
ग	कोरिया गणराज्य	रु./ मी. टन	***	***	***	***
2	**कीमत कटौती**					
क	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
ख	चीन जन. गण.	%	***	***	***	***
ग	कोरिया गणराज्य	%	***	***	***	***
3	**कीमत कटौती**					
क	संबद्ध देश	रेंज	10-20%	(10-20)%	(0-10)%	(10-20)%
ख	चीन जन. गण.	रेंज	10-20%	(10-20)%	(10-20)%	(10-20)%
ग	कोरिया गणराज्य	रेंज	10-20%	(10-20)%	0-10%	(10-20)%

**1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023*

सीपीवीसी कंपाउंड

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	**कीमत कटौती**					
क	संबद्ध देश	रु./ मी. टन	***	***	***	***
ख	चीन जन. गण.	रु./ मी. टन	***	***	***	***
ग	कोरिया गणराज्य	रु./ मी. टन	***	***	***	***
2	**कीमत कटौती**					
क	संबद्ध देश	%	***	***	***	***
ख	चीन जन. गण.	%	***	***	***	***
ग	कोरिया गणराज्य	%	***	***	***	***
3	**कीमत कटौती**					
क	संबद्ध देश	रेंज	0-10%	0-10%	(0-10)%	(10-20)%
ख	चीन जन. गण.	रेंज	0-10%	0-10%	(0-10)%	(10-20)%
ग	कोरिया गणराज्य	रेंज	10-20%	लागू नहीं	लागू नहीं	लागू नहीं

**1 जुलाई, 2022 से 30 जून, 2023*

73. यह देखा गया है कि कीमत कटौती वर्ष 2019-20 में सकारात्मक है। यह वही अवधि थी, जब कुछ अवधि के लिए पाटनरोधी उपाय लागू नहीं थे। बैंचमार्क उपायों के रूप में पाटनरोधी उपाय लागू नहीं थे। बैंचमार्क उपायों के रूप में पाटनरोधी उपायों के लागू होने के बाद, आयातों की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक कीमत कटौती है।

74. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि शुल्क प्रदत्त बाजार में आयात कीमत पर तुलना के लिए भरोसा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उत्पादकों द्वारा बैंचमार्क स्तर के अनुसार आयातों को रखा गया है और शुल्क मुक्त तथा शुल्क प्रदत्त आयात कीमतों में काफी अंतर है। घरेलू उद्योग के अनुरोध की जांच करते हुए यह पाया गया कि शुल्क मुक्त आयातों में औसत आयात कीमत पर उपायों के बैंचमार्क रूप से प्रभाव पड़ा है, अतः प्राधिकारी ने शुल्क प्रदत्त और शुल्क मुक्त आयातों के लिए भी कीमत कटौती की जांच की है, जो नीचे दर्शाया गया है :

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**शुल्क मुक्त आयातों के संबंध में कीमत**	**शुल्क प्रदत्त आयातों के संबंध में कीमत**
1	घरेलू उद्योग की कीमत (सीपीवीसी रेसिन)	रु./ मी. टन	***	***
2	पहुंच कीमत	रु./ मी. टन	1,18,262	1,80,207
3	कीमत कटौती	रु./ मी. टन	***	***
4	कीमत कटौती	%	***	***
5	कीमत कटौती	रेंज	30-40	नकारात्मक

75. यह देखा गया है कि शुल्क भुगतान वाले आयातों में कीमत कटौती नकारात्मक है, कीमत कटौती शुल्क मुक्त आयातों के संबंध में बहुत ही सकारात्मक है।

ग. <u>कीमत ह्रास/ न्यूनीकरण</u>

76. संबद्ध आयातों की बिक्रियों की लागत और बिक्री कीमत की तुलना नीचे दी गई है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
क	**सीपीवीसी रेसिन**					
1	बिक्रियों की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	114	109
2	निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	153	143
ख	**सीपीवीसी कंपाउंड**					
1	बिक्रियों की लागत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	112	115
2	निवल बिक्री कीमत	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	146	141

** 1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

77. घरेलू उद्योग ने यह अनुरोध किया है कि पाटनरोधी उपायों से घरेलू उद्योग पर्याप्त पारिश्रमिक कीमतें ला पाया है। अतः आयातों में घरेलू उद्योग की कीमतों पर कोई दवाब/ मंदी का प्रभाव नहीं था।

छ.3.4. <u>घरेलू उद्योग के आर्थिक मापदंडों पर प्रभाव</u>

78. नियमावली के अनुबंध-II के साथ पठित नियम 11 में यह प्रावधान है कि किसी क्षति निर्धारण में ऐसे कारकों की जांच शामिल होगी, जो घरेलू उद्योग को क्षति को दर्शा सकते हैं, *".....समान वस्तुओं के लिए पाटित आयातों की मात्रा, घरेलू बाजार में कीमतों पर उनके प्रभाव और ऐसी वस्तुओं के घरेलू उत्पादकों पर ऐसे आयातों के परिणामी प्रभाव सहित सभी संगत*

तथ्यों को ध्यान में रखते हुए...../" कीमतों पर पाटित आयातों के प्रभाव पर विचार करते हुए, यह जांच करा आवश्यक समझा गया है कि क्या भारत में समान वस्तु की कीमत की तुलना में पाटित आयातों से एक महत्वपूर्ण कीमत कटौती हुई है अथवा क्या ऐसे आयातों का प्रभाव एक महत्वपूर्ण मात्रा में कीमतों पर अन्यथा दवाब डालने के लिए है अथवा कीमत में वृद्धि को रोकने के लिए है, जो अन्यथा महत्वपूर्ण मात्रा में हो गई होती। भारत में घरेलू उद्योग पर पाटित आयातों के प्रभाव की जांच करने के लिए, जिनका उद्योग की स्थिति पर संबंध होने का संकेत हो, जैसे उत्पादन, क्षमता उपयोग, बिक्री मात्रा, वस्तुसूची, लाभप्रदता, निवल बिक्री वसूली, पाटन की मात्रा और मार्जिन आदि, पर नियमावली के अनुबंध- II के अनुसार विचार किया गया है।

79. प्राधिकारी ने क्षति और कारणात्मक संबंध पर घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों को नोट किया है और रिकार्ड पर उपलब्ध तथ्यों तथा लागू कानूनों के अनुसार विचार करते हुए उनका विश्लेषण किया है। प्राधिकारी द्वारा किया गया क्षति विश्लेषण स्वतः ही घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोधों का समाधान करता है।

80. इस संबंध में हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए विभिन्न अनुरोधों पर विचार करते हुए, प्राधिकारी ने पाटन और क्षति की संभावना के पहलुओं की जांच शुरू करने से पूर्व, घरेलू उद्योग को यदि कोई वर्तमान क्षति है, तो उसकी जांच की है।

क. क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियां

81. क्षति अवधि के दौरान क्षमता, उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों के संबंध में सूचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**अप्रैल - 21 से जून - 22**	***जांच की अवधि**
1	स्थापित क्षमता	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	100	100	100
2	क्षमता उपयोग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	133	135

3	रेसिन उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	115	132	135
4	कंपाउंड का कैप्टिव अंतरण	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	190	246	178
5	कंपाउंड उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	189	244	187
6	घरेलू बिक्रियां					
क	रेसिन	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	97	102	123
ख	कंपाउंड	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	181	232	181
ग	कुल विचाराधीन उत्पाद	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	*सूचीबद्ध*	*100*	*117*	*133*	*137*

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

82. यह देखा गया है कि :

क. क्षति अवधि के दौरान घरेलू उद्योग की क्षमता वही रही। घरेलू उद्योग अपनी क्षमता का उपयोग करने में सक्षम रहा है।

ख. पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ ही घरेलू उद्योग की उत्पादन, क्षमता उपयोग और घरेलू बिक्रियों में वृद्धि हुई है।

ग. घरेलू उद्योग ने 10,000 मी. टन की क्षमता वाले एक अन्य संयंत्र की स्थापना के बाद उत्पादन शुरू किया है और अक्तूबर, 2023 से अपने संयंत्र में उत्पादन शुरू किया है। घरेलू उद्योग ने यह भी अनुरोध किया है कि उसकी योजना 10,000 मी. टन क्षमता का एक अन्य संयंत्र स्थापित करने की है।

ख. बाजार हिस्सा

83. इस अवधि के दौरान आयातों के बाजार हिस्सा और घरेलू उद्योग के संबंध में सूचना इस प्रकार थी :

क्र. सं.	**बाजार हिस्सा**	**यूओएम**	**2019 - 20**	**2020 - 21**	**अप्रैल - 21, जून - 22**	***जांच की अवधि**
1	घरेलू उद्योग	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	129	99	84
2	समर्थक	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	0	0	0	100
3	संबद्ध देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	40	165	153
4	अन्य देशों से आयात	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	113	84	79

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

84. यह देखा गया है कि :

i. संबद्ध देशों से आयातों के बाजार अंश में क्षति अवधि के दौरान वृद्धि हुई है।

ii. घरेलू उद्योग अपनी क्षमता को ध्यान में रखते हुए जितना बाजार अंश प्राप्त कर सकता था उतना प्राप्त करने में समर्थ रहा है।

iii. गैर संबद्ध देशों से आयातों के बाजार अंश में गिरावट आई है।

85. संबद्ध देशों में उत्पादक पाटनरोधी उपायों के लागू रहने के बावजूद, अपने बाजार में वृद्धि करने में समर्थ रहे हैं। यह गैर संबद्ध आयातों की लागत पर था, जिसने महत्वपूर्ण बाजार हिस्सा खो दिया है। नीचे दी गई तालिका में संबद्ध व गैर संबद्ध देशों से आयातों की मात्रा और बाजार हिस्सा दर्शाया गया है।

क्र. सं.	बाजार हिस्सा	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	26,640	9,529	59,085	66,462
2	गैर- संबद्ध देशों से आयात	मी. टन	1,07,469	1,09,650	1,21,570	1,31,665
3	संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***
4	गैर संबद्ध देशों का बाजार हिस्सा	%	***	***	***	***

**1 जुलाई 2022 से 30 जून 2023*

86. यह नोट किया जाता है कि जबकि गैर संबद्ध देशों से आयातों की निरपेक्ष मात्रा लगभग उसी स्तर पर रही, जो क्षति अवधि से पहले थी, आयातों की मात्रा में केवल संबद्ध देशों से वृद्धि दर्शाई गई है, जिसके परिणास्वरूप उनके बाजार में वृद्धि हुई है। संबद्ध देशों के बाजार हिस्से में वृद्धि हुई है, जबकि गैर संबद्ध आयातों के बाजार हिस्से में गिरावट आई है।

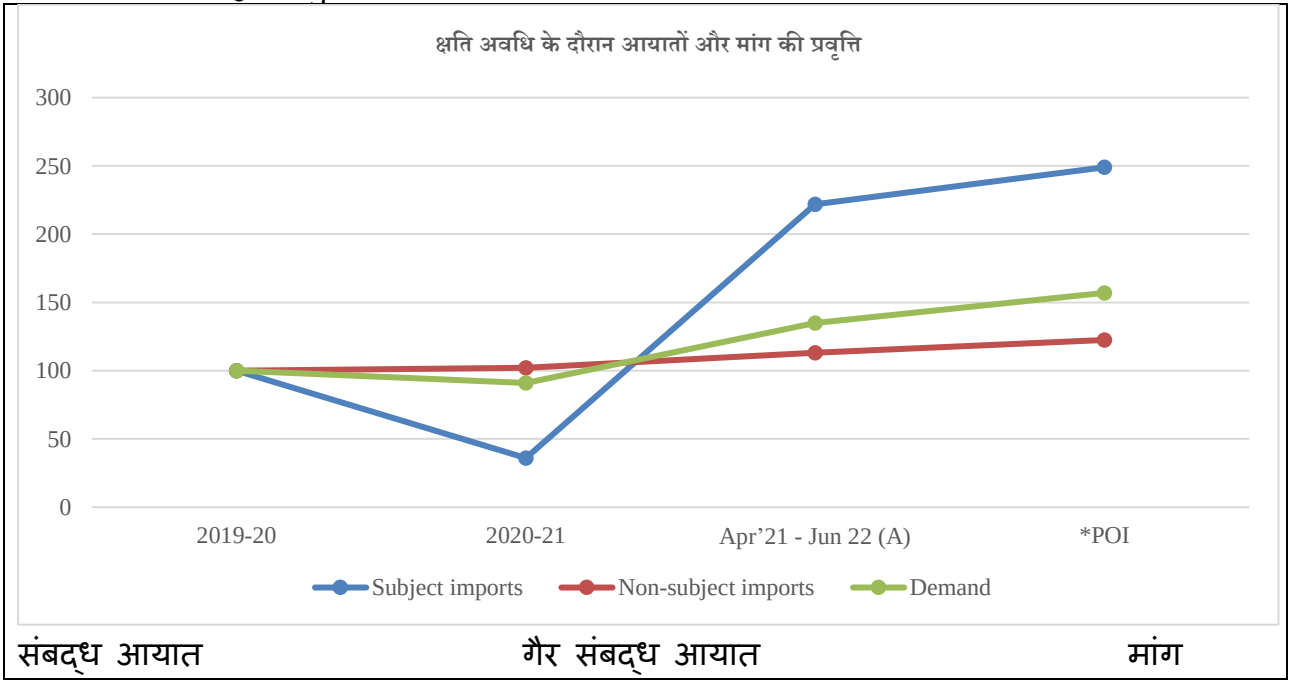

संबद्ध आयात गैर संबद्ध आयात मांग

ग. लाभप्रदता, नकदी लाभ और निवेश पर प्रतिफल

87. लाभप्रदता, निवेश पर प्रतिफल और नकदी लाभ के संबंध में सूचना इस प्रकार है :

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	2019 - 20	2020 - 21	अप्रैल - 21 से जून - 22	*जांच की अवधि
1	लाभ/ (हानि)	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	-100	7,114	10,578	8499
2	पीबीआईटी	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	258	314	255
3	नकदी लाभ	रु./ मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	249	317	266
4	आरओसीई	%	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	280	420	380

**1 जुलाई, 2022 से जून, 2023*

88. यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग वर्ष 2019-20 में हानियों का सामना कर रहा था। अगस्त, 2019 में पाटनरोधी शुल्क लगाए जाने के साथ ही, घरेलू उद्योग लाभकारी कीमतें लाने में समर्थ रहा है और उनकी लाभप्रदता में सुधार आया है। परिणास्वरूप, घरेलू उद्योग अपने लाभों, नकदी लाभ, पीबीआईटी और नियोजित पूंजी पर प्रतिफल में वृद्धि कर पाने में समर्थ रहा है।

89. घरेलू उद्योग ने यह कहा है कि भारत में मांग की तुलना में उसके पास बिक्री करने के लिए सीमित क्षमता थी। अतः यहां तक कि जब वास्तविक आयात कीमत कमतर थी, तो उपायों के बैंचमार्क रूप से घरेलू उद्योग अपनी क्षमता तक की मात्रा और अपेक्षित कीमतों पर बिक्री कर पाया है।

घ. मालसूची

90. मालसूचियों पर सूचना निम्नानुसार है*:*

क्र.सं.	विवरण	यू.ओ.एम.	2019-20	2020-21	अप्रैल'21-जून'22	*जांच की अवधि

1	प्रारंभिक मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
2	अंतिम मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
3	औसत मालसूची	मी. टन	***	***	***	***
4	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	57	61	68

** 01 जुलाई2022-30 जून 2023*

91. क्षति अवधि में घरेलू उद्योग कीमालसूचियों में गिरावट आई है। घरेलू उद्योगों ने कहा है कि वह घरेलू बाजार में अपने उत्पादन की बिक्री करने में सक्षम हैं और धारित मालसूची महत्वपूर्ण नहीं है।

ड. रोजगार, मजदूरी और उत्पादकता

92. क्षति अवधि में उत्पादकता, रोजगार और मजदूरी संबंधी सूचना निम्नानुसार है:

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल'21-जून'22 (क)**	***जांच की अवधि**
1	कर्मचारियों की संख्या	संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	98	98	100
2	वेतन और मजदूरियां	लाख रुपए	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	92	92	112
3	प्रतिदिन उत्पादकता	मी. टन /दिन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	113	130	135
4	उत्पादकता प्रति कर्मचारी	मी. टन /संख्या	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	118	134	134

** 01 जुलाई 2022-30 जून 2023*

93. उत्पादन में वृद्धि के साथ क्षति अवधि में घरेलू उद्योग की उत्पादकता में सुधार हुआ है। आधार वर्ष तथा पिछले वर्ष की तुलना में भुगतान की गई मजदूरी में वृद्धि हुई है। क्षति अवधि में कर्मचारियों की संख्या स्थिर बनी रही है।

च. वृद्धि

94. घरेलू उद्योग ने बताया है कि उपायों को लागू किए जाने से इसके मात्रा और कीमत निर्धारण खातों, दोनों में वृद्धि हुई है। तथापि, जांच की अवधि में लाभ/हानि, नकद लाभ आरओसीई वृद्धि में गिरावट आई है। यह देखा गया है कि घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का उपयोग करने और अपने उत्पाद की लाभ पर बिक्री करने में समर्थ है।

क्र.सं.	**विवरण**	**इकाई**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल'21-जून'22 (क)**	***जांच की अवधि**
1	क्षमता	वाई/वाई	-	-	-	-
2	उत्पादन	वाई/वाई	-	15%	15%	2%
3	बिक्रियां	वाई/वाई	-	17%	14%	3%
4	बाजार हिस्सा	वाई/वाई	-	29%	-23%	-15%
5	लाभ/हानि	वाई/वाई	-	7214%	49%	-20%
6	नकद लाभ	वाई/वाई	-	149%	27%	-16%
7	आरओसीई	वाई/वाई	-	230%	35%	-7%

**01 जुलाई 2022-20 जून 2023*

छ. पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता

95. पाटन-रोधी उपायों को लागू करने के साथ, घरेलू उद्योग की पूंजी निवेश जुटाने की क्षमता में सुधार हुआ है। घरेलू उद्योग ने 150 करोड़ रुपए के निवेश और 10,000 मी.टन अधिक क्षमता को जोड़ने के द्वारा जांच के पश्चात की अवधि में अपनी क्षमता में विस्तार किया है। पाटन रोधी शुल्कों को लागू किए जाने से अन्य उत्पादकों को भारत में निवेश स्थापित करने के लिए प्रोत्साहन मिला है।

96. जैसा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, उपायों के कारण अन्य उत्पादकों द्वारा भी क्षमताओं की स्थापना की गई है जैसा कि नीचे तालिका में देखा जा सकता है:-

क्र.सं.	उत्पादक	क्षमता (मी. टन)	निवेश रु. (करोड़)	स्थिति

1	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	10,000	300	विद्यमान
2	एपिग्रल लिमिटेड	30,000	200	आरंभ किया गया
3	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	10,000	150	अक्तूबर, 23 से प्रचालन में
4	एपिग्रल लिमिटेड	45,000	300	अप्रैल, 24से प्रचालन में
5	लुब्रीज़ोल	1,00,000	1200	संयंत्र का निर्माण कार्य आरंभ किया गया
6	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	20,000	150	पर्यावरण स्वीकृति लंबित
	कुल	2,15,000	> 2400	

ज. डंपिंग का मार्जिन

97. यह देखा गया है कि शुल्क-मुक्त आयात के संबंध में चीन पीआर से भारत में संबद्ध वस्तुओं की डंपिंग जारी है। कोरिया आरपी के संबंध में डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है।

ज. <u>कारणात्मक संबंध और गैर-आरोप्य विश्लेषण</u>

98. नियमों के अनुसार, प्रधिकारी द्वारा अन्य बातों के साथ-साथ पाटित आयातों के अलावा किन्हीं ज्ञात कारकों की जांच किया जाना जरुरी है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा रहे हैं या पहुंचाने की संभावना है, ताकि इन अन्य कारकों द्वारा पहुंचाई गई क्षति को पाटित आयातों पर आरोपित न किया जाए। जहां वर्तमान जांच एक निर्णायक समीक्षा जांच है और मूल जांच में कारणात्मक संबंध की पहले ही जांच की जा चुकी है, प्राधिकारी ने इस बात की जांच की है कि क्या अन्य ज्ञात सूचीबद्ध कारकों के कारण घरेलू उद्योग को क्षति हुई है या होने की संभावना है। इस बात की जांच की गई कि क्या नियमों के अंतर्गत सूचीबद्ध अन्य कारकों ने घरेलू उद्योग द्वारा सामना की जा रही क्षति में येगदान दिया है या योगदान दिए जाने की संभावना है।

क. तीसरे देशों से आयातों की मात्रा और कीमत

99. यह देखा गया है कि युरोपीय संघ, जापान, थाईलैड और संयुक्त राज्य अमेरिका सहित अन्य स्रोतों से आयात न्यूनतम सीमा से अधिक थे। असंबद्ध देशों से आयातों की कीमत उल्लेखनीय रूप से अधिक है। नीचे दी गई तालिका जांच की अवधि में असंबद्ध देशों से आयातों की कीमत को दर्शाती हैं:-

माह	गैर असंबद्ध देशों कीमतें- ₹/मी. टन		डीआई कीमतें- ₹/मी. टन		कीमतों में अंतर- ₹/मी. टन	
	रेजिन	कम्पाउंड	रेजिन	कम्पाउंड	रेजिन	कम्पाउंड
जुलाई-22	1,77,214	2,60,689	***	***	***	***
अगस्त-22	1,89,216	2,52,557	***	***	***	***
सितंबर-22	1,78,003	2,65,268	***	***	***	***
अक्तू.-22	1,84,560	2,65,416	***	***	***	***
नवंबर-22	1,92,816	2,60,655	***	***	***	***
दिसंबर-22	2,10,889	2,55,294	***	***	***	***
जनवरी-23	1,95,301	2,45,666	***	***	***	***
फरवरी-23	1,75,991	2,47,553	***	***	***	***
मार्च-23	1,76,390	2,29,841	***	***	***	***
अप्रैल-23	1,70,651	2,28,887	***	***	***	***
मई-23	1,66,698	2,32,015	***	***	***	***
जून-23	1,65,182	2,37,510	***	***	***	***
औसत	**1,81,766**	**2,49,772**	***	***	***	***

100. ये आयात लगातार अधिक कीमतों पर किए गए हैं। इन आयातों ने विगत में घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित नहीं किया है और घरेलू उद्योग के निष्पादन को प्रभावित करने की संभावना प्रतीत नहीं होती।

ख. मांग में संकुचन और/या खपत के पैटर्न में परिवर्तन

101. क्षति अवधि में विचाराधीन उत्पाद की मांग में वृद्धि हुई है। इसके अलावा, भविष्य में मांग के और अधिक बढ़ने की संभावना है।

ग. व्यापार प्रतिबंधात्मक पद्धतियां

102. प्राधिकारी नोट करते हैं कि कोई व्यापार प्रतिबंधित पद्धतियां नहीं है।

घ. प्रौद्योगिकी में परिवर्तन

103. प्राधिकारी नोट करते हैं कि उत्पाद के उत्पादन की प्रौद्योगिकी में कोई परिवर्तन नहीं हुआ है।

ड. निर्यात निष्पादन

104. घरेलू उद्योग ने उत्पाद का निर्यात नहीं किया है।

च. अन्य उत्पादों का निष्पादन

105. प्राधिकारी ने केवल विचाराधीन उत्पाद के निष्पादन से संबंधित आंकड़ों पर विचार किया है। इसलिए, घरेल उद्योग द्वारा उत्पादित और बिक्री किए गए अन्य उत्पादो का निष्पादन घरेलू उद्योग को क्षति का संभव कारण नहीं हो सकता है।

झ. <u>क्षति मार्जिन की मात्रा</u>

106. प्राधिकारी ने यथा संशोधित अनुबंध IIIके साथ पठित नियमों में निर्धारित किए गए सिद्धांतों के आधार पर घरेलू उद्योग के लिए क्षति रहित कीमत का निर्धारण किया है। क्षति रहित कीमत को घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई उत्पादन की लागत से संबंधित सूचना/आंकड़ों को अपना कर निर्धारित किया गया है। क्षति मार्जिन की संगणना करने के लिए संबद्ध देशों से विचाराधीन उत्पादन की पहुंच कीमत के साथ क्षति रहित कीमत की तुलना की गई है। क्षति रहित कीमत का निर्धारण करने के लिए, कच्चे माल और युटिलिटीज के सर्वोत्तम उपयोग तथा उत्पादन क्षमता के सर्वोत्तम उपयोग पर विचार किया गया है। उत्पादन की लागत और/या क्षति रहित कीमत से असाधारण या अनावर्ती व्ययों और/या परिसंपत्तियों को शामिल नहीं किया गया है। क्षति रहित कीमत पर पहुंचने के लिए ब्याज, कर और लाभ की वसूली के लिए विचाराधीन उत्पाद के लिए नियोजित औसत पूंजी (अर्थात औसत निवल निर्धारित परिसंपत्ति तथा औसत कार्यशील पूंजी) पर एक उचित आय (कर-पूर्व @ 22%) को अनुमति दी गई है, जैसा कि नियमों के अनुबंध IIIमें निर्धारित किया गया है।

क्र.सं.	विवरण	एनआईपी	पहुंच कीमत	क्षति मार्जिन		
		$/मी. टन	$/मी. टन	$/मी. टन	%	रेंज
1	चीन जन. गण.					
क	रेजिन	***	***	***	***	(0-10)%
ख	कम्पाउंड	***	***	***	***	(10-20)%
2	कोरिया गणराज्य					
क	हनवा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	***	***	***	***	(10-20)%
	रेजिन	***	***	***	***	(0-10)%
	कम्पाउंड	-	-	-	-	-
ख	कोई अन्य	***	***	***	***	(0-10)%
	रेजिन	***	***	***	***	(0-10)%
	कम्पाउंड	-	-	-	-	-

ञ. <u>क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना</u>

ञ.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा किए गए अनुरोध

107. संभावना के संबंध में अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा निम्नलिखित अनुरोध किए गए है:

i. घरेलू उद्योग ने सिर्फ संभावित क्षमता वृद्धि और चीन में अधिक क्षमता के दावों से संबंधित सूचना उपलब्ध कराई है किंतु अतिरिक्त या विस्तारित क्षमताओं को स्थापित करने से संबंधित कोई महत्वपूर्ण साक्ष्य उपलब्ध नहीं कराए हैं।

ii. हानवहा ने अनुरोध किया है कि घरेलू उद्योग ने कोरिया गणराज्य के लिए ऋणात्मक पाटन और क्षति मार्जिन का दावा किया है जो क्षति की संभावना के अभाव को दर्शाता है।

iii. हानवहा ने अनुरोध किया है कि कोरिया गणराज्य पर शुल्क को समाप्त किया जाना न्यायसंगत है क्योंकि हानवहा का पाटन और क्षति मार्जिन ऋणात्मक है। हानवहा का भारत में बाजार हिस्सा 6% है। .

iv. हानवहा ने अनुरोध किया है कि अन्य राष्ट्रों से कोरिया गणराज्य के विरुद्ध कोई व्यापार प्रतिबंधित उपाय लागू नहीं है। भारत के लिए निर्यात कीमत एक बाजार - आधारित कीमत निर्धारण है और अनुचित पद्धतियों का इसमें अभाव है।

v. हानवहा ने अनुरोध किया है कि पिछले वर्षों की तुलना में जांच की अवधि के दौरान भारत को निर्यातों में गिरावट आई है जो पाटन और क्षति के आवर्तन की कमी की ओर संकेत करता है।

vi. हानवहा ने अनुरोध किया है कि यह 44,000 मी.टन की क्षमता के साथ कोरिया में सीपीवीसी रेसिन और कम्पाउंड का एकमात्र उत्पादक है न कि 60,000 मी.टन की क्षमता के साथ जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा आरोप लगाया गया है।

vii. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. से पाटित आयात महत्वपूर्ण मात्रा में हैं और यदि शुल्कों को वापिस ले लिया जाता है तो चीन जन. गण. से पाटित आयातों में वृद्धि होने की संभावना है।

viii. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि शुल्क मुक्त आयात कीमतें उल्लेखनीय रूप से पाटित कीमतों पर हैं और यदि उपायों को बढ़ाया नहीं जाता तो शुल्क अदा किए गए आयातों की आयात कीमत तत्काल शुल्क मुक्त आयात कीमत के बराबर हो जाएगी।

ix. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि चीन जन. गण. में सीपीवीसी रेजिन की क्षमताओं में महत्वपूर्ण वृद्धि हुई है। वर्ष 2021 की तुलना में चीन ने 2022 में अपनी क्षमता में 20% तक वृद्धि की है।

x. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि शानडांग जियांग-शेंग ने 2023 में सीपीवीसी में क्षमता विस्तार के लिए लगभग 50 मिलियन अमरीकी डॉलर का निवेश किया है।

xi. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि मंगोलिया चेनहोंगली केमिकल कंपनी लि. ने भी 2017 में 1,00,000 मी.टन के सीपीवीसी क्षमता विस्तार की घोषणा की थी जिसे चरणबद्ध रूप में पूरा किया जाना था। निकट भविष्य में ये क्षमताएं बाजार को प्रभावित करेंगी।

xii. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि शानडांग जियांगशेंग का 90% राजस्व निर्यातों से प्राप्त किया गया है और अधिकांश भारत से है तो निर्यातोन्मुख होने का संकेत करता है।

xiii. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि चीन जनगण से दो सबसे बड़े निर्यातक अपनी क्षमताओं का विस्तार करने की प्रक्रिया में हैं। इसके अलावा, ये दो उत्पादक मुख्य रूप से निर्यातोन्मुख हैं, जो अपने कुल राजस्व का 75-85% निर्यात करते हैं।

xiv. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि समग्र निर्यातों के लगभग 77% के लिए जिम्मेदार इन उत्पादकों के लिए भारत सबसे बड़ा गंतव्य है। ऐसी स्थिति में, यदि समान प्रवृत्तियां जारी रही तो, अकेले ये दो उत्पादक ही भारत में लगभग 45-50% बाजार हिस्से पर अधिकार कर लेंगे।

xv. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि चीन जनगण में मांग में गिरावट के साथ क्षमता विस्तार भारतीय बाजार के लिए गंभीर खतरा उत्पन्न करता है जो मध्य-पूर्व के लिए

किए जाने वाले निर्यातों के अनुसरण में, चीन जन. गण से संपूर्ण निर्यातों का 75% से अधिक के लिए उत्तरदायी है।

xvi. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि शुल्क भुगतान वाले और शुल्कमुक्त आयातों के बीच अंतर स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि शुल्क भुगतान वाले आयातों की ऊँची कीमत केवल संदर्भित कीमत शुल्कों के कारण हैं।

xvii. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि व्यापारियों की भागीदारी में वृद्धि दर्शाती है कि यह निर्यातक देशों द्वारा गलत घोषणा और शुल्क वंचन के कारण है। ऐसे बहुत से उदाहरण है जहां विभिन्न निर्यातकों का पता समान है।

ञ.2. घरेलू उद्योग द्वारा किए गए अनुरोध

108. घरेलू उद्योग ने संभावना के संबंध में निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

i. विचाराधीन उत्पाद की वैश्विक मांग लगभग 5 लाख मी.टन है जिसमें से भारत में मांग लगभग 2.5 लाख मी.टन है। आधारभूत संरचना में विकास के कारण भारत में मांग तेजी से बढ़ रही है जो विदेशी आपूर्तिकर्ताओं को भारत में उनके निर्यातों को बढ़ाने के लिए आकर्षित करेगी।

ii. चीनी उत्पादक अपनी मांग से ज्यादा उल्लेखनीय उच्च क्षमताओं के साथ संचालन करते हैं और अपने उत्पादों को भारतीय बाजार में पाटित करेंगे।

iii. आयात कीमतें उपायों के बैंचमार्क रूप के समानुरूप हैं। शुल्कमुक्त आयातों की कीमतें असली आयातों का प्रतिनिधित्व करती है और उपायों को समाप्त किए जाने की स्थिति में आयातों के बाजारों में अभिभावी होने की संभावना है।

iv. शुल्कमुक्त आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम कीमतों पर हैं जो महत्वपूर्ण कीमत कटौती की संभावना को दर्शाता है।

v. शुल्कमुक्त आयातां की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत से कम है जो घरेलू उद्योग पर कीमतों को कम करने के लिए दबाव डालेंगे। आयात घरेलू उद्योग की कीमतों में ह्रास करेंगे।

vi. यदि शुल्कमुक्त आयातों की कीमत से घरेलू उद्योग अपनी कीमत का मिलान करता है तो उसे वित्तीय हानियों का सामना करना पड़ेगा।

vii. सीपीवीसी रेजिन और कम्पाउंड के लिए मांग 130 केटी और 119 केटी है जो चीन पीआर की क्षमता से उल्लेखनीय रूप से कम है। यदि उपायों को समाप्त किया जाता है तो निष्क्रिय क्षमता भारतीय बाजार की ओर उन्मुख हो जाएगी।

viii. 2/3 भाग क्षमताओं का पहले ही निर्यात प्रयोजनों के लिए प्रयोग किए जाने के बावजूद, चीनी निर्माता क्षमताओं में और अधिक वृद्धि कर रहे हैं। संबद्ध देशों में उत्पादक अधिक निर्यातोन्मुखी हैं।

ix. हान्वहा सॉल्यूशन कार्पोरेशन ने क्षमता में केवल 47% वृद्धि के बारे में सूचित किया है किंतु घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराए गए साक्ष्य के अनुसार क्षमता को 30,000 मी.टन से दोगुना कर 60,000 मी.टन तक कर दिया गया है।

x. अन्य देशों से संबद्ध देशों को निर्यात घरेलू उद्योग के सामान्य मूल्य, क्षति-रहित कीमत और बिक्री कीमत पर हैं। भारतीय खपत, घरेलू उद्योग की बिक्रियों और भारतीय उद्योग की बिक्रियों से तुलना किए जाने पर ये निर्यात महत्वपूर्ण हैं।

xi. पाटनरोधी उपायों के बावजूद संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है जो उपायों को समाप्त किए जाने की स्थिति में और अधिक वृद्धि की संभावना को दर्शात हैं।

xii. शुल्कमुक्त आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन और क्षति मार्जिन उल्लेखनीय रूप से अधिक है। इसलिए आयातों का पाटित और क्षति कारक कीमतों पर आना जारी है।

xiii. शानडांग जियांगशेंग न्यू मेटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लि. और शानडांग नोविस्ता केमिकल्स कंपनी लि. (नोविस्ता ग्रुप) अत्यधिक निर्यातोन्मुखी है क्योंकि वे दावा करते हैं कि उनके निर्यात संचालन उनके कुल संचालनों का 70% से अधिक है।

xiv. शानडांग गाओजिन केमिकल्स कंपनी लि. और शानडांग जियांगशेंग न्यू मेटीरियल्स टेक्नोलॉजी कंपनी लि. ने अपनी क्षमता का विस्तार किया है। यह उत्पादकों द्वारा उल्लेखनीय रूप से उच्च क्षमता पर संचालन करने के बावजूद किया गया है।

xv. हानवहा द्वारा दायर उत्तर भारत को निर्यात में वृद्धि की संभावना को स्थापित करता है।

क्र.सं.	विवरण	इकाई	वित्त वर्ष 2020	वित्त वर्ष 2021	वित्त वर्ष 2022	जांच की अवधि	परिवर्तन जांच की अवधि बनाम 2022
1	स्थापित क्षमता	मी. टन	100	100	110	147	34%
2	उत्पादन	मी. टन	100	312	357	346	-3%
3	घरेलू बिक्री	मी. टन	100	135	242	257	6%

xvi. हानवहा एक ही स्थान पर पीवीसी सस्पेंशन, पीवीसी पेस्ट रेजिन और सीपीवीसी रेजिन, इन सभी तीनों उत्पादों का उत्पाद करता है। हानवहा के पीवीसी सस्पेंशन रेजिन पर विचार करते हुए सीपीवीसी के लिए निर्मित कीमत और पीवीसी से सीपीवीसी में परिवर्तन की लागतों के बीच तुलना यह दर्शाएगी कि सीपीवीसी की निर्मित कीमत वास्तविक आयात कीमत की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से निम्न है।

xvii. निर्मित सीपीवीसी कीमत और सीपीवीसी आयात कीमत के बीच अंतर न केवल बहुत अधिक है बल्कि समय के साथ इसमें महत्वपूर्ण रूप से वृद्धि भी हुई है। जब सस्पेंशन कीमत में गिरावट आ रही थी, सीपीवीसी कीमत में समानुपातिक रूप से गिरावट नहीं आई थी । वास्तव में, जब सस्पेंशन की कीमत में लगभग 45% की गिरावट आई थी, सीपीवीसी कीमतें लगभग समान क्षेत्र में बनी रही थी।

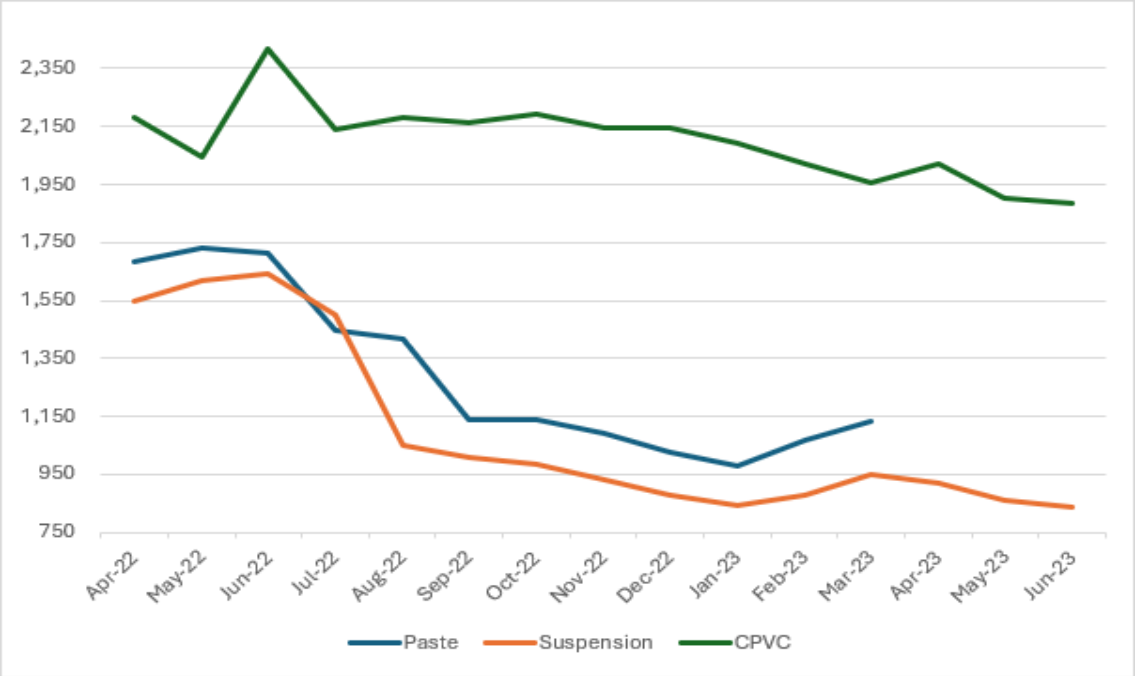

ञ.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

109. वर्तमान जांच चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर लागू शुल्कों की निर्णायक समीक्षा है। नियमों के अंतर्गत, प्राधिकारी द्वारा यह निर्धारित किए जाने की आवश्यकता है कि क्या वर्तमान शुल्क को समाप्त किए जाने से घरेलू उद्योग को पाटन और क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना है।

110. प्राधिकारी ने धारा 9ए (5) नियम 23 और नियमावली के अनुबंध II(vii) के संदर्भ में महत्वपूर्ण क्षति के खतरे से संबंधित मापदंडों तथा हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत अन्य प्रासंगिक कारकों के तहत निर्धारित अनिवार्यता पर विचार करते हुए क्षति के जारी रहने या उसकी पुनरावृत्ति की संभावना की जांच की है।

111. ऐसे संभावना संबंधी विश्लेषण को आयोजित करने के लिए कोई विशिष्ट पद्धति उपलब्ध नहीं है। तथापि, नियमों के अनुबंधIIके खंड(vii) में कारकों के लिए अन्य बातों के साथ-साथ व्यवस्था की गई है जिन्हें ध्यान में रखे जाने की जरुरत है, अर्थात्

क. भारत के पाटित आयातों की वृद्धि की महत्वपूर्ण दर महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए आयात की संभावना की ओर संकेत करती हैं।

ख. पर्याप्त रूप से स्वतंत्र रूप से प्रयोज्य अथवा निर्यातक की क्षमता में महत्वपूर्ण वृद्धि, किन्हीं अतिरिक्त आयातों को अवशोषित करने के लिए अन्य निर्यात बाजारों की उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए, भारतीय बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए पाटित निर्यातों में वृद्धि की संभावना की ओर संकेत करता है।

ग. क्या आयात ऐसी कीमतों पर प्रवेश कर रहे हैं जिनका घरेलू कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रासकारी या न्यूनीकरण प्रभाव पड़ेगा और संभवत: और अधिक आयातों के लिए मांग में वृद्धि होगी; और

घ. वस्तु की मालसूचियों की जांच की जा रही है।

112. प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ यह निर्धारित करने के लिए उपर्युक्त अनिवार्यताओं और निम्नलिखित मापदंडों पर विचार किया है कि क्या पाटन-रोधी शुल्क को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की पुनरावृत्ति होने की संभावना है और यदि ऐसा है तो क्या इनके घरेलू उद्योग की क्षति पहुंचाने की संभावना है। इसके अतिरिक्त, प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग और अन्य हितबद्ध पक्षकारों द्वारा रिकार्ड पर प्रस्तुत सभी संगत सूचनाओं की जांच की है।

113. यह देखा गया है कि चीन जन. गण. से कोई उत्तर प्राप्त नहीं हुआ है। जहां मूल जांच में छह उत्पादकों ने भाग लिया था, वर्तमान जांच में किसी भी चीनी उत्पादक ने सहयोग नहीं किया है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि वर्तमान जांच में चीनी उत्पादकों द्वारा भाग न लेना काफी चिंताजनक है, विशेष कर तब जब इन पर चीन से शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान किए गए आयातों के बीच विभेदक कीमत निर्धारण के गंभीर आरोप हैं और घरेलू उद्योग का दावा है कि शुल्क मुक्त आयातों की कीमत द्वारा घरेलू उद्योग को क्षति की संभावना स्थापित

की गई है और इस प्रयोजन के लिए शुल्क भुगतान किए गए आयातों की पूरी तरह से उपेक्षा की जानी चहिए। प्राधिकारी आगे नोट करते हैं कि न केवल घरेलू उद्योग बल्कि वर्तमान जांच में प्रतिभागी अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने प्रत्यक्ष रूप से अथवा परोक्ष रूप से कहा है कि शुल्कों के स्वरूप के कारण चीन से आयात कीमत दूषित है। इसमें हितबद्ध पक्षकारों के दावों का चीनी निर्यातकों द्वारा पूरी तरह से खंडन नहीं किया गया ।

114. कोरिया गणराज्य से एक उत्पादक, हानवहा, ने वर्तमान जांच में भाग लिया था। यह अनुरोध किया गया है कि वह कोरिया गणराज्य से विचाराधीन उत्पाद का एकमात्र उत्पादक है। इसलिए, कोरिया गणराज्य से क्षति की संभावना की जांच करने के लिए केवल हानवहा कार्पोरेशन द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है। चीन जनगण के लिए, घरेलू उद्योग द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना पर विचार किया गया है।

क. भारत में पाटित आयातों की वृद्धि की दर आयात सामग्री के बढ़ने की संभावना की ओर संकेत करती है।

115. नीचे दी गई तालिका संबद्ध देशों से आयातों के संबंध में सूचना को दर्शाती है:-

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2019-20	2020-21	अप्रैल'21 - जून 22 (क)	*जांच की अवधि
1	संबद्ध आयात	मी. टन	26,640	9,529	59,085	66,462
	चीन जन. गण.	मी. टन	14,491	7,826	43,210	54,872
	कोरिया गणराज्य	मी. टन	12,148	1,703	15,875	11,590
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	36	222	249
2	असंबद्ध आयात	मी. टन	1,07,469	1,09,650	1,21,570	1,31,665
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	102	113	123
3	कुल आयातों में हिस्सा	%	20%	8%	33%	34%
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	40	165	169
4	मांग	मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचकांक	100	91	135	157

** 01 जुलाई 2022-30 जून 2023*

116. यह देखा गया है कि: -

i. जांच की अवधि में संबद्ध देशों से आयातों की मांग बढ़ी है।

ii. मांग के संबंध में भी संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है। मांग के संबंध में वृद्धि से तात्पर्य यह है कि आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में अधिक थी। यह दर्शाता है कि आयातों में वृद्धि केवल मांग और आपूर्ति अंतर के कारण नहीं थी।

iii. कुल आयातों के संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि हुई है।

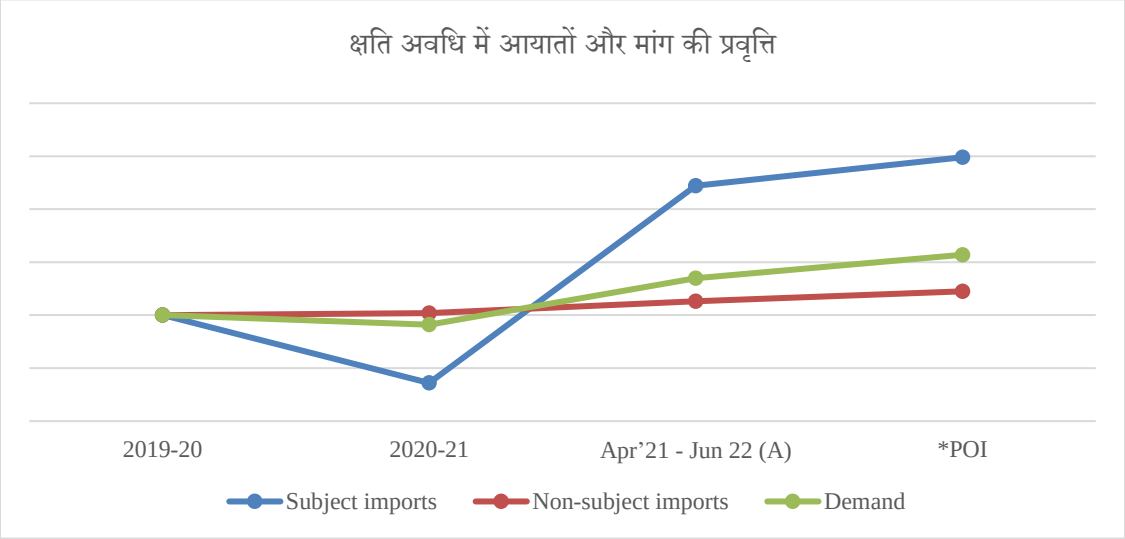

117. भारतीय उद्योग की निम्न क्षमता और देश में भारी मांग पर विचार करते हुए, यह स्वभाविक था कि सभी स्रोतों से आयातों में वृद्धि होती। यह देखा गया है कि संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि मांग में वृद्धि की तुलना में महत्वपूर्ण रूप से अधिक है। इसलिए, उपायों को समाप्त करने की स्थिति में संबद्ध देशों से आयातों में और अधिक वृद्धि होने की संभावना है।

ख. मुक्त रूप से निस्तारणीय क्षमता, भारतीय बाजारों को महत्वपूर्ण रूप से बढ़े हुए पाटित आयातों की ओर इंगित करती है।

118. नीचे दी गई तालिका क्षमता, उत्पादन, घरेलू बिक्रियों और कोरिया गणराज्य से प्रतिभागी उत्पादकों के निर्यातों से संबंधित सूचना को दर्शाती है।

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	2020	2021	2022	जांच की अवधि
1	क्षमता	मी. टन	***	***	***	***

2	उत्पादन	मी. टन	***	***	***	***
3	घरेलू बिक्रियां	मी. टन	***	***	***	***
4	भारत को निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
5	अन्य देशों को निर्यात	मी. टन	***	***	***	***
6	क्षमता के % के रूप में घरेलू बिक्रियां	%	***	***	***	***
7	उत्पादन के % के रूप में निर्यात बिक्रियां	%	***	***	***	***

119. यह देखा गया है कि: -

i. कोरिया गणराज्य से प्रतिभागी उत्पादक की क्षमता घरेलू बिक्रियों की तुलना में अधिक है। घरेलू बिक्रियां कोरिया गणराज्य की क्षमता के 20-30% के बीच है। यह इंगित करता है कि उत्पादक के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं।

ii. हानवहा के उत्पादन का 50% से अधिक भाग निर्यात किया जाता है। उत्पादन में निर्यातों का अधिक हिस्सा उत्पादक के निर्यातोन्मुखी होने की ओर इंगित करता है।

120. घरेलू उद्योग और लुब्रीजोल ने चीन जन. गण. में कुछ उत्पादकों के निर्यातोन्मुख होने पर सूचना उपलब्ध कराई है:-

क्र.सं.	**उत्पादक**	**स्रोत**	**निर्यात**
1	शानडांग जियांगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लि.	घरेलू उद्योग	60-70%
2	शानडांग नोविस्ता केमिकल्स कं, लिमिटेड (नोविस्ता ग्रुप)	घरेलू उद्योग	70-80%
3	शानडांग गाओक्सिन	लुब्रीज़ोल	75%

121. घरेलू उद्योग ने चीन जन. गण. में क्षमताओं पर अलग से सूचना उपलब्ध कराई है। प्रासंगिक सूचना नीचे दर्शायी गई है:-

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**सीपीवीसी रेजिन**	**सीपीवीसी कम्पाउंड**
1	आपूर्ति	000 टन	334.6	340
2	मांग	000 टन	130.1	119

3	अतिरिक्त	000 टन	204.5	141.5
4	अतिरिक्त क्षमता %	%	157%	119%

स्रोत - वीवाईएनजेड, रिसर्च

122. यह देखा गया है कि चीन जन. गण. में क्षमताएं देश में मांग की तुलना में बहुत अधिक है यह इंगित करता है कि चीनी उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताएं हैं और वे निर्यातोन्मुखी हैं।

ग. घरेलू कीमतों पर आयातों के संभावित ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव

123. यह जांच करते हुए कि शुल्क अदा के खंड में आयात कीमत प्रवृत पाटनरोधी उपायों द्वारा प्रभावित हुई है, प्राधिकारी ने आयातों के ह्रासात्मक/न्यूनीकरण प्रभाव की संभावना की जांच करने के लिए शुल्क-मुक्त खंड में आयात कीमत पर विचार करना उचित समझा।

124. नीचे दी गई तालिका शुल्क मुक्त बाजार में आयातों की पहुंच कीमत और बिक्री कीमत तथा घरेलू उद्योग की बिक्रियों की लागत को दर्शाती है। चूंकि, कोरिया गणराज्य से कोई शुल्क मुक्त आयात नहीं हुए हैं, जांच केवल सीपीवीसी रेजिन के चीनी आयातों के लिए की गई है।

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल'21-जून'22**	***जांच की अवधि**
1	शुल्क मुक्त आयातों की सीआईएफ कीमत	रु./मी. टन	92,018	1,11,700	1,39,717	1,18,262
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	121	152	129
2	बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	91	114	109
3	बिक्रीकीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
	प्रवृत्ति	सूचीबद्ध	100	119	153	143

**01 जुलाई 2022-30 जून 2023, आयातों का स्रोत - डीजी सिस्टम सौदावार डेटा।*

125. यह देखा गया है कि जांच की अवधि में शुल्क मुक्त आयातों की कीमत बिक्री कीमत और घरेलू उद्योगो की बिक्रियों की लागत से उल्लेखनीय रूप से कम है। यदि पाटनरोधी उपायों

का विस्तार नहीं किया जाता और संबद्ध देशों से आयात इस कीमत पर किए जाते हैं तो आयात घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की कीमत से कम कीमत पर होंगे। पहले से ही यह पता लगने पर कि उपायों के समाप्त होने के साथ आयातों में वृद्धि की संभावना है, आयातों का घरेलू उद्योग की कीमतों पर महत्वपूर्ण ह्रासात्मक या न्यूनीकरण प्रभाव होगा।

घ. संबद्ध देशों में क्षमता विस्तार

126. घरेलू उद्योग और लुब्रीजोल एडवांस्ड मेटीरियल इंडिया प्राइवेट लिमिटेड ने संबद्ध देशों में नियोजित क्षमता विस्तार के संबंध में सूचना उपलब्ध कराई है।

ड. ***सीपीवीसी रेजिन और सीपीवीसी कंपाउंड के आयात में एंटी-डंपिंग शुल्क की चोरी:***

127. *घरेलू उद्योग ने यूओ नोट संख्या की प्रति प्रदान की है। डीआरआई द्वारा दिनांक* 15.04.2024 *को जारी मुख्यालय/*05*/सीआई/*2024*। उक्त यू.ओ. का उद्धरण नोट नीचे पुन: प्रस्तुत किया गया है:*

"1. *इस निदेशालय द्वारा प्राप्त और आगे विकसित विशिष्ट जानकारी से संकेत मिलता है कि चीन से सीपीवीसी रेजिन के आयात का वास्तविक मूल्य* 1200-1600 *अमेरिकी डॉलर प्रति मीट्रिक टन की सीमा में है, हालांकि कुछ आयातक आयात कर रहे हैं और कीमत* 2000 *अमेरिकी डॉलर की सीमा में घोषित कर रहे हैं।* 2500 *प्रति मीट्रिक टन ताकि एंटी-डंपिंग शुल्क के भुगतान से बचा जा सके।*

2. *चीन और कोरिया से सीटीएच* 3904 *के तहत आयातित क्लोरीनयुक्त पॉलीविनाइल क्लोराइड रेजिन (सीपीवीसी) पर* 26 *अगस्त*, 2019 *से* 5 *साल की अवधि के लिए (*26 *फरवरी से* 6 *मार्च*, 2020 *की अवधि को छोड़कर) निश्चित एंटी-डंपिंग शुल्क लगाया गया था। अधिसूचना संख्या* 05/2020-*सीमा शुल्क (एडीडी) दिनांक* 07.03.2020*। एंटी-डंपिंग शुल्क लैंड वैल्यू (सीआईएफ + बीसीडी) के बीच अंतर के बराबर दर और विनिर्देश, मूल देश और उत्पादक के आधार पर यूएस* $ 2024-2853 *प्रति मीट्रिक टन तक लगाया गया था। इसलिए, घोषित मूल्यांकन योग्य मूल्य जितना कम होगा, एंटी-डंपिंग शुल्क उतना अधिक होगा।*

3. *खुफिया जानकारी पर कार्रवाई करते हुए, चीनी मूल के सीपीवीसी रेजिन के विभिन्न आयातकों के परिसरों पर तलाशी ली गई। फिर से शुरू किए गए सबूतों से पता चलता है कि*

सीमा शुल्क के समक्ष वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य घोषित किया जा रहा था, और न्यूनतम या कोई एंटी-डंपिंग शुल्क का भुगतान नहीं किया जा रहा था।

128. *प्राधिकरण ने विषय जांच में शुल्क के प्रासंगिक स्वरूप को निर्धारित करने के उद्देश्य से उपरोक्त यूओ नोट का संज्ञान लिया है।*

क्र.सं.	**उत्पादक का नाम**	**स्रोत**	**विस्तार**
1	शानडांग गाओक्सिनकेमिकल कं., लिमिटेड	घरेलू उद्योग	50,000 मी.टन
2	शानडांग जियांगशेंग न्यू मैटेरियल टेक्नोलॉजी कंपनी लि.	घरेलू उद्योग	1,00,000 मी.टन
3	शानडांग राइक	लुब्रीज़ोल	20,000 मी.टन

129. कोरिया गणराज्य से प्रतिभागी उत्पादक ने भी क्षमता विस्तार की बात स्वीकार की है। निर्माता ने कहा है कि उसने जांच अवधि में अपनी क्षमता में 14,000 मीट्रिक टन का विस्तार किया है।

घ. शुल्क मुक्त आयातों द्वारा लागत और कीमत कटौती

130. नीचे दी गई तालिका शुल्कमुक्त आयातों की लागत और कीमत कटौती को दर्शाती है।

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**2019-20**	**2020-21**	**अप्रैल'21-जून'22**	***जांच की अवधि**
1	शुल्क मुक्त आयातों की सीआईएफ कीमत	रु./मी. टन	92,018	1,11,700	1,36,618	1,18,262
2	बिक्रियों की लागत	रु./मी. टन	***	***	***	***
3	लागत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***
4		%	***	***	***	***
5		रेंज	20-30%	(10-20)%	(0-10)%	0-10%
6	बिक्री कीमत	रु./मी. टन	***	***	***	***
7	कीमत कटौती	रु./मी. टन	***	***	***	***

8		%	***	***	***	***
9		रेंज	10-20%	10-20%	20-30%	30-40%

** 01 जुलाई 2022-30 जून 2023, आयातों का स्रोत - डीजी सिस्टम सौदेवार डेटा।*

131. यह देखा गया है कि शुल्क-मुक्त आयातों के संबंध में आयात कीमत घरेलू उद्योग की लागत और बिक्री कीमत से महत्वपूर्ण रूप से निम्न है। इसलिए, संबद्ध देशों के आयातों द्वारा घरेलू उद्योग की बिक्री कीमत और बिक्रियों की लागत में कटौती करने की संभावना है।

च. जारीपाटन

132. नीचे दी गई तालिका शुल्क मुक्त और शुल्क - भुगतान आयातों के संबंध में पाटन मार्जिन को दर्शाती है।

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**चीन जन. गण. (सीपीवीसी रेजिन)**		
			शुल्क मुक्त बाजार में आयातों की कीमत	**शुल्क भुगतान बाजार में आयातों की कीमत**	**कुल**
1	सामान्य मूल्य	अम.डॉ./मी. टन	***	***	***
2	निवल निर्यात कीमत	अम.डॉ./मी. टन	***	***	***
3	पाटन मार्जिन	अम.डॉ./मी. टन	***	***	***
4	पाटन मार्जिन	%	***	***	***
5	पाटन मार्जिन	रेंज	60-70%	0-10%	0-10%

133. यह देखा गया है कि जहां शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान दोनों बाजारों में पाटन मार्जिन सकारात्मक है, शुल्क मुक्त आयातों के मामले में यह महत्वपूर्ण रूप से उच्च है। यह देखा गया है कि पाटनरोधी उपायों के प्रवृत होने के बावजूद चीन जन. गण. से पाटन जारी है। उपाय लागू होने पर भी पाटन का जारी रहना दर्शाता है कि पाटनरोधी उपायों को समाप्त किए जाने की स्थिति में पाटन की संभावना है।

134. कोरिया से प्रतिभागी उत्पादक के संबंध में पाटन मार्जिन ऋणात्मक है।

छ. भारतीय बाजार में क्षतिकारक आयात

135. नीचे दी गई तालिका शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान आयात के संबंध में क्षति मार्जिन को दर्शाती है /

क्र.सं.	विवरण	यूओएम	चीन जन. गण. (सीपीवीसी रेजिन)		
			शुल्क मुक्त बाजार में आयातों की कीमत	शुल्क भुगतान बाजार में आयातों की कीमत	कुल
1	क्षति रहित कीमत	अम.डॉ./मी. टन	***	***	***
2	पहुंच कीमत	अम.डॉ./मी. टन	***	***	***
3	क्षति मार्जिन	अम.डॉ./मी. टन	***	***	***
4		%	***	***	***
5		रेंज	35-45%	ऋणात्मक	ऋणात्मक

136. यह देखा गया है कि जहां शुल्क मुक्त आयातों के मामले में क्षति मार्जिन मामूली रूप से ऋणात्मक है वहीं शुल्कयुक्त आयातों के मामले में यह महत्वपूर्ण रूप से उच्च है। भारांशित औसत आधार पर, यह देखा गया है कि क्षति मार्जिन सकारात्मक है। प्राधिकारी नोट करते हैं कि घरेलू उद्योग के लिए आयात लगातार क्षतिकारक बने हुए हैं।

ज. तीसरे देश का निर्यात विश्लेषण

137. तीसरे देश से पाटन से संबंधी सूचना नीचे दी गई है-

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	हानवहा	चीन जन.गण. (वार्षिक)	कुल
1	कुल निर्यात	मी. टन	***	2,55,276	2,60,578
2	पाटित कीमतों पर निर्यात	मी. टन	***	1,67,297	1,69,557
3	पाटित निर्यातों का %	%	***	66%	65%
4	पाटित निर्यात का %	रेंज	40-50%	60-70%	60-70%
5	भारतीय मांग के संबंध में पाटित निर्यात	%			76%

6	भारतीय मांग के संबंध में पाटित निर्यात	रेंज			70-80%

138. यह देखा गया है कि तीसरे देशों को कोरिया गणराज्य से निर्यातों का लगभग 40-50% पाटित कीमतों पर हैं। इसी प्रकार, चीन जन. गण. के मामले में 60-70% निर्यात पाटित कीमतों पर हैं। भारत में मांग से तुलना करने पर संचयी रूप से ये निर्यात मांग का लगभग 80% है।

139. तीसरे देश को क्षतिकारक निर्यातों के संबंध में सूचना नीचे दी गई है:-

क्र. सं.	विवरण	यूओएम	हानवहा	चीन जन.गण. (वार्षिक)	कुल
1	कुल निर्यात	मी. टन	***	2,55,276	2,60,578
2	क्षतिकारक कीमतों पर निर्यात	मी. टन	***	1,26,527	1,28,617
3	क्षतिकारक निर्यातों का %	%	***	50%	49%
4	क्षतिकारक निर्यातों का %	रेंज	35-45%	45-55%	45-55%
5	भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारक निर्यात	%			58%
6	भारतीय मांग के संबंध में क्षतिकारक निर्यात	रेंज			55-65%

140. यह देखा गया है कि कोरिया जन. गण. से तीसरे देशों को किए गए निर्यातों का 30-40% क्षतिकारक कीमतों पर है। इसी प्रकार, चीन जनगण के मामले में 50-60% निर्यात क्षतिकारक कीमतों पर हैं। भारत में मांग की तुलना किए जाने पर ये निर्यात संचयी रूप से कुल मांग का 58% है।

ट. <u>भारतीय उद्योग का हित और अन्य मुद्दे</u>

ट.1. अन्य हितबद्ध पक्षकारों का अनुरोध

141. अन्य हितबद्ध पक्षकारों ने भारतीय उद्योग के हित पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. आशीर्वाद ने अनुरोध किया है कि विचाराधीन उत्पाद से विनिर्मित उत्पादों का पोटेबल पेयजल के परिवहन के लिए प्रयोग किया जाता है और भारत में इसका व्यापक रूप से प्रयोग किया जाता है। यह सुनिश्चित करना अत्यंत महत्वपूर्ण है कि तैयार उत्पादों की गुणवत्ता के संबंध में कोई समझौता करने और विषाक्तता की लीकेज से बचने के लिए सस्ते और निम्न गुणवता वाली कीमतों पर हानिकारक उत्पादों को न प्रयोग किया जाए।

ख. आशीर्वाद ने अनुरोध किया है कि भारत में मांग और आपूर्ति अंतर है जो प्रयोक्ताओं का आयात करने के लिए विवश कर रहा है।

ग. लुब्रीजोल ने अनुरोध किया है कि लुब्रीजोल और ग्रासीम इंडस्ट्रीज 150 मिलियन अमरीकी डॉलर के निवेश के साथ भारत में 1,00,000 मी.टन की क्षमता स्थापित कर रहे हैं। निवेशों के रक्षापायों के लिए पाटनरोधी उपायों का विस्तार किए जाने की जरुरत है।

ट.2. घरेलू उद्योग का अनुरोध

142. घरेलू उद्योग ने भारतीय उद्योग के हित पर निम्नलिखित अनुरोध किए हैं:

क. भारतीय उद्योग क्षमता का विस्तार कर रहा है और लगभग 300 मिलियन डॉलर का निवेश किए जाने की संभावना है। उपायों को समाप्त किए जाने से किए गए या नियोजित निवेश को खतरा पैदा हो जाएगा।

ख. भारत में सीपीवीसी बाजार में नए घरेलू उत्पादकों के प्रवेश करने और वर्तमान उत्पादकों द्वारा उनकी क्षमताओं का विस्तार करने के साथ 2025 तक मांग आपूर्ति अंतर व्यापक रूप से पूरा हो जाएगा। प्रयोक्ताओं द्वारा पाटित आयातों का सहारा लेने की कोई आवश्यकता नहीं है, जैसा कि नीचे सारणी में देखा जा सकता है-

क्र.सं.	**विवरण**	**यूओएम**	**जांच की अवधि**	**एसएसआर जांच की अवधि**	**वर्तमान**	**2025+**
1	खपत	मी. टन	1,30,000	2,35,000	2,40,000	2,52,000
2	अन्य देशों से मिल रहा है	मी. टन	90,000	1,30,000	1,30,000	37,000
3	निवल मांग	मी. टन	40,000	1,05,000	1,10,000	-

4	क्षमता	मी. टन	10,000	40,000	95,000	2,15,000
5	पाटित आयातों द्वारा पूरीकी गई मांग	मी. टन	30,000	65,000	15,000	

ग. घरेलू उद्योग ने समाज के विकास के प्रति प्रयास किए हैं जो न तो अन्य देशों के निर्यातक न ही भारत में व्यापारी यह कार्य करेंगे। केवल जांच की अवधि में ही, संयंत्र पर 69 लाख रुपए व्यय किए गए, जहां उत्पाद का उत्पादन किया जाता है।

घ. उपायों को लागू किए जाने के पश्चात् डाउन स्ट्रीम उद्योग के निष्पादन में सुधार हुआ है जो दर्शाता है कि पाटनरोधी उपायों का विपरीत प्रभाव नहीं पड़ा है।

ड. सीपीवीसी रेजिन की कीमतों में परिवर्तन के बावजूद पाइप (डाउन स्ट्रीम उत्पाद) की कीमतें समान बनी हुई हैं। डाउन स्ट्रीम उद्योग की कीमतें विचाराधीन उत्पाद की कीमतों द्वारा नियंत्रित नहीं की जाती।

च. 225 रुपए प्रति पाइप बनाने की लागत के साथ, पाइपों की बिक्री कीमत लगभग 600 रुपए की सीमा में उल्लेखनीय रूप से अधिक है। पाइप उत्पादक उच्च मार्जिन के साथ प्रचालन करते हैं।

छ. उपभोक्ताओं ने ऐसी कीमत की तुलना में जिस पर ये निश्चय ही संबद्ध स्रोतों से उपलब्ध थे, असंबद्ध स्रोतों से रेजिन और कम्पाउंड की अधिप्राप्ति में 8000 करोड़ रुपए से अधिक का भुगतान किया है । यह दर्शाता है कि पाइप विनिर्माता चीन सेकाफी कम कीमत पर उत्पाद की उपलब्धता के बावजूद खुशी-खुशी असंबद्ध स्रातों से बहुत ऊँची कीमत पर उत्पाद का क्रय कर रहे हैं ।

ज. सीपीवीसी पाइपों का उच्च मध्य आय वर्ग में प्रयोग किया जाता है। निम्न आय वर्ग पीवीसी आधारित पाइपों का प्रयोग करता है जिन की कीमत बहुत कम होती है। पीवीसी की कीमत सीपीवीसी पाइप की कीमत से लगभग 2.5 गुणा कम होती है। इसके अलावा, गाल्वेनाइज्ड आयरन पाइप की कीमत भी सीपीवीसी पाइप की कीमत की तुलना में कम होती है।

झ. लगभग 100 वर्ग मीटर के नए घर की निर्माण लागत लगभग 18 लाख रुपए है, सीपीवीसी पाइपों और फिटिंग की लागत लगभग 15000 रुपए है। निर्माण की लागत में सीपीवीसी का हिस्सा मुश्किल से 0.83% है।

ञ. चाहे सीपीवीसी पाइप की लागत 1500 रुपए (10%) तक बढ़ जाती है तो भी निर्माण लागत पर प्रभाव 0.08% तक पड़ेगा।

ट. उपर्युक्त प्रभाव केवल निर्माण कार्य की लागत पर विचार करता है, यदि भूमि की लागत पर विचार किया जाए तो यह प्रभाव काफी कम होगा। भूमि की लागत निर्माण लागत के 50%से 10 गुणा के बीच कहीं हो सकती है।

ढ. घरेलू उद्योग न केवल अन्य घरेलू उत्पादकों और संबद्ध देशों के साथ बल्कि असंबद्ध देशों के साथ भी प्रतिस्पर्धा कर रहा है, चाहे संबद्ध देशों से आयात प्रतिबंधित है, यह घरेलू उद्योग को भारतीय बाजार में एकाधिकार प्राप्त नहीं करने देंगे।

ड. संबद्ध देशों से उत्पादक केवल लाभों को अधिकतम करने के एकमात्र उद्देश्य के साथ संचालन करते हैं और यदि अन्य बाजार उन्हें बेहतर कीमतें पेश करें तो वे अपना बाजार स्थानांतरित कर लेंगे। जबकि घरेलू उद्योग उपभोक्ता के हित को ध्यान में रखेगा।

ट.3. प्राधिकारी द्वारा जांच

143. प्राधिकारी ने आयातकों, उपभोक्ताओं और अन्य हितबद्ध पक्षकारों सहित सभी हितबद्ध पक्षकारों से उनके मतों को आमंत्रित करते हुए राजपत्र अधिसूचना जारी की। प्राधिकारी ने उपभोक्ताओं के लिए उनके प्रचालनों पर पाटनरोधी शुल्कों के संभावित प्रभाव सहित वर्तमान जांच के संबंध में संगत सूचना उपलब्ध कराने के लिए एक प्रश्नावली भी निर्धारित की है।प्राधिकारी ने अन्य बातों के साथ-साथ, विभिन्न देशों से विभिन्न आपूर्तिकर्ताओं द्वारा आपूर्ति किए गए उत्पाद की विनिमेयता, स्रोतों को बदलने की उपभोक्ता की क्षमता, उपभोक्तओं पर पाटनरोधी शुल्कों का प्रभाव, कारक जो पाटनरोधी शुल्कों को लागू करने के कारण उत्पन्न नई स्थिति के प्रति समायोजन को त्वरित या विलंबित कर सकते हैं, के संबंध में सूचना की मांग की है।

144. यह नोट किया गया है कि सामान्य तौर पर, पाटनरोधी उपायों का उद्देश्य पाटन की अनुचित व्यापार पद्धतियों द्वारा घरेलू उद्योग को होने वाली क्षति को समाप्त करना है, ताकि भारतीय बाजार में एक खुली और उचित प्रतिस्पर्धा की स्थिति को पुन: स्थापित किया जा सके, जो देश के सामान्य हित में है। प्राधिकारी ने माना है कि पाटनरोधी शुल्कों का जारी रहना विचाराधीन उत्पाद के तथा भारत में संबद्ध वस्तुओं के प्रयोग द्वारा विनिर्मित अन्य डाउन स्ट्रीम उत्पादों के कीमत स्तरों को प्रभावित कर सकता है। हालांकि, भारतीय बाजार में पाटनरोधी उपायों को लागू करने से उचित प्रतिस्पर्धा कम नहीं होगी। इसके विपरीत, पाटनरोधी उपायें का जारी रहना घरेलू उद्योग की गिरावट को नियंत्रित करेगा जो संबद्ध देशों से कम

कीमत वाले आयातों के परिणाम स्वरूप घटित हो सकती है और विचाराधीन उत्पाद के उपभोक्ताओं को चयन की विस्तृत उपलब्धता को बनाए रखने में सहायता करेगा।

145. प्राधिकारी ने एक आर्थिक हित प्रश्नावली निर्धारित की है जो इस समीक्षा जांच के सभी हितबद्ध पक्षकारों को भेजी गई थी। केवल घरेलू उद्योग ने आर्थिक हित प्रश्नावली का उत्तर प्रस्तुत किया है। घरेलू उद्योग ने घरेलू उद्योग साथ ही प्रयोक्ता उद्योग से संबंधित सूचना की आपूर्ति की है।

146. प्राधिकारी नोट करते हैं कि विगत में लागू किए गए पाटनरोधी शुल्कों के कारण भारतीय उद्योग की वृद्धि हुई थी। पाटनरोधी उपायों के लागू होने से न केवल घरेलू उद्योग को हानियों से उभरने में सहायता मिली बल्कि अन्य उत्पादकों को भारत में संयंत्र स्थापित करने के लिए भी प्रोत्साहित किया। उपायों को लागू किए जाने से पूर्व, भारत में क्षमता केवल 1,0000 मी.टन थी। हालाँकि, जैसा कि घरेलू उत्पादकों द्वारा प्रस्तुत किया गया है, देश में अब बड़ी संख्या में क्षमता विस्तार की योजना बनाई गई है जैसा कि नीचे दी गई तालिका में दिखाया गया है -

क्र.सं.	उत्पादक	क्षमता (मी. टन)	निवेश रु. (करोड़)	स्थिति
1	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	10,000	300	विद्यमान
2	एपिग्रल लिमिटेड	30,000	200	आरंभ की गई
3	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	10,000	150	अक्टूबर, 23 से संचालन में
4	एपिग्रल लिमिटेड	45,000	300	अप्रैल, 24 से संचालन में
5	लुब्रीज़ोल	1,00,000	1200	संयंत्र का निर्माण कार्य शुरू
6	डीसीडब्ल्यू लिमिटेड	20,000	150	पर्यावरण स्वीकृति लंबित
	कुल	2,15,000	> 2400	

147. यह देखा गया है कि भारत में कुल क्षमता 2018 में 10,000 से बढ़ कर 2025 में 2,15,000 हो जाएगी। इन निवेशों का मूल्य लगभग 2400 करोड़ रुपए (300 मिलियन डॉलर) होने की संभावना है। यदि उपायों का विस्तार नहीं किया जाता है तो संबद्ध देशों से आयातों में वृद्धि होने की संभावना है जो घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचा सकती है। इसलिए, देश में नियोजित निवेशों के हितों के रक्षोपाय के लिए पाटनरोधी उपायों का विस्तार जरूरी है।

148. यह भी दावा किया गया है कि देश में मांग और आपूर्ति अंतर है। हालांकि, प्राधिकारी ने नोट किया है कि मांग-आपूर्ति अंतर पाटन को सही नहीं ठहराता। भारतीय उद्योग महत्वपूर्ण क्षमता विस्तारों को अपना रहा है जिससे बड़ी सीमा तक मांग आपूर्ति अंतर के पूरा होने की संभावना है। असंबद्ध देशों से आने वाले आयात संबद्ध देशों से होने वाले आयातों से अधिक हैं। इसलिए उपभोक्ताओं की आपूर्ति को नियंत्रित नहीं किया जा सकता, यदि उपाय लागू हैं।

149. जहां तक डाउन स्ट्रीम उद्योग पर पाटनरोधी शुल्क के प्रभाव का संबंध है, उपभोक्ताओं ने उचित बाजार स्थितियों को ध्यान में रखते हुए, अपने संयंत्र स्थापित किए हैं। इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता कि उपभोक्ताओं के प्रचालन सिर्फ इसलिए अलाभकारी हो जाएंगे क्योंकि पाटन को शुल्क लागू करने के द्वारा नियंत्रित किया गया है और बाजार में उचित प्रतिस्पर्धा स्थापित की गई है। पाटनरोधी शुल्क घरेलू उत्पादकों को उचित रूप से प्रतिस्पर्धा करने और बाजार में आपूर्ति को जारी करने की अनुमति दे कर घरेलू उत्पादकों के लिए एक समानांतर स्थिति का सृजन करते हैं।

150. उपभोक्ताओं ने संबद्ध तथा असंबद्ध देशों से आयात किया है। असंबद्ध देशों से आयात कीमत संबद्ध देशों से आयात कीमत की तुलना में अधिक है। यह स्वयं ही दर्शाता है कि डाउन स्ट्रीम उत्पाद की कीमत रेजिन या कम्पाउंड की कीमत की तुलना में लोचरहित है।

151. घरेलू उद्योग ने कुल मिला कर जनता पर पाटनरोधी उपायों के प्रभाव पर अतिरिक्त रूप से सूचना उपलब्ध कराई है। यह अनुरोध किया गया है कि लगभग 1000 वर्ग मीटर के एक घर की निर्माण लागत में, सीपीवीसी पाइपों और फिटिंग की लागत केवल 15,000 रुपए होती है जो निर्माण की कुल लागत (18 लाख रुपए) का कठिनाई से 0.83% ठहरता है। चाहे यदि सीपीवीसी की कीमत 10% तक भी बढ़ जाए तो भी प्रभाव 0.08% ही होगा।

ठ. <u>प्रकटीकरण के बाद टिप्पणियाँ</u>

ठ.1. अन्य इच्छुक पक्षों का प्रस्तुतीकरण।

152. अन्य इच्छुक पक्षों ने प्रकटीकरण वक्तव्य पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

क. हनव्हा ने कहा है कि बेंचमार्क प्रभावित कीमतें हनव्हा पर नहीं बल्कि चीन जन.स. पर लागू थीं और घरेलू उद्योग ने स्वयं स्वीकार किया है कि अतीत में उन्हें ऐसा कोई

मामला देखने को नहीं मिला है, जहां उन्हें कोरियाई उत्पादक द्वारा अपनाई जा रही किसी अनुचित प्रथा के बारे में जानकारी दी गई हो।

ख. हनवा ने कहा है कि कोरिया आरपी में बिक्री मूल्य, भारत और तीसरे देशों को निर्यात मूल्य के बीच कोई बड़ा अंतर नहीं है। यदि भारत में निर्यात मूल्य शुल्क के बेंचमार्क रूप से प्रभावित थे, तो उन्हें घरेलू बिक्री मूल्यों या तीसरे देश के बिक्री मूल्यों के अनुरूप नहीं होना चाहिए था।

पूर्वकारखानाकीमतोंकासीपीवीसीराल(यूएसडी/एमटी)			
महीना	**घरेलू मूल्य (कोरिया आरपी)**	**को निर्यात भारत**	**को निर्यात तीसरा देश**
जुलाई-22	***	***	***
अगस्त-22	***	***	***
सितम्बर 22	***	***	***
अक्टूबर-22	***	***	***
नवंबर-22	***	***	***
दिसम्बर-22	***	***	***
जनवरी-23	***	***	***
फ़रवरी-23	***	***	***
मार्च-23	***	***	***
अप्रैल-23	***	***	***
मई-23	***	***	***
जून-23	***	***	***

ग. हनवा ने कहा है कि उसके पास पूर्णतः बैकवर्ड इंटीग्रेटेड प्लांट है और विचाराधीन उत्पाद क्लोरीन के नवजात चरण से उत्पादित किया जाता है। विचाराधीन उत्पाद की कीमतें पीवीसी की खरीद/बाजार मूल्य से प्रभावित नहीं होती हैं।

घ. हनव्हा ने दलील दी है कि उसने विचाराधीन उत्पाद को दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत बेचा है। कच्चे माल की कीमतों में बदलाव होने पर भी निर्यात मूल्य पर कोई असर नहीं पड़ता।

ङ. हनव्हा ने कहा है कि उसकी स्थापित क्षमता 44,000 मीट्रिक टन है न कि 60,000 मीट्रिक टन, जैसा कि घरेलू उद्योग द्वारा गलत दावा किया गया है।

च. हनव्हा ने कहा है कि क्षमता में 44000 मीट्रिक टन की वृद्धि के बावजूद भारत को निर्यात में काफी कमी आई है। हनव्हा की कुल क्षमता का 30% ही भारत को निर्यात किया गया।

छ. हनव्हा ने कहा है कि विचाराधीन उत्पाद की कीमत अत्यधिक अस्थिर है, तथा औसत कीमतों के आधार पर तीसरे देश का निर्यात विश्लेषण नहीं किया जाना चाहिए।

ज. हनवा ने दलील दी है कि मूल जांच के दौरान, लागत संबंधी जानकारी में मामूली सुलह त्रुटियों के कारण उसे असहयोगी निर्यातक घोषित किया गया था। हनवा की ओर से कोई छिपाव या दुर्भावनापूर्ण इरादा नहीं था।

झ. हनव्हा ने दलील दी है कि प्राधिकारी ने कई पूर्व अवसरों पर निर्यातकों को निर्णायक समीक्षा जांच में अलग-अलग पाटन मार्जिन/पृथक शुल्क दिया है, जबकि तथ्य यह है कि उन्हीं निर्यातकों को असहयोगी की श्रेणी में रखा गया था या उन्होंने मूल जांच में भाग नहीं लिया था।

ञ. हनव्हा ने प्रस्तुत किया है कि कोरिया आरपी की संबद्ध वस्तुओं की कुल क्षमता 44000 मीट्रिक टन है और जांच अवधि के दौरान लगभग ***% का उपयोग पहले ही किया जा चुका है, इसलिए कोरिया आरपी की निष्क्रिय क्षमता कुल भारतीय मांग के ***% से भी कम है।

ट. लुब्रिजोल ने कहा है कि कोरिया आरपी से आयात की कीमतें लगभग बेंचमार्क कीमत के स्तर पर हैं। इसी अवधि के दौरान कोरिया आरपी सरकार द्वारा प्रकाशित उत्पादक मूल्य सूचकांक (पीपीआई) के अनुसार, कोरिया आरपी में डाउनस्ट्रीम उत्पाद यानी प्लास्टिक पाइप के निर्माण की लागत में काफी वृद्धि हुई है।

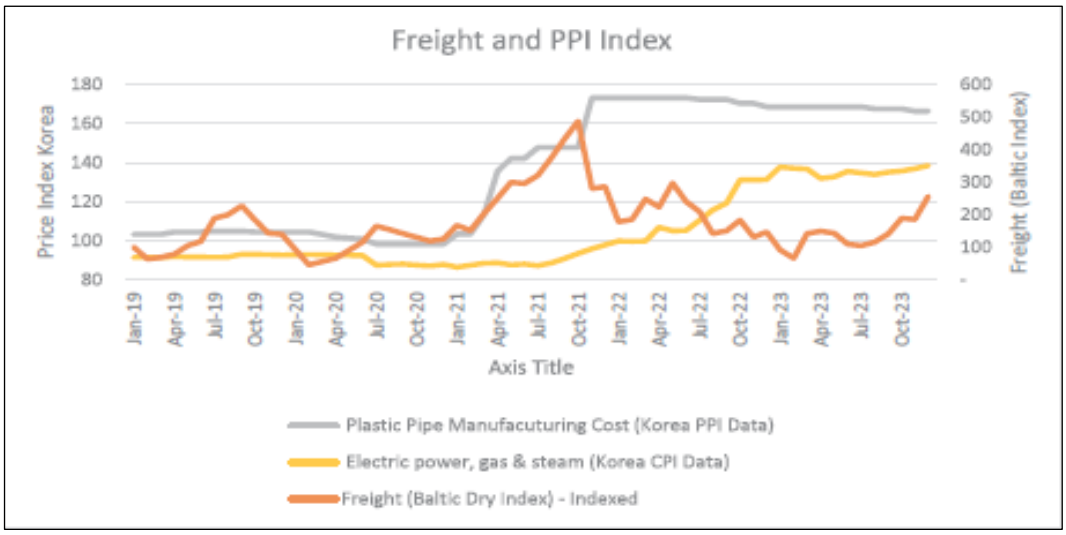

ठ. ऊर्जा/ईंधन की कीमतों में लगभग 30% की वृद्धि हुई है और माल ढुलाई की लागत कई गुना बढ़ गई है। कोरियाई उत्पादक अपनी घरेलू बिक्री के लिए उच्च मूल्य वसूल रहे हैं और भारत को कम और डंप कीमतों पर निर्यात कर रहे हैं।

ड. एसएआर ने प्रस्तुत किया है कि इसकी कीमतें बाजार संचालित हैं और संबद्ध वस्तुओं की अंतरराष्ट्रीय कीमतों के अनुरूप हैं। इसलिए, निर्यातक के मामले में अविश्वसनीय आयात कीमतों के घरेलू उद्योग के आरोप सही नहीं हैं और निराधार हैं।

ढ. लुब्रिजोल ने कहा है कि सामान्य मूल्य के निर्धारण के लिए यूरोपीय संघ को चीन के लिए उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था माना जा सकता है।

ठ.2. घरेलू उद्योग का प्रस्तुतीकरण

153. घरेलू उद्योग ने प्रकटीकरण विवरण पर निम्नलिखित टिप्पणियां की हैं:

i. चीन से सीपीवीसी रेजिन और पीवीसी सस्पेंशन रेजिन (कच्चा माल) के आयात मूल्य के बीच कोई संबंध नहीं है। चूंकि एफओबी स्तर की तुलना में माल ढुलाई लागत समाप्त हो जाती है और 2021-22 के दौरान माल ढुलाई असामान्य रूप से अधिक हो गई थी, इसलिए एफओबी स्तर पर तुलना सीआईएफ स्तर की तुलना में कहीं अधिक खुलासा करती है।

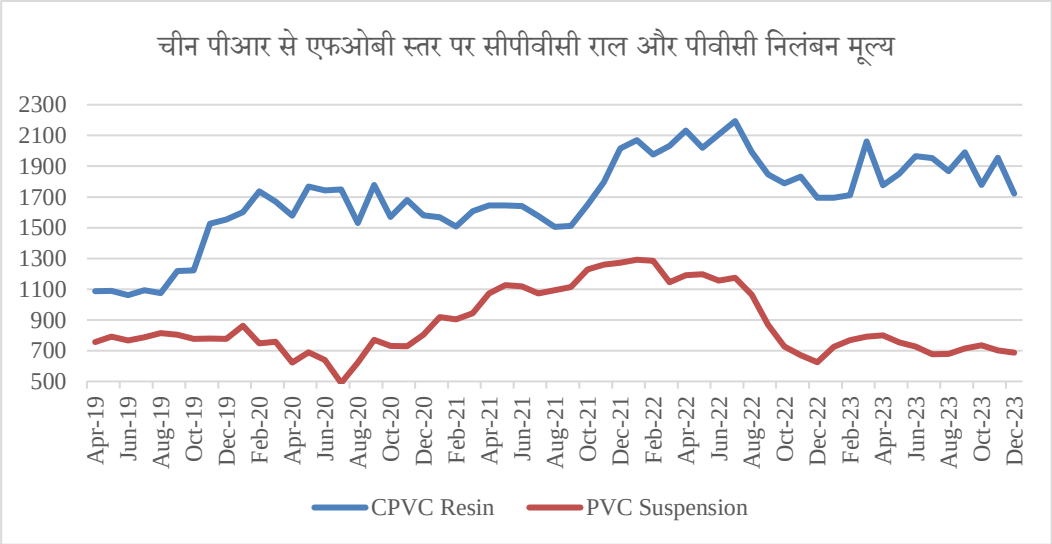

ii. जांच के बाद की अवधि में शुल्क मुक्त खंड और शुल्क भुगतान खंड में आयात की कीमत के बीच का अंतर और अधिक बढ़ गया है तथा यह 1000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन तक पहुंच गया है।

iii. जांच के दौरान कहीं भी हनव्हा ने यह दावा नहीं किया कि माप का मानक रूप उसके सामान्य मूल्य से अधिक था और इसलिए उसे इन मूल्यों पर उत्पाद निर्यात करने के लिए "मजबूर" किया गया।

iv. उपाय लागू होने से पहले CPVC रेजिन और PVC सस्पेंशन के बीच का अंतर बहुत कम था। कोविड के बाद माल ढुलाई की समस्या बढ़ने के साथ ही PVC सस्पेंशन और CPVC रेजिन की कीमतें बढ़ गईं। अब स्थिति सामान्य होने के साथ ही PVC सस्पेंशन की कीमत में गिरावट आई है। हालांकि, CPVC रेजिन की कीमत में आनुपातिक बदलाव नहीं आया है।

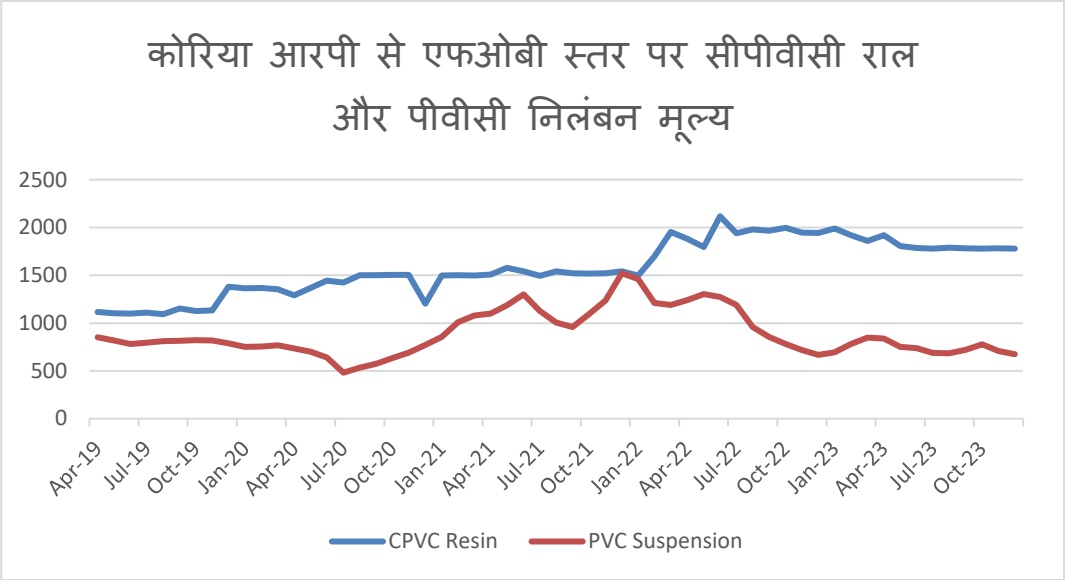

v. यदि सीपीवीसी रेजिन के निर्मित मूल्य (कोरिया आरपी से पीवीसी सस्पेंशन के मूल्य के आधार पर) की तुलना सीपीवीसी रेजिन के वास्तविक मूल्य के साथ की जाती है, तो निर्मित मूल्य वास्तविक आयात मूल्य से काफी कम है, जो हनव्हा द्वारा कृत्रिम मूल्य निर्धारण को दर्शाता है।

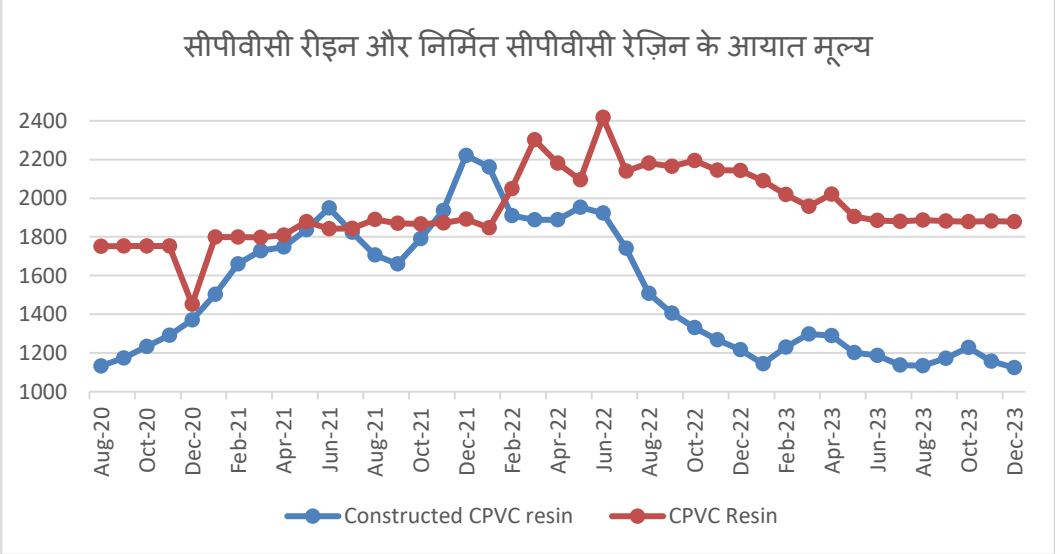

vi. हनवा कोरिया का एकमात्र उत्पादक/निर्यातक है और भले ही मूल जांच में उनके जवाब को खारिज कर दिया गया था, लेकिन प्राधिकरण द्वारा गणना की गई निर्यात कीमत

और पहुंच मूल्य उनके निर्यात पर आधारित थी। यह नहीं माना जाना चाहिए कि निर्माता ने पहली बार सनसेट समीक्षा जांच में भाग लिया है। निर्माता ने मूल जांच में भी भाग लिया था। प्राधिकरण ने पाया था कि निर्माता डंप की गई कीमतों पर भारतीय बाजार में उत्पाद निर्यात कर रहा था।

vii. उत्पादक ने स्वीकार किया है कि उसने अपनी क्षमता में 30,000 मीट्रिक टन का विस्तार किया है। 60,000 मीट्रिक टन की कुल क्षमता को देखते हुए, घरेलू बिक्री 15,000 मीट्रिक टन से भी कम है। क्षमता का 75%, जो कि 45,000 मीट्रिक टन है, अंततः निर्यात उद्देश्यों के लिए उपयोग किया जाएगा। जैसे-जैसे ये क्षमताएँ चालू होती गईं, उत्पादक ने अन्य बाज़ारों पर कब्ज़ा करना शुरू कर दिया।

एस.एन.	विवरण	यूओएम	निर्यात भारत	शेष विश्व को निर्यात
1	2023-एम10	यूएसडी/एमटी	1,545	1,733
2	2023-एम11	यूएसडी/एमटी	1,867	1,620
3	2023-एम12	यूएसडी/एमटी	1,880	1,805
4	2024-एम01	यूएसडी/एमटी	1,868	1,290
5	2024-एम02	यूएसडी/एमटी	1,873	1,075
6	2024-एम03	यूएसडी/एमटी	1,846	1,085

viii. अन्य देशों के लिए एफओबी मूल्य में तेजी से गिरावट आई है, जबकि भारत के लिए निर्यात मूल्य स्थिर रहा है, जिससे यह स्थापित होता है कि भारत के लिए हनव्हा का निर्यात मूल्य बेंचमार्क उपायों से प्रभावित था, न कि बाजार से प्रेरित।

ix. यदि सीपीवीसी रेजिन चीन या कोरिया से गैर सीपीवीसी रेजिन उत्पादक देशों में आया है और सीपीवीसी यौगिक में परिवर्तित किया गया है, तो यह स्पष्ट रूप से शुल्क के अधीन है। निर्यातकों और आयातकों को चीन और कोरिया आरपी के अलावा अन्य देशों से निर्यात किए गए सीपीवीसी यौगिक में सीपीवीसी रेजिन की उत्पत्ति स्थापित करने की आवश्यकता होनी चाहिए।

x. घरेलू उद्योग ने केवल एंटी-डंपिंग शुल्क की अवधि बढ़ाने तथा शुल्क के स्वरूप में संशोधन का अनुरोध किया है, न कि एंटी-डंपिंग शुल्क के पुनः परिमाणीकरण का।

xi. अधिनियम की धारा 9ए (5) और नियम 23 के अनुसार, निर्णायक समीक्षा का एकमात्र उद्देश्य और प्रयोजन, प्रासंगिक कारकों की जांच के बाद, यह निर्धारित करना है कि क्या अधिरोपण की अवधि को पांच वर्ष की अतिरिक्त अवधि के लिए बढ़ाए जाने की आवश्यकता है।

xii. यदि प्राधिकरण अवधि बढ़ाने का निर्णय लेता है, तो माप की मात्रा या स्वरूप एक स्वतः प्रस्ताव/निष्कर्ष/निर्धारण नहीं है, बल्कि उसे स्वतंत्र रूप से निर्धारित करना होगा और निर्णय लेना होगा कि क्या डंपिंग रोधी शुल्क की मात्रा पहले के समान होनी चाहिए, और क्या स्वरूप पहले के समान होगा।

xiii. यदि किसी पक्ष को एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पुनः मात्रा निर्धारित करने की आवश्यकता है, तो वह पक्ष कानून के तहत समीक्षा के प्रावधानों के माध्यम से प्राधिकरण से संपर्क करने के लिए स्वतंत्र है। एंटी-डंपिंग ड्यूटी की पुनः मात्रा निर्धारित करने के लिए सनसेट समीक्षा उचित समीक्षा नहीं है।

xiv. निर्धारित क्षति मार्जिन केवल मापदण्डों के मानक स्वरूप के कारण नकारात्मक है। अन्यथा, डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन न केवल सकारात्मक है, बल्कि बहुत महत्वपूर्ण भी है, जैसा कि शुल्क मुक्त श्रेणी के आयात मूल्यों द्वारा स्थापित किया गया है।

xv. विश्व व्यापार संगठन के सदस्य देश, जैसे यूरोपीय संघ (ईयू), अमेरिका, चीन, अर्जेंटीना आदि एंटी-डंपिंग की मात्रा समान रखते हैं तथा सनसेट रिव्यू में मात्रा का पुनः निर्धारण नहीं करते हैं।

xvi. चीनी ताइपे, इंडोनेशिया और यूरोपीय संघ (फ्रांस को छोड़कर) से कास्टिक सोडा की सनसेट समीक्षा में, प्राधिकरण ने पीटी असाहिमास और ट्राइकॉन के लिए नकारात्मक डंपिंग मार्जिन निर्धारित किया। चूंकि शुल्क की संभावना थी, इसलिए प्राधिकरण ने उन्हीं शुल्कों की सिफारिश की जो पहली सनसेट समीक्षा जांच में निर्धारित किए गए थे।

xvii. विस्कोस स्टेपल फाइबर के आयात से संबंधित सनसेट समीक्षा जांच में, पीटी एशिया पैसिफिक ने मूल और पहली सनसेट समीक्षा जांच में भाग नहीं लिया। दूसरी सनसेट समीक्षा में उत्पादक के लिए निर्धारित क्षति मार्जिन नकारात्मक था। प्राधिकारी ने निष्कर्ष निकाला कि डंपिंग और क्षति के जारी रहने या पुनरावृत्ति की संभावना है और उत्पादक के लिए वही शुल्क लगाने की सिफारिश की जो पहली सनसेट समीक्षा जांच में निर्धारित किए गए थे।

xviii. जबकि एंटी-डंपिंग शुल्क प्रभावी हैं, इस तथ्य के कारण कि एंटी-डंपिंग शुल्क लागू है, ऐसी स्थितियों में डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन में परिवर्तन से कोई निश्चित निष्कर्ष नहीं निकाला जा सकता है।

xix. शुल्कों का पुनः परिमाणीकरण उचित नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने पहले ही पाया है कि शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान किए गए आयातों में महत्वपूर्ण अंतर है और आयातकों ने वास्तविक मूल्य से अधिक आयात मूल्य की सूचना दी है। इसके अलावा, लागू उपायों के बेंचमार्क स्वरूप के कारण, डंपिंग मार्जिन को यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है कि निर्यातकों ने आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा लिया है या नहीं।

xx. शुल्कों का पुनः परिमाणीकरण उचित नहीं है क्योंकि प्राधिकरण ने पहले ही पाया है कि शुल्क मुक्त और शुल्क भुगतान किए गए आयातों में महत्वपूर्ण अंतर है और आयातकों ने वास्तविक मूल्य से अधिक आयात मूल्य की सूचना दी है। इसके अलावा, लागू उपायों के बेंचमार्क स्वरूप के कारण, डंपिंग मार्जिन को यह निर्धारित करने के लिए प्रासंगिक नहीं माना जा सकता है कि निर्यातकों ने आक्रामक मूल्य निर्धारण का सहारा लिया है या नहीं।

xxi. यहां तक कि मूल एंटी-डंपिंग जांच में भी, इसने इस बात पर प्रकाश डाला था कि उपायों का बेंचमार्क स्वरूप उद्देश्य को पूरा नहीं करेगा क्योंकि निर्यातक एंटी-डंपिंग शुल्क के बेंचमार्क स्वरूप से बचने के लिए उत्पाद की कीमत कृत्रिम रूप से ऊंची रखते हैं । हालांकि, उस समय मांग-आपूर्ति के बीच भारी अंतर को देखते हुए और इस तथ्य को देखते हुए कि घरेलू उद्योग ने अभी-अभी वाणिज्यिक उत्पादन शुरू किया था, प्राधिकरण ने एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश करना उचित समझा।

xxii. घरेलू उद्योग काफी लंबे समय से अस्तित्व में है और नए उत्पादक बाजार में प्रवेश कर चुके हैं। मूल जांच के समय जो स्थितियां थीं, वे अब समाप्त हो चुकी हैं। इसलिए, उपायों के बेंचमार्क रूप की कोई आवश्यकता नहीं है।

xxiii. मांग और आपूर्ति के अंतर के कारण, घरेलू उद्योग और संबंधित निर्यातकों के बीच कोई आक्रामक मूल्य युद्ध नहीं हुआ। लेकिन बाजार में स्थिति जारी रहने की संभावना नहीं है, क्योंकि भारत में महत्वपूर्ण क्षमताएँ आ रही हैं। जैसे ही मांग और आपूर्ति का अंतर जल्द ही पूरी तरह से पाट दिया जाएगा, मूल्य युद्ध शुरू हो जाएगा। उपभोक्ता उस आपूर्तिकर्ता से खरीदेंगे जो कम कीमत की पेशकश करता है।

xxiv. मूल जांच में भाग न लेने वाले उत्पादकों को असहयोगी माना जाना चाहिए तथा प्रतिकूल तथ्यों को लागू किया जाना चाहिए तथा कोई अलग से एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं दिया जाना चाहिए।

ठ.3 प्राधिकरण द्वारा जांच

154. प्राधिकारी ने घरेलू उद्योग तथा अन्य इच्छुक पक्षों द्वारा किए गए प्रकटीकरण पश्चात प्रस्तुतीकरणों की जांच की है तथा नोट किया है कि कुछ टिप्पणियां पुनरावृत्तियां हैं जिनकी पहले ही उचित रूप से जांच की जा चुकी है तथा प्रकटीकरण विवरण के प्रासंगिक पैरा में पर्याप्त रूप से संबोधित किया गया है। इच्छुक पक्षों द्वारा प्रकटीकरण पश्चात टिप्पणियों/प्रस्तुतियों में पहली बार उठाए गए तथा प्राधिकारी द्वारा प्रासंगिक माने गए मुद्दों की नीचे जांच की गई है।

155. चीन पीआर के लिए यूरोपीय संघ को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में माना जाने के संबंध में लुब्रीजोल के प्रस्तुतीकरण के संबंध में, प्राधिकरण नोट करता है कि संबंधित देश और संबंधित उत्पाद के विकास के स्तर को ध्यान में रखते हुए एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले तीसरे देश का चयन किया जाएगा। हालाँकि, यूरोपीय संघ को एक उपयुक्त बाजार अर्थव्यवस्था वाले देश के रूप में स्थापित करने के लिए किसी भी इच्छुक पक्ष द्वारा कोई जानकारी प्रदान नहीं की गई है।

156. जहां तक हनवा की इस दलील का संबंध है कि तीसरे देश के विश्लेषण के लिए औसत सामान्य मूल्य और गैर-हानिकारक कीमत पर विचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि उत्पाद की कीमतें प्रकृति में बहुत अस्थिर हैं, प्राधिकरण नोट करता है कि हानवा ने अपनी प्रश्नावली में किसी मासिक मूल्य विश्लेषण का दावा नहीं किया है। प्रतिक्रिया। हनवा ने प्रकटीकरण हेतु टिप्पणियों में पहली बार मासिक तुलना का अनुरोध किया है। यह देखा गया है कि हनवा ने स्वयं भारत में अपने निर्यात मूल्य में थोड़ा बदलाव दिखाया है, जांच अवधि के दौरान तीसरे देशों में निर्यात मूल्य में महत्वपूर्ण गिरावट आई है, और इसकी घरेलू कीमतों में उतार-चढ़ाव का रुझान देखा गया है। इसके अलावा, हनवा ने मासिक डेटा प्रदान किया है जो दर्शाता है कि भारत और बाकी दुनिया में इसकी निर्यात कीमत पहले घरेलू कीमत से अधिक थी, जांच अवधि के दौरान अंतर कम हो गया और जांच अवधि के बाद के हिस्से में उलट गया। वास्तव में, उनकी स्वयं की स्वीकारोक्ति के अनुसार, जांच अवधि के पिछले छह महीनों में शेष विश्व में इसकी निर्यात कीमत घरेलू कीमतों से कम थी। प्राधिकरण यह भी मानता है कि प्रकटीकरण विवरण ऐसे महत्वपूर्ण दावे करने के लिए प्रासंगिक चरण नहीं है, क्योंकि इसके लिए महत्वपूर्ण जानकारी मंगाने और उसके बाद उसकी विस्तृत जांच और जांच की आवश्यकता होती है। इन सबसे ऊपर, भले ही निर्यातक के अनुरोध पर विचार किया जाए, यह देखा गया है कि हनवा

ने उत्पादन की मासिक लागत पर जानकारी प्रदान नहीं की है। भारत में हनवा के निर्यात मूल्य में जांच की अवधि के दौरान ऐसी कोई महत्वपूर्ण गतिविधि नहीं देखी गई है, जैसा कि तीसरे देशों को निर्यात मूल्य के संबंध में देखा गया है। इसके अलावा, यह देखा गया है कि निर्यात कीमतों में बदलाव और इनपुट लागत में भिन्नता के बावजूद, घरेलू कीमतें अपेक्षाकृत स्थिर थीं। जहां एक ओर हनवा ने टिप्पणी की है कि कीमतें अस्थिर हैं, वहीं अब उसने यह भी दावा किया है कि निर्यात भी अनुबंध के तहत है। प्रकटीकरण विवरण पर टिप्पणियों के स्तर पर मूल्य निर्धारण पद्धति पर इस तरह के महत्वपूर्ण बयान निर्माता की मूल्य निर्धारण पद्धति पर महत्वपूर्ण संदेह पैदा करते हैं। इसलिए, प्रस्तुतीकरण पर विचार नहीं किया जा सकता।

157. इस तर्क के संबंध में कि सीपीवीसी रेजिन की कीमतें पीवीसी सस्पेंशन रेजिन की कीमतों पर निर्भर नहीं हैं, क्योंकि दोनों उत्पादों का बाजार अलग-अलग है और सीपीवीसी क्लोरीन के शुरुआती चरण से उत्पादित होता है, प्राधिकरण नोट करता है कि यह निर्विवाद है कि पीवीसी सस्पेंशन रेजिन है सीपीवीसी रेजिन के लिए तुरंत पूर्ववर्ती कच्चा माल। प्रश्नावली के उत्तर में, हनवा ने स्वयं पीवीसी सस्पेंशन को कच्चे माल के रूप में मान्यता दी है। हालाँकि, घरेलू उद्योग ने विस्तृत प्रस्तुतियाँ दी थीं और आवेदन में ही सीपीवीसी रेजिन और पीवीसी सस्पेंशन के बीच तुलना प्रस्तुत की थी और मौखिक सुनवाई और लिखित प्रस्तुतियों में इसे उजागर किया था। यह भी ध्यान दिया गया है कि घरेलू बाजार में सीपीवीसी कीमतों में उतार-चढ़ाव, भारत और बाकी दुनिया में निर्यात न तो एक समान पैटर्न दिखाता है, न ही एक सुसंगत प्रवृत्ति दिखाता है। इनमें से कोई भी कीमत भारत में पीवीसी सस्पेंशन के निर्यात मूल्य के अनुरूप नहीं बढ़ी है। डेटा अपेक्षाकृत अछूते घरेलू बाजार का भी संकेत देता है, लेकिन निर्यात मूल्य किसी अन्य कारक से प्रभावित हो रहा है।

158. हालाँकि, निर्माता ने किसी भी पिछली प्रस्तुति में तुलना पर विवाद नहीं किया और प्रकटीकरण की टिप्पणियों में पहली बार इस पर विवाद किया है। नए तथ्यों को उजागर करने के लिए प्रकटीकरण बयान प्रासंगिक चरण नहीं है। प्राधिकरण यह भी नोट करता है कि एक ही उत्पादक के कच्चे माल और तैयार माल की कीमतें तब तक एक समान होनी चाहिए जब तक कि किसी उत्पाद की कीमतें किसी कारक के कारण प्रभावित न हों। इसलिए, पीवीसी सस्पेंशन के साथ सीपीवीसी रेजिन की तुलना उचित होगी।

159. इस बात के संदर्भ में कि हनवा के पास निष्क्रिय क्षमता भारत में मांग का केवल 6% है, प्राधिकरण ने नोट किया कि उत्पादक पहले से ही भारत को अपनी कुल बिक्री का 46%

निर्यात कर रहा है। जांच अवधि में ये बिक्री घरेलू उद्योग की घरेलू बिक्री से अधिक थी। इसके निर्यात का एक महत्वपूर्ण हिस्सा भारतीय बाजार में बेचा जा रहा है जो उत्पादक के CPVC रेजिन संचालन के लिए भारत के महत्व को दर्शाता है। अन्य देशों को निर्यात मूल्य भारत को निर्यात मूल्य की तुलना में काफी कम है। इसलिए, उपायों को समाप्त करने से निर्यातक को अपने निर्यात को भारत में स्थानांतरित करने की अनुमति मिल जाएगी।

160. जहां तक हनवा की कीमतों को बेंचमार्क स्तर के अनुरूप बनाए जाने का सवाल है, प्राधिकरण ने नोट किया है कि हनवा द्वारा उपलब्ध कराई गई सूचना के आधार पर यह देखा गया है कि जांच अवधि के दौरान अन्य देशों को निर्यात मूल्य में उल्लेखनीय गिरावट आई है। जांच अवधि के दौरान भारत को निर्यात मूल्य 1800 डॉलर/एमटी से ऊपर रहा है, लेकिन अन्य देशों को निर्यात मूल्य घटकर 1600 डॉलर/एमटी से नीचे आ गया है। नीचे दी गई तालिका हनवा के प्रस्तुतीकरण को दर्शाती है।

पूर्वकारखानाकीमतोंकासीपीवीसीराल(यूएसडी/एमटी)			
महीना	**घरेलूकीमत (कोरियाआरपी)**	**निर्यातको भारत**	**निर्यातको तीसरादेश**
जुलाई-22	***	***	***
अगस्त-22	***	***	***
सितम्बर 22	***	***	***
अक्टूबर-22	***	***	***
नवंबर-22	***	***	***
दिसम्बर-22	***	***	***
जनवरी-23	***	***	***
फ़रवरी-23	***	***	***
मार्च-23	***	***	***
अप्रैल-23	***	***	***
मई-23	***	***	***
जून-23	***	***	***

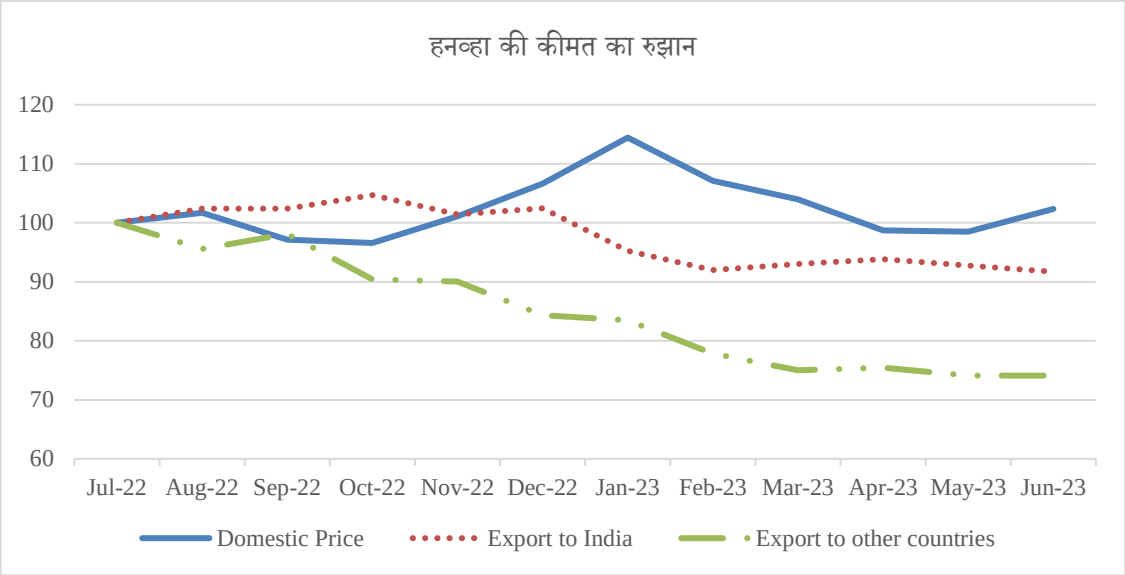

161. घरेलू उद्योग द्वारा जांच अवधि के बाद दी गई जानकारी से यह भी पता चलता है कि अन्य देशों को निर्यात मूल्य में लगभग 1000 डॉलर प्रति मीट्रिक टन की गिरावट आई है, जबकि भारत को निर्यात मूल्य लगभग उसी स्तर पर बना हुआ है। इसलिए, यह नहीं माना जा सकता है कि भारत को निर्यात मूल्य उपायों के बेंचमार्क रूप से प्रभावित नहीं होता है।

162. भारत को निर्यात मूल्य दीर्घकालिक अनुबंध के अंतर्गत था, इस कथन के संबंध में, प्राधिकरण ने नोट किया कि इस चरण में हनवा द्वारा पहली बार बयान दिया गया है। हनवा ने चालान की तिथि के आधार पर सामान्य मूल्य और निर्यात मूल्य का दावा किया था। प्रश्नावली के उत्तर में या अनुबंध के अनुसार मूल्य निर्धारण को ध्यान में रखने के लिए सत्यापन के दौरान कोई दावा नहीं किया गया था। वास्तव में, जबकि हनवा ने अब दावा किया है कि उसने दीर्घकालिक अनुबंधों के तहत निर्यात किया है, प्रश्नावली के उत्तर के भाग II में उसने नीचे दिए अनुसार जानकारी दी थी।

16. भारतीय ग्राहकों को आपकी फर्म की PUC की बिक्री का कितना प्रतिशत अनुबंध (प्रतिशत) बनाम स्पॉट बिक्री (प्रतिशत) के आधार पर है? यदि आप अनुबंध के आधार पर बिक्री करते हैं, तो कृपया एक सामान्य अनुबंध के प्रावधानों के संबंध में निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दें।
(क) एक अनुबंध की औसत अवधि क्या है?
(ख) अनुबंधों पर कितनी बार पुनः बातचीत की जाती है?
(ग) क्या अनुबंध में मात्रा, मूल्य या दोनों तय किये जाते हैं?
(घ) क्या अनुबंध में मिलने या छोड़ने का प्रावधान है?

(ई) यदि कोई हो तो मानक मात्रा आवश्यकताएं क्या हैं?
(च) उप-न्यूनतम शिपमेंट के लिए मूल्य प्रीमियम क्या है?

<उत्तर>
चूंकि एचएससी की भारतीय ग्राहकों को सभी निर्यात बिक्री स्पॉट आधार पर की जाती है, इसलिए यह प्रश्न लागू नहीं होता।

163. हनव्हा ने विभिन्न बाजारों के लिए मूल्य निर्धारण पद्धति के संबंध में अलग-अलग प्रस्तुतियां दी हैं, जिससे भारत को रिपोर्ट किए गए निर्यात मूल्य पर संदेह उत्पन्न होता है।

164. इस बात के संदर्भ में कि हनवा को वर्तमान मार्जिन के आधार पर अलग से शुल्क दिया जाना चाहिए, प्राधिकरण ने नोट किया कि इस वर्तमान समीक्षा में आयात मूल्य पहले से ही उपायों के बेंचमार्क रूप से प्रभावित है, डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर शुल्क की सिफारिश करना उचित नहीं होगा। ड्यूटी-फ्री मार्केट में कोरिया आरपी से सीपीवीसी रेजिन या कंपाउंड का कोई आयात नहीं है, लेकिन चीन के मामले में महत्वपूर्ण अंतर यह दर्शाता है कि औसत आयात मूल्य उपायों के बेंचमार्क रूप से प्रभावित है, खासकर जब ये कीमतें कच्चे माल की कीमतों के अनुरूप नहीं बढ़ी हैं।

165. इस प्रस्तुतिकरण के संबंध में कि मूल जांच में निर्यातक को असहयोगी के रूप में वर्गीकृत किए जाने के बावजूद प्राधिकरण ने पिछले कई अवसरों पर निर्णायक समीक्षा जांच में निर्यातकों को अलग-अलग शुल्क दिया है, यह नोट किया गया है कि वर्तमान जांच में, डंपिंग और क्षति की संभावना है, और इसलिए वर्तमान डंपिंग और क्षति मार्जिन के आधार पर कोई एंटी-डंपिंग शुल्क की सिफारिश नहीं की गई है। यह भी नोट किया गया है कि हनवा एक इच्छुक पक्ष था, और उसने वास्तव में मूल जांच में भाग लिया था।

ड. **<u>निष्कर्ष</u>**

166. उठाए गए तर्कों, उपलब्ध कराई गई सूचना, प्रस्तुत किए गए निवेदनों तथा प्राधिकारी के समक्ष उपलब्ध तथ्यों को ध्यान में रखते हुए, जैसा कि ऊपर दर्ज किया गया है, तथा पाटन के जारी रहने या पुनरावृत्ति होने तथा घरेलू उद्योग को क्षति पहुंचने की संभावना के उपरोक्त विश्लेषण के आधार पर, प्राधिकारी इस निष्कर्ष पर पहुंचते हैं कि: -

क. विचाराधीन उत्पाद का दायरा वही है जो मूल जांच में परिभाषित किया गया है, अर्थात क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) - चाहे उसे आगे यौगिक में संसाधित किया गया हो या नहीं। किसी भी इच्छुक पक्ष ने विचाराधीन उत्पाद के दायरे के संबंध में कोई प्रस्तुतिकरण नहीं किया है, जो प्राधिकरण द्वारा पहले अधिसूचित विचाराधीन उत्पाद के दायरे में किसी भी संशोधन को उचित ठहराता हो।

ख. मूल जांच में आवेदक एकमात्र उत्पादक था। आवेदक जांच की वर्तमान अवधि में विचाराधीन उत्पाद का प्रमुख उत्पादक था, उसने डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन के आधार पर एंटी-डंपिंग ड्यूटी बढ़ाने और उपायों के स्वरूप में संशोधन की मांग की है, जो मूल जांच के समय प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किए गए थे। आवेदक ने दावा किया कि उपायों के स्वरूप के कारण वर्तमान जांच अवधि में आयात मूल्य अत्यधिक अविश्वसनीय थे। इसलिए आवेदक ने उपायों के स्वरूप में संशोधन की मांग की है।

ग. एपिग्रल लिमिटेड ने 30,000 मीट्रिक टन की उत्पादन क्षमता स्थापित की है और जांच अवधि में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू कर दिया है। कंपनी ने आगे कहा है कि उसने अपनी उत्पादन क्षमता को बढ़ाकर 75,000 कर दिया है। कंपनी ने वर्तमान आवेदन का समर्थन किया है और एंटी-डंपिंग ड्यूटी के विस्तार और उपायों के स्वरूप में संशोधन की मांग की है।

घ. अमरीकी डॉलर के निवेश के साथ 1,00,000 मीट्रिक टन सीपीवीसी रेजिन का एक नया संयंत्र स्थापित कर रहा है। निर्माता ने कहा है कि 2025 की शुरुआत में वाणिज्यिक उत्पादन शुरू होने की संभावना है।

ङ. आवेदक नियम 2(बी) के अंतर्गत घरेलू उद्योग है और आवेदन नियमों के अंतर्गत अपेक्षाओं को पूरा करता है।

च. मूल सीमा शुल्क के भुगतान के बिना किए गए आयातों ("शुल्क मुक्त बाजार") के मामले में सीआईएफ आयात मूल्य, सीमा शुल्क के भुगतान के बाद किए गए आयातों ("शुल्क भुगतान बाजार") से काफी कम है।

छ. जबकि कच्चे माल की कीमत में उतार-चढ़ाव रहा, लेकिन संबंधित देशों से आयात की कीमत इनपुट कीमतों के अनुरूप नहीं रही। सीआईएफ आयात कीमत मोटे तौर पर बेंचमार्क स्तरों पर बनी रही।

ज. चीन पीआर के लिए डंपिंग मार्जिन सकारात्मक है। कोरिया आरपी से भाग लेने वाले उत्पादक के लिए डंपिंग मार्जिन नकारात्मक है। हालांकि, दोनों देशों के मामले में सीआईएफ आयात मूल्य बेंचमार्क फॉर्म के उपायों से प्रभावित होता है।

झ. जबकि सीमा शुल्क का भुगतान किए बिना किए गए आयात और सीमा शुल्क का भुगतान करने के बाद किए गए आयात दोनों के मामले में डंपिंग मार्जिन सकारात्मक है, दोनों डंपिंग मार्जिन में बहुत महत्वपूर्ण अंतर है। "शुल्क-मुक्त आयात" के मामले में डंपिंग मार्जिन काफी अधिक है।

ञ. भारतीय उद्योग की कम क्षमता और देश में भारी मांग को देखते हुए, यह स्वाभाविक था कि सभी स्रोतों से आयात में वृद्धि हुई होगी।

ट. डीआरआई को इस बात के साक्ष्य मिले कि माल की निकासी के समय सीमा शुल्क अधिकारियों के समक्ष वास्तविक मूल्य से अधिक मूल्य घोषित किया जा रहा था, तथा न्यूनतम या कोई एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं चुकाया जा रहा था।

ठ. बेंचमार्क उपायों के रूप में एंटी-डंपिंग उपायों को लागू करने के बाद, आयात की पहुंच कीमत घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य से अधिक है, जिसके परिणामस्वरूप नकारात्मक मूल्य कटौती हुई है। हालांकि, यह शुल्क के बेंचमार्क रूप के कारण है। शुल्क छूट योजना के तहत रिपोर्ट किए गए आयातों के मामले में मूल्य कटौती काफी अधिक है।

ड. उपायों के बेंचमार्क स्वरूप ने घरेलू उद्योग को अपनी क्षमता के अनुसार और वांछित कीमतों पर बिक्री करने की अनुमति दी है।

ढ. घरेलू उद्योग ने जांच के बाद की अवधि में 150 करोड़ रुपये के निवेश से 10,000 मीट्रिक टन क्षमता जोड़कर अपनी क्षमता का विस्तार किया है। घरेलू उद्योग अपनी क्षमताओं का और विस्तार करने की योजना बना रहा है।

ण. कोरिया आरपी से भाग लेने वाले उत्पादक के मामले में घरेलू बिक्री इसकी क्षमता का केवल 20-30% के बीच है जो दर्शाता है कि उसके पास अधिशेष क्षमता है। इसके बावजूद, कंपनी अपनी क्षमताओं का और विस्तार कर रही है।

त. कोरिया गणराज्य के भाग लेने वाले उत्पादकों के मामले में 50% से अधिक उत्पादन निर्यात किया जाता है, जो निर्यात अभिविन्यास के उच्च हिस्से को दर्शाता है।

थ. चीन जन.प्र. में क्षमताएं सीपीवीसी रेजिन और कंपाउंड की चीन जन.प्र. में मांग का क्रमशः 157% और 119% हैं, जो चीनी उत्पादकों के पास अतिरिक्त क्षमताओं को दर्शाता है।

द. भारी अतिरिक्त क्षमता के बावजूद, चीनी उत्पादक आगे भी क्षमता विस्तार कर रहे हैं।

ध. जबकि "शुल्क भुगतान किए गए आयातों" के मामले में मूल्य में कटौती नकारात्मक है, वहीं "शुल्क मुक्त आयातों" के मामले में मूल्य में कटौती काफी सकारात्मक है।

न. "शुल्क मुक्त बाजार" में किए गए आयातों के मामले में सीआईएफ आयात मूल्य घरेलू उद्योग के विक्रय मूल्य और बिक्री लागत से कम है।

प. कोरिया गणराज्य से 40-50% निर्यात और चीन गणराज्य से तीसरे देशों को 60-70% निर्यात डंप कीमतों पर होता है। ये निर्यात संचयी रूप से भारत में सकल मांग का लगभग 80% है।

फ. कोरिया गणराज्य से 30-40% निर्यात और चीन गणराज्य से तीसरे देशों को 50-60% निर्यात हानिकारक कीमतों पर होता है। ये निर्यात संचयी रूप से भारत में सकल मांग का लगभग 60% है।

ब. अतीत में एंटी-डंपिंग शुल्कों ने घरेलू उद्योग को बढ़ने का अवसर दिया है तथा अन्य उत्पादकों को भी भारत में संयंत्र स्थापित करने के लिए प्रोत्साहित किया है।

भ. 2018 में भारत में कुल क्षमता 10,000 मीट्रिक टन है जो 2025 में बढ़कर 2,15,000 हो जाने की उम्मीद है और निवेश का मूल्य लगभग रु. 2,400 करोड़ ($300 मिलियन)।

म. भारतीय उद्योग महत्वपूर्ण क्षमता विस्तार कर रहा है जिससे मांग-आपूर्ति के अंतर को पाटने की संभावना है। गैर-विषयक देशों से भी बड़ी मात्रा में आयात होता है।

य. उपभोक्ताओं ने विषयगत और गैर-विषयगत दोनों देशों से आयात किया है और गैर-विषयगत देशों से कीमत विषयगत देशों से कीमत से अधिक है। इससे पता चलता है कि डाउनस्ट्रीम उत्पाद की कीमत रेजिन या कम्पाउंड की कीमत के प्रति अकुशल है।

र. अंतिम उपभोक्ता पर एंटी-डंपिंग शुल्क का प्रभाव नगण्य पाया गया है।

ल. जांच में ऐसा कोई तथ्य प्रकाश में नहीं आया जिससे यह पता चले कि उपायों को जारी रखना जनहित में नहीं होगा।

ळ. उपायों की समाप्ति की स्थिति में तथा यदि पाटनरोधीउपायों में संशोधन नहीं किया जाता है, तो संबद्ध देशों से पाटन तथा क्षति की संभावनाबनी रहेगी।

ढ. **<u>सिफारिशों</u>**

167. प्राधिकारी नोट करते हैं कि जांच शुरू की गई थी तथा सभी इच्छुक पक्षकारों को इसकी सूचना दी गई थी तथा घरेलू उद्योग, निर्यातकों, आयातकों और अन्य इच्छुक पक्षकारों को पाटन

और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति की संभावना के पहलुओं पर सूचना प्रदान करने के लिए पर्याप्त अवसर दिया गया था।

168. इस निष्कर्ष पर पहुंचने के बाद कि यदि मौजूदा पाटनरोधी उपाय को बंद करने की अनुमति दी जाती है तो पाटन और क्षति के जारी रहने/पुनरावृत्ति होने की संभावना है, प्राधिकारी का विचार है कि विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर शुल्क जारी रखना आवश्यक है। प्राधिकारी ने इस बात की जांच की कि किस मात्रा में शुल्क की सिफारिश की जाए जो ऊपर किए गए संभावना विश्लेषण के कारण पाटन/क्षति को कम कर सके। विषयगत देश से भारत और शेष विश्व को पाटित और क्षतिकारी आयातों की मात्रा पर विचार किया गया है। इसके अलावा, क्षमता विस्तार के साथ अधिशेष क्षमता और तीसरे देशों को कीमत की भी जांच की गई है। उपर्युक्त परिस्थितियों में, प्राधिकारी विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के आयातों पर पाटनरोधी उपाय की मौजूदा मात्रा को जारी रखने की सिफारिश करना उचित समझते हैं।

169. शुल्क संरचना के संबंध में, मामले के तथ्यात्मक मैट्रिक्स को ध्यान में रखते हुए और आयात मूल्य को बेंचमार्क स्तर पर संरेखित करने पर उठाए गए विवादों और प्राधिकरण की जांच को ध्यान में रखते हुए, एंटी-डंपिंग उपाय के एक निश्चित रूप की सिफारिश करना उचित समझा जाता है। डीआरआई ने पाया कि आयात बेंचमार्क कीमत के करीब कीमतों पर रिपोर्ट किया गया है और इसलिए, एंटी-डंपिंग शुल्क नहीं लगाया गया है। इसके परिणामस्वरूप एंटी-डंपिंग शुल्क से काफी हद तक बचाव हुआ और परिणामस्वरूप सरकार को राजस्व का नुकसान हुआ। एंटी-डंपिंग शुल्क की मात्रा निर्धारित करने के लिए, प्राधिकरण ने मूल जांच में निर्धारित डंपिंग मार्जिन और क्षति मार्जिन पर विचार किया है।

170. उपरोक्त को ध्यान में रखते हुए, प्राधिकरण निश्चित एंटीडंपिंग शुल्क को जारी रखने की सिफारिश करना उचित और आवश्यक समझता है। तदनुसार, मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर विचार करते हुए, जैसा कि ऊपर स्थापित किया गया है, नीचे दी गई शुल्क तालिका के कॉलम (8) में दर्शाई गई राशि के बराबर एंटीडंपिंग शुल्क इस संबंध में अधिसूचना जारी होने की तारीख से लगाए जाने की सिफारिश की जाती है। केंद्र सरकार, विषयगत देशों से विचाराधीन उत्पाद के सभी आयातों पर पांच (5) वर्षों की अतिरिक्त अवधि के लिए।

तालिका शुल्क

क्र. स.	टैरिफ़ वस्तु	माल का विवरण	उद्गम देश	निर्यात का देश	निर्माता	विवरण	मुद्रा यू. एस. डी./मी. टन
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	39041010 39041020 39041090 39042100 39042200 39043090 39044000 39045090 39046990 39049010 39049090	क्लोरीनेटेड पॉलीविनाइल क्लोराइड (सीपीवीसी) -चाहे आगे यौगिक में संसाधित किया गया हो या नहीं	चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई	सीपीवीसी रेजिन	790
2			चीन जन. गण.	चीन जन. गण. सहित कोई भी देश	कोई	सीपीवीसी कम्पाउंड	605
3			किसी भी देश चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा	चीन जन. गण.	कोई	सीपीवीसी रेजिन	790
4			किसी भी देश चीन जन. गण. और कोरिया गणराज्य के अलावा	चीन जन. गण.	कोई	सीपीवीसी कम्पाउंड	605
5			कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	सीपीवीसी रेजिन	593
6			कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	हनव्हा सॉल्यूशंस कॉर्पोरेशन	सीपीवीसी कम्पाउंड	792

7			कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लेखित के अलावा कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी रेजिन	593
8			कोरिया गणराज्य	कोरिया गणराज्य सहित कोई भी देश	ऊपर उल्लेखित के अलावा कोई अन्य उत्पादक	सीपीवीसी कम्पाउंड	792
9			किसी भी देश चीन जन. गण.और कोरिया गणराज्य के अलावा	कोरिया गणराज्य	कोई	सीपीवीसी रेजिन	593
10			किसी भी देश चीन जन. गण.और कोरिया गणराज्य के अलावा	कोरिया गणराज्य	कोई	सीपीवीसी कम्पाउंड	792

**सीमा शुल्क वर्गीकरण केवल सांकेतिक है और विचाराधीन उत्पाद के दायरे पर बाध्यकारी नहीं है। यदि उत्पाद किसी अन्य कोड में आयात किया जाता है, तो उस पर एंटी-डंपिंग शुल्क लगता है।*

ण. <u>आगे की प्रक्रिया</u>

171. प्राधिकरण की सिफारिश के विरुद्ध अपील अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार सीमा शुल्क, उत्पाद शुल्क अधिनियम और सेवा कर अपीलीय न्यायाधिकरण के समक्ष की जाएगी।

(अनन्त स्वरूप)
निर्दिष्ट प्राधिकारी